दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

मार्च 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भूगोल 4
- भारतीय विरासत और संस्कृति 11

सामान्य अध्ययन पेपर–2 ..... **18**

- राजनीति और शासन 18
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 22
- सामाजिक न्याय 28

सामान्य अध्ययन पेपर–3 ..... **33**

- अर्थव्यवस्था 33
- आंतरिक सुरक्षा 37
- जैव-विविधता और पर्यावरण 39
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 43
- आपदा प्रबंधन 44

सामान्य अध्ययन पेपर–4 ..... **47**

- केस स्टडी 47
- सैद्धांतिक प्रश्न 57

निबंध **68**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारत में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिये। इन भू-राजस्व प्रणालियों ने कृषि समाज और समग्र अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- ब्रिटिश भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- कृषि समाज और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को रेखांकित कीजिये।
- उनके परिणाम का उल्लेख करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अंग्रेज़ों ने भारत में भू-राजस्व संग्रह को अधिकतम करने और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिये **अलग-अलग भू-राजस्व प्रणालियाँ** शुरू कीं। **स्थायी बंदोबस्त** (वर्ष 1793) बंगाल और बिहार में **लॉर्ड कॉर्नवालिस** द्वारा शुरू किया गया था, जबकि **रैयतवाड़ी बंदोबस्त** (वर्ष 1820) मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसीडेंसी में **थॉमस मुनरो** द्वारा लागू किया गया था।

मुख्य भाग:

प्रमुख विशेषताओं की तुलना:

विशेषता	स्थायी बंदोबस्त (ज़मींदारी प्रथा)	रैयतवाड़ी बंदोबस्त
परिचय	वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा	वर्ष 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा
कवरेज	ब्रिटिश भारत का 19% (बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, मद्रास के उत्तरी ज़िले)	ब्रिटिश भारत का 51% (मद्रास, बॉम्बे, कर्नाटक के कुछ भाग)
भूमि का स्वामित्व	ज़मींदारों को वंशानुक्रमिक स्वामी के रूप में मान्यता दी गई	किसानों (रैयतों) को वंशानुक्रमिक स्वामी के रूप में मान्यता दी गई
राजस्व संग्रहण	ज़मींदारों द्वारा वसूला जाने वाला निश्चित एवं स्थायी राजस्व	किसानों से सीधे एकत्र किया गया राजस्व, समय-समय पर (प्रत्येक 20-30 वर्ष में) संशोधित
आय का हिस्सा	10/11 हिस्सा अंग्रेज़ों को, 1/11 हिस्सा ज़मींदारों को	अतिरिक्त फसल उत्पादन का 50% तक ब्रिटिशों को देय
कराधान में लचीलापन	संशोधन की अनुमति नहीं (निश्चित राजस्व)	भूमि उत्पादकता और स्थितियों के आधार पर आवधिक संशोधन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

डिफॉल्ट परिणाम	यदि ज़मींदार राजस्व का भुगतान करने में विफल रहे तो भूमि ज़ब्त कर नीलाम कर दी जाती थी	किसानों को राजस्व का भुगतान करने के लिये विवश किया गया, जिससे वे कर्ज के जाल में फँसते गए और उनकी ज़मीन चली गई
बिचौलियों की भूमिका	उप-सामंतवाद का उदय, ज़मींदारों के पदानुक्रम का निर्माण (अनुपस्थित ज़मींदारी)	राजस्व अधिकारियों (पोलिगर, मीरासीदार) की उपस्थिति जो किसानों का शोषण करते थे

कृषि समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **ज़मींदारों और किसानों पर प्रभाव**
  - **स्थायी बंदोबस्त ने शक्तिशाली ज़मींदारों** के एक वर्ग का निर्माण किया, जिससे **उप-सामंतवाद** (ज़मींदारों के कई स्तर) उत्पन्न हुईं। किसान **काश्तकार** बन गए, जिन्हें **प्राय: अत्यधिक किराया और उत्पीड़न का सामना** करना पड़ता था।
  - रैयतवाड़ी बंदोबस्त में **किसानों को भूस्वामी के रूप में मान्यता** दी गई, लेकिन राजस्व संग्रह का बोझ सीधे उन पर पड़ा, जिससे उच्च और अनम्य कराधान के कारण वे **कर्ज के जाल में फँसते गए और अत्यधिक गरीबी** में चले गए।
- **कृषि पर प्रभाव**
  - **स्थायी बंदोबस्त** के कारण **कृषि उत्पादकता में ठहराव** आ गया क्योंकि ज़मींदारों के पास भूमि की गुणवत्ता सुधारने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं था। उच्च कराधान और अनुपस्थित ज़मींदारी के कारण **मृदा की उर्वरता में गिरावट** (विशेष रूप से बंगाल में) आई।
  - रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने शुरू में **ब्रिटिश उद्योगों के लिये नकदी फसलों** (जैसे कपास) को प्रोत्साहित किया, जिससे खाद्यान्न आपूर्ति कम हो गई और **मुद्रास्फीति बढ़ गई।** हालाँकि, अत्यधिक कराधान ने कृषि को **लाभहीन** बना दिया, जिससे भूमि का परित्याग हुआ।
- **आर्थिक प्रभाव**
  - **स्थायी बंदोबस्त** से अंग्रेज़ों को **स्थिर राजस्व** प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में उन्हें राजस्व बढ़ाने के लिये **संशोधन खंड शामिल न करने का अफसोस** हुआ।
  - भूमि मूल्यांकन पर आधारित होने के बावजूद रैयतवाड़ी बंदोबस्त, **उच्च कराधान को जन्म** देता था, जिससे किसान **साहूकारों के कर्ज में डूब जाते थे,** जिसकी परिणति वर्ष 1875 के दक्कन दंगों जैसे **विद्रोहों के रूप में** हुई।

प्रतिरोध और परिणाम:

- **स्थायी बंदोबस्त** के कारण **ज़मींदारों को परेशानी का सामना** करना पड़ा, क्योंकि राजस्व भुगतान में चूक के कारण कई लोगों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। किसानों का शोषण बढ़ता गया, जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ।
- रैयतवाड़ी बंदोबस्त को **असहनीय कर बोझ के कारण किसान विद्रोह** का सामना करना पड़ा, जिससे अंग्रेज़ों को दमनकारी राजस्व संग्रह की जाँच करने के लिये मजबूर होना पड़ा (उदाहरण के लिये: **मद्रास टॉर्चर आयोग, 1885**)।

निष्कर्ष:

स्थायी बंदोबस्त ने किसानों और कृषि विकास की कीमत पर ज़मींदारों को सशक्त किया, जबकि **रैयतवाड़ी बंदोबस्त** ने सीधे किसानों पर बोझ डाला, जिससे व्यापक गरीबी और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। भू-राजस्व संग्रह की दोनों प्रणालियाँ **कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने में विफल** रहीं और भारत के **औपनिवेशिक आर्थिक पतन में योगदान** दिया।

भूगोल

प्रश्न : हिमालय में बढ़ती ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की घटनाओं के पीछे के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिये और इसके शमन तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिये प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइये। **(250 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- हिमालय में बढ़ते GLOF के कारण बताइये।
- GLOF के शमन रणनीतियों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) ऐसी विनाशकारी घटना है जिसमें प्राकृतिक बाँधों, जैसे कि हिमोढ़ या हिम अवरोधों के क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्लेशियल झीलों/हिमनदों से अचानक विशाल मात्रा में जल ढह कर नीचे के क्षेत्रों में बह जाता है। हजारों ग्लेशियल झीलों की उपस्थिति के कारण हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, भू-वैज्ञानिक अस्थिरता और मानवजनित गतिविधियों के कारण GLOF घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

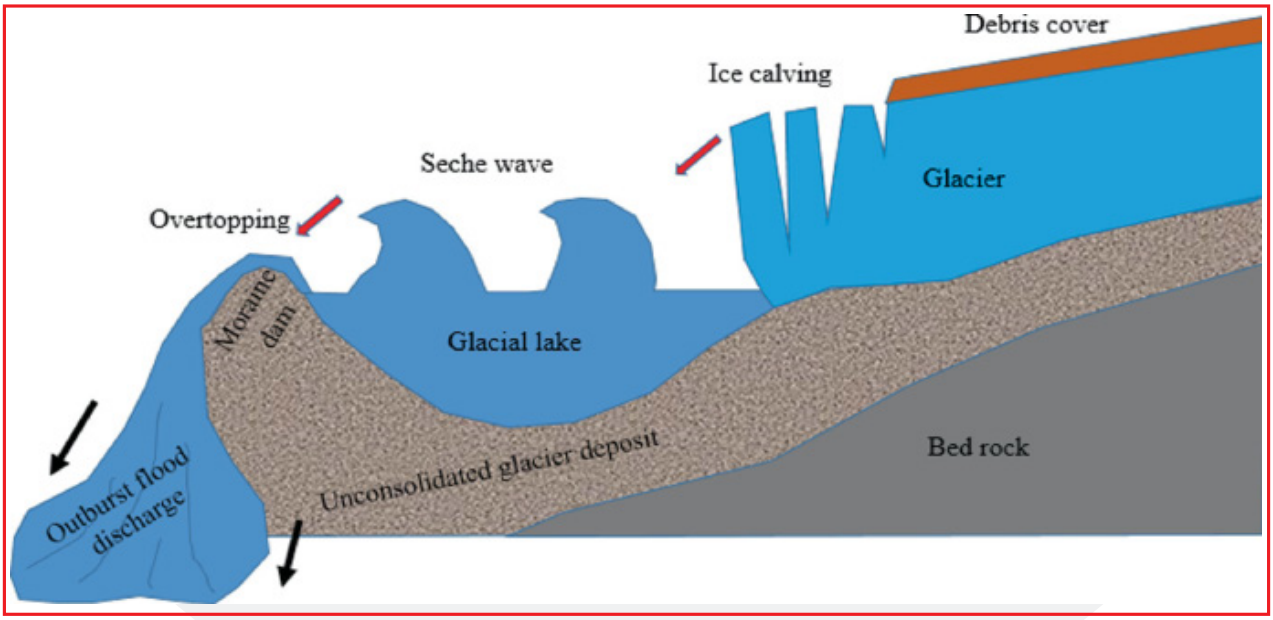

मुख्य भाग:

हिमालय में बढ़ते GLOF के कारण:

- **जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान**
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों/हिमनदों के विगलन की गति तीव्र हो गई है, जिससे ग्लेशियरों पर बनी झीलों की संख्या और आयतन में वृद्धि हो रही है।
  - केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने **भारत में हिमनद झील क्षेत्र में 33.7% की वृद्धि** (वर्ष 2011-2024) की सूचना दी है, जो GLOF के उच्च जोखिम को दर्शाता है।
- **हिमोढ़ और हिम अवरोध अस्थिरता**
  - अनेक हिमनद झीलें शिथिल रूप से निर्मित हिमोढ़ों द्वारा आबद्ध होती हैं, जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती हैं।
    - जल स्तर बढ़ने से इनका हाइड्रोस्टेटिक दाब बढ़ जाता है, जिससे हिमोढ़ बाँधों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उदाहरण: सिक्किम में दक्षिण ल्होनाक GLOF (वर्ष 2023),** जहाँ हिमोढ़ बाँध की अस्थिरता के कारण बाढ़ की विध्वंसकारी घटना हुई।

- **हिमस्खलन और भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि**
  - पर्माफ्रॉस्ट/शीतस्थल के पिघलने और वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण **चट्टानों का वृहत मात्रा में स्खलन** हो रहा है, **बर्फ पिघल** रही है तथा **भूस्खलन** हो रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में जल विस्थापित हो रहा है और GLOF की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
    - **उदाहरण: नेपाल में दिग त्सो झील GLOF (वर्ष 1985),** जहाँ हिम-स्खलन से झील क्षतिग्रस्त होने के कारण बुनियादी अवसंरचना नष्ट हो गए।
- **भूकंपीय और विवर्तनिक गतिविधि**
  - हिमालय क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय है तथा भूकंप के कारण हिमनद झीलों में भू-स्खलन हो सकता है, जिससे आकस्मिक जल-विस्थापन हो सकता है।
    - **उदाहरण: वर्ष 2015 में नेपाल भूकंप,** जिससे क्षेत्र में ग्लेशियल झील के टूटने का खतरा बढ़ गया।
- **मानवजनित कारक**
  - **सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं और शहरी बस्तियों के अनियमित निर्माण** से GLOF का जोखिम बढ़ जाता है।
  - **निर्वनीकरण और खनन** से ढलान की स्थिरता कमज़ोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन और हिमोढ़ क्षरण की संभावना बढ़ जाती है।
    - **उदाहरण: सिक्किम में GLOF के कारण तीस्ता III बाँध का विनाश (वर्ष 2023)** बुनियादी अवसंरचना की कमज़ोरी को उजागर करता है।

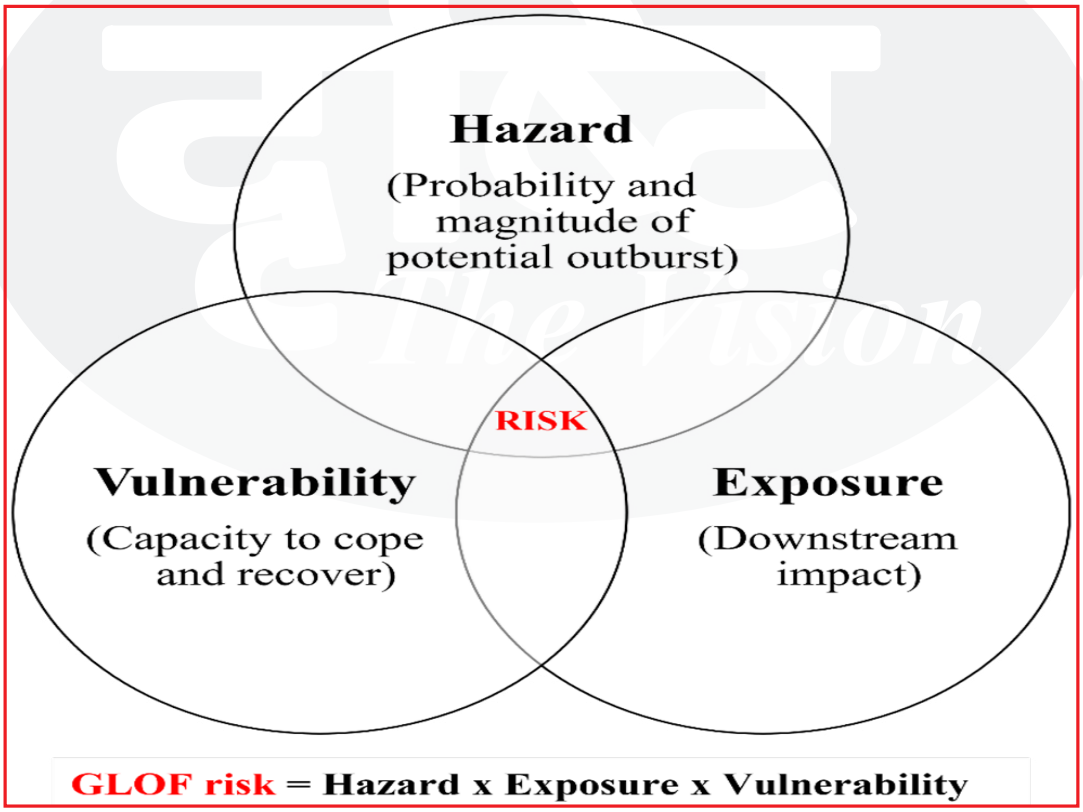

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शमन रणनीतियाँ और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:

- **संरचनात्मक उपाय**
  - ग्लेशियल झीलों की कृत्रिम जल निकासी
    - **साइफनिंग, स्पिलवे** या **सुरंगों** के माध्यम से झील के जल-स्तर को नियंत्रित रूप से कम करने से बाढ़ का खतरा कम हो जाता है।
  - हिमोढ़ बाँधों का सुदृढ़ीकरण
    - वनस्पति एवं कंक्रीट संरचनाओं जैसे **जियो-इंजीनियरिंग सॉल्यूशन** के साथ प्राकृतिक बाँधों को सुदृढ़ करने से स्थिरता बढ़ती है।
  - GLOF-रोधी बुनियादी अवसंरचना का निर्माण
    - **जलविद्युत संयंत्रों, पुलों और बस्तियों को सुरक्षित तुंगता** पर डिज़ाइन करने तथा तटबंधों को मज़बूत करने से क्षति को कम किया जा सकता है।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय**
  - पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS)
    - झील के विस्तार और अस्थिरता का पता लगाने के लिये **रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी** और **स्वचालित सेंसर का उपयोग** करके रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानी चाहिये।
    - निचले इलाकों की आबादी के लिये **स्वचालित सायरन** और **समुदाय-आधारित अलर्ट** की स्थापना की जानी चाहिये।
  - ग्लेशियल झील खतरा क्षेत्रीकरण और जोखिम मैपिंग
    - संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिये **GIS और रिमोट सेंसिंग** का उपयोग करके उच्च जोखिम वाली झीलों की मैपिंग की जानी चाहिये।
      - CWC ने **भारत में 67 उच्च जोखिम वाली झीलों की पहचान** की है, जिसमें लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - सामुदायिक जागरूकता और आपदा शमन
    - स्थानीय समुदायों को **निकासी अभ्यास, आपातकालीन मोचन और अनुकूली रणनीतियों में प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

यूनेस्को जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम के आधार पर जलवायु अनुकूलन, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मिलाकर एक **बहुआयामी दृष्टिकोण GLOF द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिये आवश्यक** है। **डेटा साझाकरण और आपदा मोचन के लिये क्षेत्रीय सहयोग** (भारत, नेपाल, भूटान, चीन) को मज़बूत करने से क्षेत्र में समुत्थानशक्ति बढ़ेगी।

प्रश्न : भारत के विभिन्न भागों में मृदा अपरदन के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिये। उपयुक्त संरक्षण उपाय सुझाइये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- मृदा अपरदन के संदर्भ में आँकड़ों सहित संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर प्रस्तुत दीजिये।
- मृदा अपरदन के कारण और परिणाम बताइये।
- मृदा अपरदन को रोकने के लिये संरक्षण उपायों पर प्रकाश डालिये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मृदा अपरदन भारत की कृषि संवहनीयता के लिये एक गंभीर चुनौती है, जो खाद्य सुरक्षा, आजीविका और पर्यावरण संतुलन को प्रभावित कर रहा है।

- भारत के मरुस्थलीकरण और **भूमि अपरदन एटलस (SAC-2021)** का अनुमान है कि **97.85 मिलियन हेक्टेयर (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 29.77%) भूमि क्षरित हो** चुकी है तथा समय के साथ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है।

मुख्य भाग:

भारत में मृदा अपरदन के कारण

- **निर्वनीकरण और शहरीकरण**
  - कृषि, बुनियादी अवसंरचना और शहरी विस्तार के लिये बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण से **मृदा का अपरदन बढ़ता है** और **जल प्रतिधारण क्षमता कम हो जाती है।** यह समस्या पूरे भारत में व्याप्त है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वृक्ष आवरण की 95% हानि (वर्ष 2013-2023) प्राकृतिक वनों में हुई,** जिसमें **पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों का 5% ह्रास हुआ।**

- **असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ**
  - **यूरिया आधारित उर्वरकों** के अत्यधिक उपयोग तथा फॉस्फोरस और पोटेशियम की उपेक्षा के कारण पोषक तत्त्वों की कमी हो गई है।
    - **भारतीय मृदा के 5%** से भी कम भाग में **नाइट्रोजन का स्तर उच्च** है, जबकि केवल **20% भाग में पर्याप्त मात्रा में जैविक कार्बन** मौजूद है।
  - **पंजाब और हरियाणा** में गहन हरित क्रांति कृषि के कारण मृदा की उर्वरता में गिरावट आई है।

- **अतिचारण और पशुधन दबाव**
  - भारत में **535 मिलियन पशुधन** हैं, जो चारागाह भूमि की **धारणीय वहन क्षमता से अधिक** है, जिसके कारण वनस्पति को भारी क्षति हो रही है।
  - **प्रमुख प्रभावित क्षेत्र:** राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य अनियमित पशुचारण के कारण बड़े पैमाने पर **ऊपरी मृदा अपरदन का सामना** कर रहे हैं।

- **औद्योगिक प्रदूषण और खनन गतिविधियाँ**
  - **ओडिशा और झारखंड** जैसे खनन राज्य **भारी धातु संदूषण** से ग्रस्त हैं।
  - **स्टरलाइट कॉपर प्लांट (तमिलनाडु)** के कारण **मृदा और जल में गंभीर संदूषण** हुआ।

- **जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ**
  - अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ से **मृदा अपरदन और पोषक तत्त्वों की कमी** बढ़ जाती है।
    - वर्ष 2023 में **हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़** के कारण **ऊपरी मृदा की काफी क्षति** हुई।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक मृदा अपरदन की दर **35.3% से बढ़कर 40.3% हो जाने का अनुमान** है।

- **स्थानांतरित कृषि (कर्तन एवं दहन पद्धति)**
  - **नगालैंड, असम और मिज़ोरम** जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में **झूम कृषि के कारण 4,925 वर्ग किमी. भूमि क्षरित** हो गई है, जिससे व्यापक मृदा अपरदन हुआ है।
  - बुनियादी अवसंरचना विकास एवं निर्माण गतिविधियाँ
  - **उत्तराखंड में चार धाम राजमार्ग** जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण मृदा की अस्थिरता के कारण **भूस्खलन की 300 से अधिक घटनाएँ** हुई हैं।

मृदा अपरदन के परिणाम

परिणाम	प्रभाव
कृषि उत्पादकता में कमी	फसल की घटती पैदावार से खाद्य सुरक्षा को खतरा है। मृदा में पोषक तत्त्वों की कमी के कारण पंजाब में गेहूँ की उपज स्थिर हो रही है।
मरुस्थलीकरण	**शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत 83.69 मिलियन हेक्टेयर** भूमि का मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, जो राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र में और भी बदतर हो रही है।
जल की कमी	क्षरित मृदा के कारण भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है और अत्यधिक निकासी पर निर्भरता बढ़ जाती है।
जैव-विविधता का ह्रास	मृदा अपरदन पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की विविधता कम होती है। **पश्चिमी घाट के वनों का ह्रास** ने स्थानीय मृदा उर्वरता को प्रभावित किया है।
प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि	**क्षरित मृदा से भूस्खलन (उत्तराखंड), बाढ़ (हिमाचल प्रदेश) और सूखे (बुंदेलखंड)** का खतरा बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य खतरे	खराब मृदा में भारी धातुएँ और कीटनाशक भोजन को दूषित कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मृदा अपरदन को रोकने के लिये संरक्षण उपाय:

- **संधारणीय कृषि पद्धतियाँ**
  - **संतुलित उर्वरक: सटीक उर्वरक उपयोग के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को** वास्तविक काल परामर्श सेवाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
  - **जैविक और प्राकृतिक कृषि: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)** और **सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि (SPNF)** मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **बेहतर जल प्रबंधन**
  - **सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर):** जल की बर्बादी को कम करने के लिये **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का विस्तार** करने की आवश्यकता है।
  - **वर्षा जल संचयन:** भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिये **वाटरशेड विकास और चेक-डैम निर्माण को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **पुनर्वनीकरण और कृषि वानिकी**
  - **समुदाय के नेतृत्व में वृक्षारोपण पहल** के साथ **राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP)** का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - मृदा संरक्षण के लिये कृषि, बागवानी और वानिकी को एकीकृत करते हुए **वाडी प्रणाली** को लागू किया जाना चाहिये।
- **खनन और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण**
  - **ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़** में अवैध खनन एवं औद्योगिक अपशिष्ट निपटान **पर कड़े नियमन** किये जाने चाहिये।
  - दूषित मृदा को शुद्ध करने के लिये सूक्ष्मजीवी उपचार जैसी **जैव-उपचार तकनीकों का** विस्तार किया जाना चाहिये।
- **अपरदन नियंत्रण उपाय**
  - **मल्चिंग और कवर क्रॉपिंग:** इस पद्धति से **अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों** में हवा और जल के कारण होने वाले अपरदन को कम किया जा सकता है।
  - **शून्य जुताई कृषि:** पंजाब और हरियाणा जैसे उच्च उपज वाले क्षेत्रों में **हैप्पी सीडर तकनीक का विस्तार** किया जाना चाहिये।
- **मृदा संरक्षण के लिये अनुसंधान एवं विकास**
  - **बायोचार और माइक्रोबियल उर्वरकों में निवेश:** मृदा कार्बन और माइक्रोबियल गतिविधि में वृद्धि की जानी चाहिये।
  - **डिजिटल मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण:** अपरदन की प्रवृत्तियों पर नज़र रखने के लिये **ISRO के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का लाभ** उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

संधारणीय कृषि, वनरोपण, जल संरक्षण और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों को एकीकृत करना भारत की मृदा स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा। दीर्घकालिक कृषि संवहनीयता और पर्यावरणीय अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिये एक समग्र, क्षेत्र-विशिष्ट एवं प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

प्रश्न : भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाएँ भारत में नदी प्रणालियों के निर्माण और विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? विभिन्न नदी घाटियों से उदाहरण लेकर स्पष्ट कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं और नदी प्रणालियों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- नदी प्रणाली निर्माण में भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाएँ— जैसे **अपक्षय, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण** नदी प्रणालियों को आकार देने में एक आधारभूत भूमिका निभाते हैं। भारत में, विविध भौगोलिक विशेषताओं (हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान) **ने अलग-अलग नदी घाटियों के निर्माण** को जन्म दिया है।

मुख्य भाग:

नदी प्रणाली निर्माण में भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं की भूमिका

- **विवर्तनिक गतिविधि और नदी की उत्पत्ति**
  - **गंगा और ब्रह्मपुत्र** जैसी **हिमालयी नदियाँ** टर्शियरी काल के दौरान हिमालय के **विवर्तनिक उत्थान और वलन** के कारण उत्पन्न हुईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: **गंगा नदी** एक **समकालिक गर्त (गंगा बेसिन) से होकर बहती है,** जो हिमालय के उत्थान और तत्पश्चात अग्रभूमि बेसिन के अवतलन के कारण निर्मित हुआ है।

- **कटाव और घाटी निर्माण**
  - ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक अपरदन घाटियों एवं बाढ़ के मैदानों को आकार देते हैं। **यमुना बेसिन** में, हिमालय के ऊपरी इलाकों में सक्रिय अपरदन के कारण **V-आकार की घाटियाँ** दिखाई देती हैं।
    - इसके विपरीत, प्रायद्वीपीय भारत में **गोदावरी और कृष्णा नदियाँ चौड़ी U-आकार की घाटियाँ** बनाती हैं, जो स्थिर भूभागों पर अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ आकार लेती हैं।

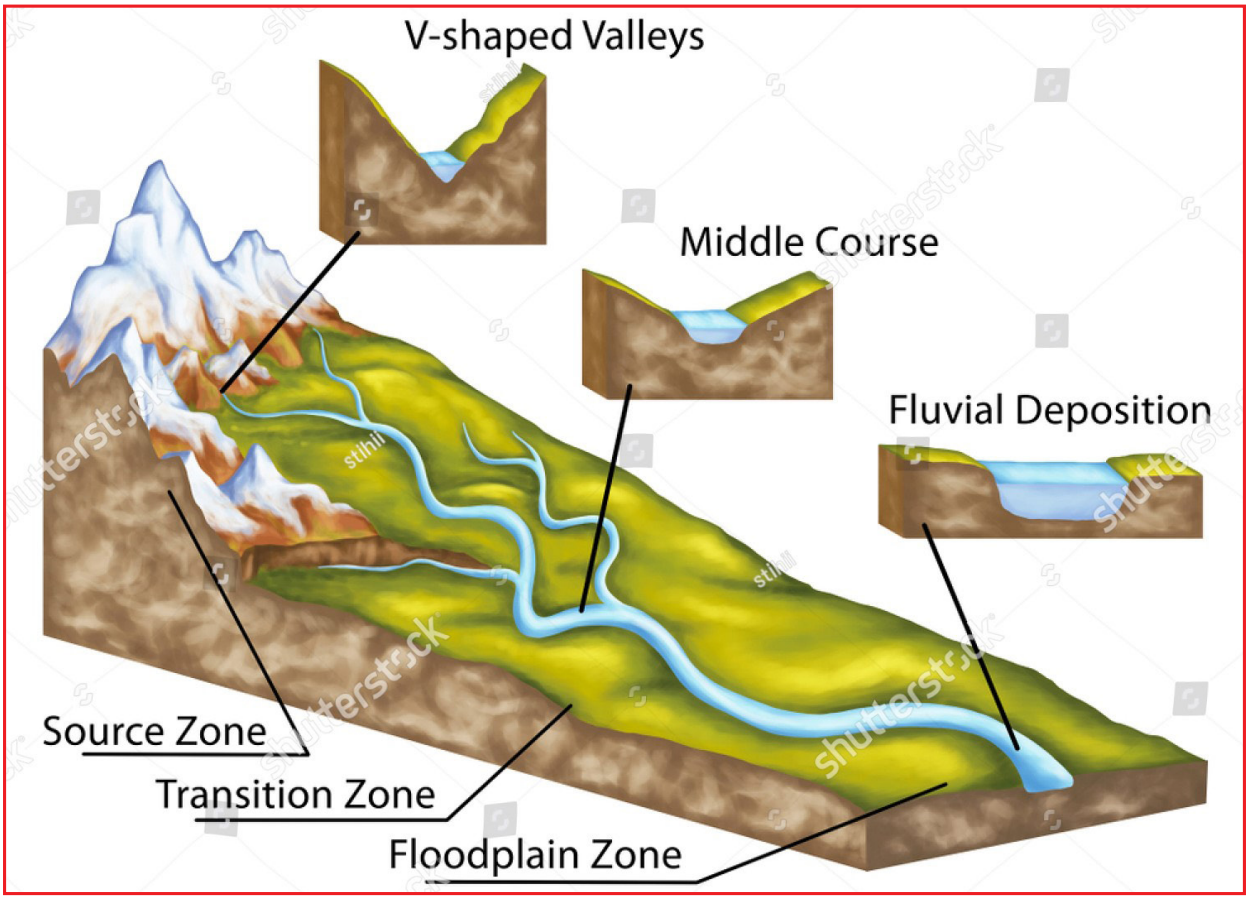

- **अवसाद निक्षेपण और डेल्टा निर्माण**
  - नदियाँ अपरदनकारी पदार्थों को अपने साथ ले जाती हैं तथा उन्हें मैदानों और डेल्टाओं में जमा कर देती हैं।
    - उदाहरण: **गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा,** विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो व्यापक **जलोढ़ निक्षेपण द्वारा निर्मित** है।
    - **महानदी डेल्टा,** तट के निकट धीमी नदी प्रवाह द्वारा अवसाद निक्षेपण के कारण विशिष्ट अर्द्धचंद्राकार डेल्टा विशेषताओं को प्रदर्शित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जलवायु और नदी गतिविधि**
  - मानसूनी वर्षा के कारण उच्च जल विसर्जन और अवसाद भार होता है।
    - उदाहरण: **अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में चंबल नदी बेसिन** में वर्षा के जल और अवनालिका अपरदन के कारण बंजर भूमि की स्थलाकृति दिखाई देती है।
- **समुद्र-स्तर में परिवर्तन और तटीय प्रक्रियाएँ**
  - समुद्र तल में परिवर्तन से ज्वारनदमुख निर्माण प्रभावित होता है।
    - उदाहरण: **नर्मदा और तापी नदियाँ,** जो पश्चिम की ओर अरब सागर में प्रवाहित होती हैं, तट के पास **अवतलन के कारण मुहाना** दर्शाती हैं।

निष्कर्ष:

भू-आकृति विज्ञान प्रक्रियाएँ भारत भर में **नदी प्रणालियों की उत्पत्ति, मार्ग और विशेषताओं को आकार** देने वाली गतिशील शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं। विवर्तनिक उद्गम से लेकर नदी के निक्षेपण तक, ये प्रक्रियाएँ भौतिक संरचना बनाती हैं जो **जल अपवाह तंत्र, जल उपलब्धता, मृदा की उर्वरता** और **भूमि उपयोग** योजना को प्रभावित करती हैं।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : "गांधार और मथुरा कला शाखाएँ प्राचीन भारत की दो अलग-अलग लेकिन परस्पर संबद्ध कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं"। इन शाखाओं ने भारतीय मूर्तिकला के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- गांधार और मथुरा कला शाखाओं के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- तालिका प्रारूप में गांधार और मथुरा कला शैलियों के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिये।
- भारतीय मूर्तिकला में गांधार और मथुरा कला शाखाओं के योगदान पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

गांधार और मथुरा कला शाखाएँ दो प्रमुख मूर्तिकला परंपराएँ थीं जो प्राचीन भारत में **पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसवी के दौरान** विकसित हुई। हालाँकि **दोनों बौद्ध धर्म** से गहराई से प्रभावित थीं, लेकिन ये अलग-अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भों में विकसित हुईं।

मुख्य भाग:

गांधार और मथुरा कला शाखाओं की तुलना:

विशेषता	गांधार कला शाखा	मथुरा कला शाखा
स्थान	उत्तर पश्चिम भारत (तक्षशिला, पेशावर, बामियान)	मथुरा, उत्तर प्रदेश
अवधि	पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसवी तक	पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पाँचवीं शताब्दी ईसवी तक
सांस्कृतिक प्रभाव	प्रबल ग्रीको-रोमन और फारसी प्रभाव	विशुद्ध रूप से मूल भारतीय परंपरा
प्रयुक्त सामग्री	ग्रे बलुआ पत्थर, नीला-ग्रे शिस्ट, प्लास्टर	लाल-धब्बेदार बलुआ पत्थर
धार्मिक प्रभाव	मुख्यत: बौद्ध धर्म (महायान)	बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म
बुद्ध का चित्रण	यथार्थवादी, हेलेनिस्टिक शैली- लहराते बाल, माथे की रेखाएँ, अच्छी तरह से उत्कीर्णित शिल्प	प्रतिष्ठित भारतीय शैली- चौड़े कंधे, मुस्कुराते हुए चेहरे, पद्मासन मुद्रा में मूर्तिकला की विशेषता

हालाँकि गांधार और मथुरा शाखा अपनी विशिष्ट विशेषताओं में भिन्न थी, लेकिन वे आपस में गहराई से जुड़ी रही, क्योंकि दोनों पर बौद्ध संरक्षण, कलात्मक आदान-प्रदान एवं स्तूपों व मठों में साझा रूपांकनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारतीय मूर्तिकला में गांधार और मथुरा शाखाओं का योगदान

- **गांधार कला शाखा**
  - **बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप का परिचय:** गांधार कला से पहले, बुद्ध को **प्रतीकों** (जैसे: पदचिह्न, बोधि वृक्ष) का उपयोग करके चित्रित किया जाता था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- गांधार के मूर्तिकारों ने **बुद्ध की पहली मानव-सदृश प्रतिमा** बनाई।

◆ **भारतीय और ग्रीको-रोमन शैलियों का सम्मिश्रण:** मानव आकृति का **यथार्थवादी चित्रण, लिपटे वस्त्र और गहरी नक्काशी तकनीक** ग्रीक एवं रोमन शैलियों से उद्धृत थी।

- **प्रभामंडल, लहराते बाल, मांसल कायिक संरचना और विस्तृत वस्त्र** जैसी विशेषताएँ इस कला शाखा के प्रमुख तत्त्व बन गए।

◆ **स्तूप और मठ वास्तुकला का परिष्कार:** गांधार कला ने **स्तूपों और शैलकृत मठों के विकास में योगदान** दिया, जिसने भारत व अन्य स्थानों पर बौद्ध वास्तुकला को प्रभावित किया।

- उल्लेखनीय उदाहरण: **बामियान बुद्ध (अफगानिस्तान), तक्षशिला मूर्तियाँ।**

◆ **बौद्ध कला का मध्य एशिया और चीन तक प्रसार: रेशम मार्ग** पर **बौद्ध कला के** प्रसार में गांधार शैली महत्त्वपूर्ण थी, जिसने **चीनी, जापानी और मध्य एशियाई बौद्ध मूर्तिकलाओं को प्रभावित** किया।

● **मथुरा कला शाखा**

◆ **भारतीय मूर्तिकला परंपरा का स्वदेशी विकास:** गांधार के विपरीत, मथुरा कला **मूल और शैली में पूरी तरह भारतीय** थी।

- इसने **भारतीय मंदिर वास्तुकला** और हिंदू मूर्तिकला शाखा की नींव रखी।

◆ **देवताओं का मानवीय चित्रण:** मथुरा स्कूल ने **विष्णु, शिव और यक्ष** जैसे **हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की शुरुआत** की।

- **जैन मूर्तिकला के विकास** में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

◆ **सुस्पष्ट और ऊर्जावान रूप:** इन आकृतियों में **चौड़े कंधे, मज़बूत धड़ और शक्तिशाली भाव** थे, जो एक **आध्यात्मिक लेकिन ऊर्जावान उपस्थिति** को दर्शाते थे।

- मथुरा कला में 'प्रसन्न बुद्ध' ने गांधार कला की शांत या उदास अभिव्यक्तियों की तुलना में दिव्य आनंद पर ज़ोर दिया।

◆ **उत्तरोत्तर भारतीय कला पर प्रभाव: गुप्त काल (चौथी-छठी शताब्दी ई.)** ने मथुरा कला को परिष्कृत किया, जिससे शास्त्रीय मूर्तिकला शैली का विकास हुआ, जिसने बाद में **चोल, पल्लव और राजपूत मूर्तियों** को प्रभावित किया।

- उल्लेखनीय उदाहरण: **सारनाथ बुद्ध, कटरा केशव देव मंदिर की मूर्तियाँ।**

निष्कर्ष:

गांधार कला ने **यथार्थवादी और बाह्य प्रभाव** डाला, जबकि मथुरा कला ने **स्वदेशी और प्रतीकात्मक सौंदर्यशास्त्र को आयाम** दिया। साथ में, उन्होंने **बौद्ध, हिंदू और जैन प्रतिमा विज्ञान को आकार देने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारतीय और वैश्विक कला परंपराओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।

प्रश्न : संगम साहित्य प्रारंभिक तमिल समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की समझ में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- संगम साहित्य के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- प्रारंभिक तमिल समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को समझने में इसका महत्त्व बताइए।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संगम साहित्य, जिसकी रचना **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व** से लेकर **तीसरी शताब्दी ईसवी** के दौरान हुई, भारत में सर्वप्रथम ज्ञात साहित्यिक परंपराओं में से एक है। यह **तमिल समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का एक समृद्ध विवरण** प्रदान करता है, तथा **तमिलकम** के लोगों के जीवन, राजकौशल एवं संस्कृति के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

प्रारंभिक तमिल समाज को समझने में महत्त्व:

- **सामाजिक संरचना**
  - समाज को पाँच **भौगोलिक विभागों (तिनाई) में संगठित** किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट जीवन शैली से जुड़ा था:
    - **कुरिंजी - मुरुगन, मुल्लई - विष्णु, मरुदम - इंद्र, नेयडाल - वरुण, पलाई - कोर्रावई।**
  - **जाति-संबंधी वर्गीकरण:**
    - **अवसार (शासक), अंतनार (पुजारी), वेनिगर (व्यापारी)**, और **वेल्लालर (किसान)** को मान्यता दी गई।
    - वैदिक अनुष्ठानों के संदर्भ में स्पष्ट है कि **ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ती जा रही थी।**
- **महिलाओं की स्थिति**
  - **ओबैयार, नच्चेलियर** और **काकईपाडिन्यार** जैसी महिला कवयित्री थीं, जिन्होंने तमिल साहित्य में उत्कर्ष योगदान दिया।
  - **सती प्रथा अभिजात वर्ग में विद्यमान** थी, लेकिन **स्व-अर्जित प्रेम विवाह (कलावु) को भी मान्यता** प्राप्त थी।
- **धर्म और विश्वास**
  - प्रमुख आस्था **जीववाद और प्रकृति पूजा** थी, जिसमें **मुरुगन, वरुण और कात्तियायनी (युद्ध देवी)** जैसे देवी-देवता शामिल थे।
  - *मणिमेकलै* **बौद्ध धर्म** के प्रभाव को दर्शाता है, जबकि *शिलप्पादिकारम* **कन्नगी पंथ** को दर्शाता है।
- **संगम साहित्य में आर्थिक पहलू**
  - कृषि और भूमि उपयोग
    - **धान की खेती** प्रमुख थी, विशेषकर चोल और पांड्य भूमि में।
    - *पट्टिनाप्पलाई* **भूमि की उर्वरता** और **सिंचाई परियोजनाओं** का उल्लेख करते हैं, जिनमें **करिकला चोल द्वारा निर्मित कावेरी तटबंध** भी शामिल है।
  - व्यापार और वाणिज्य
    - संगम ग्रंथों में रोम, ग्रीस और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ **बढ़ते समुद्री व्यापार** पर प्रकाश डाला गया है।
    - **पुहार (कावेरीपट्टिनम), कोरकाई** और **अरीकामेडु** जैसे बंदरगाह प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र थे।
  - शहरी केंद्र और शिल्प उत्पादन
    - **मदुरै, उरियुर और वंजी** जैसे शहर राजनीति एवं व्यापार के केंद्र थे।
    - **वस्त्र और मोती उद्योग** अच्छी तरह से विकसित थे। *शिलप्पादिकारम में* पुहार के **रेशम-बुनाई कौशल** का वर्णन है।
- **संगम युग में राजनीतिक संरचना**
  - **राजवंशीय शासन:** तीन प्रमुख साम्राज्य - **चेर, चोल और पांड्या** - तमिल राजनीति की रीढ़ थे।
    - **चेर राजवंश:** केरल पर नियंत्रण; **व्यापार** तथा **बौद्ध व जैन धर्म के संरक्षण** के लिये जाना जाता है।
    - **चोल राजवंश: नौसैनिक शक्ति, सिंचाई परियोजनाओं और विजयों** (करिकला चोल) के लिये जाना जाता है।
    - **पाण्ड्य राजवंश:** मदुरै में राजधानी, **संगम संरक्षण** के लिये प्रसिद्ध।
- **शासन और प्रशासन**
  - **उपाधियों और प्रतीकों** (*चोलों के लिये बाघ, चेरों के लिये धनुष-बाण, पाण्ड्यों के लिये मछली*) के साथ **वंशानुगत राजतंत्र**।
  - राजाओं की एक **पाँच सदस्यीय परिषद** होती थी जिसमें मंत्री (अमैच्चार), पुरोहित (पुरोहितार), दूत (दूतार), सेनापति (सेनापतियार) और गुप्तचर (ओर्रार) होते थे।

निष्कर्ष

संगम साहित्य **प्रारंभिक तमिल सभ्यता के दर्पण** के रूप में कार्य करता है, जो **सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक प्रणालियों** का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तमिल पहचान को प्रभावित करने वाली **महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत** प्रदान करने के अलावा, यह तमिलकम के **बाह्य विश्व के साथ संपर्क पर भी अंतर्दृष्टि** प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : "भारत में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और प्रसारित करने में लोक परंपराओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारतीय लोक कला के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में लोक परंपराओं की भूमिका बताइये।
- चुनौतियों को उजागर करते हुए आगे की राह सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की सांस्कृतिक विविधता इसकी लोक परंपराओं में गहराई से निहित है, जो पीढ़ियों के बीच **विरासत को संरक्षित करने और हस्तांतरित करने के सशक्त माध्यम** के रूप में काम करती है।

- इन परंपराओं में **लोक रंगमंच, संगीत, नृत्य, कहानी, कला और अनुष्ठान** शामिल हैं, जो देश के सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों एवं ऐतिहासिक कथाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

मुख्य भाग:

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में लोक परंपराओं की भूमिका

- **सांस्कृतिक भण्डार के रूप में लोक रंगमंच:** लोक रंगमंच संगीत, नृत्य और कथा-वाचन के माध्यम से पौराणिक कहानियों, ऐतिहासिक घटनाओं एवं सामाजिक विषयों को संरक्षित करता है।
  - ये प्रदर्शन सांस्कृतिक प्रसारण को समाज के सभी वर्गों के लिये आकर्षक और सुलभ बनाते हैं।
  - **उदाहरण: कूडियाट्टम (केरल), रम्मन (उत्तराखंड), यक्षगान (कर्नाटक), तमाशा (महाराष्ट्र)।**
- **लोक संगीत और मौखिक परंपराएँ:** लोक संगीत ऐतिहासिक आख्यानों, आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी अंतरित करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है।
  - आधुनिकीकरण के बावजूद यह प्रासंगिक बना हुआ है तथा स्थानीय परंपराओं व जीवन शैलियों के साथ अपना गहरा संबंध बनाए हुए है।
  - **उदाहरण: बाउल (बंगाल), भटियाली (बंगाल और असम), बिहू (असम), लावनी (महाराष्ट्र)।**
- **सांस्कृतिक वाहक के रूप में लोक नृत्य:** लोक नृत्य कृषि जीवन शैली, सामाजिक रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि पारंपरिक प्रथाओं का संरक्षण किया जाए।
  - ये प्राय: त्योहारों और अनुष्ठानों के साथ होते हैं, जिससे सामुदायिक बंधन व क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिलता है।
  - **उदाहरण: गरबा (गुजरात), गिद्दा (पंजाब), पुंग चोलोम (मणिपुर), कोलाट्टम (तमिलनाडु)।**
- **कथा-वाचन और मौखिक आख्यान:** भारत की मौखिक कहानी सुनाने की परंपराएँ लोककथाओं, पौराणिक कथाओं व नैतिक शिक्षाओं को आकर्षक स्वरूप में संरक्षित करती हैं।
  - ये कथाएँ पीढ़ियों तक नैतिक मूल्यों और ऐतिहासिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायक रही हैं।
  - **उदाहरण: पंचतंत्र (अखिल भारतीय), कथा और बुर्राकथा (आंध्र प्रदेश), विल्लू पातु (तमिलनाडु)।**
- **सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में लोक कला और शिल्प:** पारंपरिक लोक कलाएँ पौराणिक कथाओं, अनुष्ठानों और स्थानीय परंपराओं को चित्रित करती हैं तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखती हैं।
  - इनमें से कई कला रूप क्षेत्र-विशिष्ट हैं और समकालीन प्रभावों के साथ विरासत को मिलाकर विकसित होते रहते हैं।
  - **उदाहरण: मधुबनी (बिहार), वारली (महाराष्ट्र), फड़ (राजस्थान), कलमकारी (आंध्र प्रदेश)।**

लोक परंपराओं के लिये चुनौतियाँ

- **घटते दर्शक और व्यावसायीकरण: नौटंकी और भांड पाथेर** जैसे पारंपरिक लोक प्रदर्शन सिनेमा व **डिजिटल मनोरंजन की लोकप्रियता के कारण** युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कारीगरों और व्यवसायियों की हानि:** कई **लोक कारीगर और कलाकार वित्तीय कठिनाइयों व संस्थागत समर्थन की कमी** के कारण पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ देते हैं।
  - **शहरी जीवन शैली** के विस्तार के साथ, ग्रामीण भारत में पारंपरिक कथा-वाचन संस्कृति और प्रदर्शन के स्थान लुप्त हो रहे हैं।
- **अपर्याप्त सरकारी सहायता:** यद्यपि **गुरु शिष्य परंपरा योजना** और **यूनेस्को मान्यता** जैसी योजनाओं से मदद मिली है, फिर भी कई क्षेत्रीय कला रूप **उपेक्षित एवं अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित** बने हुए हैं।

भारत की लोक परंपराओं के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिये कई पहल की जा सकती हैं:

- **शिक्षा में एकीकरण:** जागरूकता और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिये **स्कूल के पाठ्यक्रमों** में लोक कला, रंगमंच एवं कथा-वाचन को शामिल करना।
- **सरकारी और संस्थागत सहायता: क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (ZCC) और संगीत नाटक अकादमी** जैसी योजनाओं के माध्यम से लोक कलाकारों के लिये **वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार** करना।
- **उत्सव पुनरुद्धार कार्यक्रम:** स्थानीय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सवों को आधुनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ **पारंपरिक लोक प्रदर्शन भी प्रदर्शित करने के लिये प्रोत्साहित करना।**

निष्कर्ष:

लोक परंपराएँ केवल **मनोरंजन के साधन नहीं** हैं; बल्कि ये **जीवंत सांस्कृतिक विरासत** हैं जो पीढ़ियों को भारत के समृद्ध इतिहास, पौराणिक कथाओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ती हैं। संरक्षण और संवर्द्धन के सक्रिय प्रयासों से लोक परंपराएँ फलती-फूलती रहेंगी तथा भारत के अतीत व भविष्य के बीच सेतु का काम करेंगी।

प्रश्न : "साँची स्तूप भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत और विकसित हो रही स्थापत्य शैली का प्रमाण है।" इसके ऐतिहासिक महत्त्व, कलात्मक विशेषताओं और इसके विकास में विभिन्न राजवंशों के योगदान पर चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- साँची स्तूप के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- इसके ऐतिहासिक महत्त्व और कलात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
- इसके विकास में राजवंशों के योगदान पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में **सम्राट अशोक द्वारा निर्मित साँची स्तूप,** भारत की सबसे पुरानी शैल संरचनाओं में से एक है और **बौद्ध दर्शन, स्थापत्य शैली के विकास एवं राजवंशीय संरक्षण** का एक **उल्लेखनीय प्रतीक** है।

- **1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में अंकित, यह कई शताब्दियों से बौद्ध धर्म और भारतीय कला इतिहास की समन्वित विरासत को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

ऐतिहासिक महत्त्व

- इसका निर्माण **अशोक (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) द्वारा** बौद्ध धर्म अपनाने के बाद **बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिये** किया गया था।
  - जिसकी देखरेख अशोक की रानी **देवी** और बेटी **विदिशा** द्वारा की गई, जो प्रारंभिक राजसी और स्थानीय व्यापारिक संरक्षण को दर्शाती है।
- यह स्तूप स्मारकीय वास्तुकला के माध्यम से **बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार** के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
  - 12वीं शताब्दी ई. तक यह **बौद्ध शिक्षा और कला का केंद्र** था, हालाँकि बुद्ध कभी यहाँ नहीं आये।
  - इसमें **अशोक का शिलालेख** है, जो बौद्ध संघ में एकता बनाए रखने के प्रयासों का प्रतीक है
- **वर्ष 1818** में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर द्वारा इसकी पुनः खोज़ की गई; 20वीं सदी के प्रारंभ में सर **जॉन मार्शल द्वारा उत्खनन और पुनरुद्धार** किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कलात्मक और स्थापत्य विशेषताएँ

- **स्तूप के संरचनात्मक घटक**
  - **अण्ड:** अर्द्धगोलाकार गुंबद जो मेरु पर्वत का प्रतीक है, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं।
  - **हर्मिका:** गुंबद के ऊपर वर्गाकार जंगला जो **देवताओं के निवास का प्रतीक** है।
  - **छत्री: यस्ती** (केंद्रीय स्तंभ) के ऊपर बनी त्रि-छत्रीय संरचना, जो **बौद्ध धर्म के तीन रत्नों का प्रतिनिधित्व** करती है।
  - **मेधी और प्रदक्षिणापथ:** अनुष्ठानिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिये उठा हुआ प्रदक्षिणा पथ और गोलाकार वेदिका।
  - **प्राकार (जंगला):** स्तूप को एक दीवार (प्राकार) से घेरा गया था। यह दीवार बाह्य संसार से स्तूप को पृथक् कर इसे एक पवित्र स्थल के रूप में सुरक्षित करती थी।

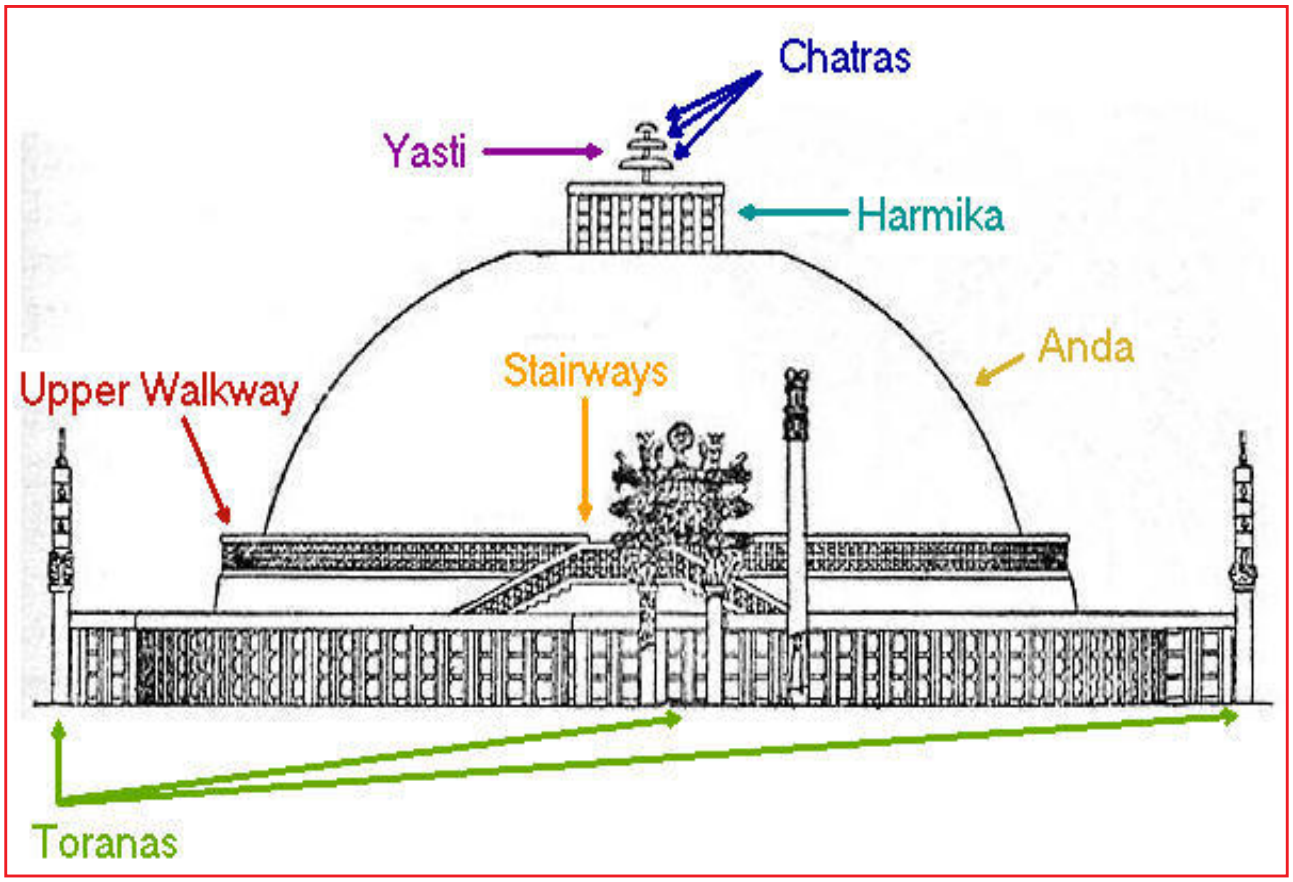

- **तोरण (प्रवेश द्वार):**
  - इसे **सातवाहनों के शासनकाल में पहली शताब्दी ई.पू.** में जोड़ा गया।
  - चार प्रवेशद्वार **मुख्य दिशाओं में संरेखित** हैं, जिन पर समृद्ध नक्काशी की गई है:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जातक कथाएँ** और **बुद्ध के जीवन की घटनाएँ** (जैसे: महाप्रयाण, ज्ञान प्राप्ति)।
- **प्रकृति रूपांकनों और पौराणिक आकृतियाँ** (हाथी, शेर, शालभंजिका यक्षी)।
- **बोधि वृक्ष, पदचिह्नों** और **सिंहासन** जैसे प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध का **अलौकिक प्रतिनिधित्व।**

- **दार्शनिक चरण:**
  - **ऊपरी बीम: सात मानुषी बुद्ध**
  - **मध्य: महान प्रस्थान**
  - **निचला भाग: अशोक का बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति।**

तकनीकी और कलात्मक योग्यता

- उच्च **तकनीकी कुशलता** और **कथा वाचन की गहनता के साथ बलुआ पत्थर** पर उत्कीर्णित उत्कृष्ट आख्यान उद्धृतियाँ।
- बाद में **अमरावती और गांधार** में बौद्ध कला प्रभावित हुई।

इसके विकास में राजवंशों का योगदान

राजवंश/काल	योगदान
मौर्य (अशोक)	स्तूप का मुख्यत: ईंट से प्रारंभिक निर्माण, मध्य भारत में बौद्ध उपस्थिति की स्थापना।
शुंग राजवंश (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व)	शैल विस्तार, चपटे गुंबद का निर्माण, हर्मिका, छत्री और प्रदक्षिणा पथ का निर्माण। संभवत: पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र द्वारा पुनर्निर्माण।
सातवाहन राजवंश (प्रथम शताब्दी ई.पू.)	चार शैल तोरणों का निर्माण, परिपक्व मूर्तिकला और प्रतीकात्मक कथा कारिता का उदाहरण।
गुप्त काल (चौथी-छठी शताब्दी ई.)	शंखलिपि (शंख के आकार की ब्राह्मी लिपि) में शिलालेखों का संयोजन; इस स्थल की आध्यात्मिक महत्ता में वृद्धि हुई।
भोपाल की बेगमें (19वीं सदी)	स्थल संरक्षण के लिये संरक्षण; औपनिवेशिक प्रशासन के तहत संरक्षण के लिये वित्तपोषण।

निष्कर्ष:

साँची स्तूप केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं है, बल्कि यह **भारत के सभ्यतागत लोकाचार,** राजवंशीय योगदान और **स्थापत्य परिष्कार का जीवंत इतिहास** है। **मौर्यकालीन शुरुआत से लेकर सातवाहन मूर्तियों और औपनिवेशिक संरक्षण प्रयासों तक, साँची भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की निरंतरता व लचीलेपन** को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : "सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण संस्थागत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।" RTI अधिनियम में हाल के संशोधनों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- RTI के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के समर्थन में प्रमुख तर्क दीजिये।
- RTI कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली प्रमुख संस्थागत चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- RTI कार्य ढाँचे को मजबूत करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारत के शासन में एक परिवर्तनकारी उपागम रहा है, जो निर्णय लेने में **पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी** सुनिश्चित करता है।

- हालाँकि, इसकी सफलता के बावजूद, **RTI के कार्यान्वयन को गंभीर संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है**, विशेष रूप से हाल के **विधायी संशोधनों और सूचना आयोगों की स्वायत्तता के कमज़ोर होने के कारण।**

मुख्य भाग:

RTI के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि:

- **लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और नागरिक सशक्तीकरण:** RTI ने सरकारी नीतियों, वित्तीय आवंटन और चुनावी फंडिंग की **सार्वजनिक जाँच को सक्षम किया है,** जिससे **भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा** मिला है।
- **भ्रष्टाचार से लड़ना: आदर्श हाउसिंग घोटाला** और **कोलगेट** जैसे बड़े घोटालों को RTI का उपयोग करके उजागर किया गया, जिससे अनियमितताओं को उजागर करने में इसकी भूमिका का पता चला।
- **कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** RTI का उपयोग **MGNREGA** जैसी **योजनाओं में धन के उपयोग पर नज़र रखने के लिये** किया गया है, जिससे मज़दूरी भुगतान में धोखाधड़ी और फर्जी जॉब कार्डों का खुलासा हुआ है।
- **मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को कायम रखना: इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में भ्रष्टाचार** को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **मीडिया और व्हिसल-ब्लोअर्स को सशक्त बनाना:** RTI के माध्यम से खोज़ी पत्रकारिता और नागरिक सक्रियता को प्रबल किया गया है, जिससे **मुक्त अभिव्यक्ति और जवाबदेही को बढ़ावा** मिला है।

RTI कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ:

- **विधायी संशोधनों के माध्यम से स्वायत्तता में कमी**
  - RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने **केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की शक्ति** प्रदान की, जिससे उनकी स्वायत्तता कम हो गई।
    - डिजिटल **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने RTI की धारा 8(1) में संशोधन किया,** जिससे सार्वजनिक हित के मामलों में भी सभी **व्यक्तिगत डेटा को प्रकटीकरण से छूट** मिल गई।
  - इससे **सरकारी अधिकारियों, चुनावी बॉण्ड और सार्वजनिक खरीद के बारे में सूचना की सुलभता सीमित** हो गई है, जिससे **पारदर्शिता बाधित** हुई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सूचना आयोगों का कमज़ोर होना**
  - RTI अपीलों के लिये जिम्मेदार **केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)** और **राज्य सूचना आयोग (SIC)** गंभीर रिक्तियों, धन की कमी एवं राजनीतिक प्रभाव से **ग्रस्त** हैं।
    - कई **राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय** बने हुए हैं, जबकि **CIC** 11 स्वीकृत सदस्यों में से केवल 3 के साथ कार्यरत रहा है।
- **प्रशासनिक प्रतिरोध और गैर-अनुपालन**
  - लोक सेवक प्राय: अपनी अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के उजागर होने के डर से **सूचना देने में विलंब** करते हैं या उसे **देने से मना** कर देते हैं।
    - सत्र 2023-24 में CIC के पास दायर की गई **लगभग 42% RTI अपीलें बिना सुनवाई के वापस** कर दी गईं, जो प्रणालीगत गैर-अनुपालन को दर्शाता है।
- **RTI कार्यकर्त्ताओं और मुखबिरों को धमकियाँ**
  - **RTI कार्यकर्त्ताओं को शारीरिक हमलों और कानूनी उत्पीड़न सहित गंभीर धमकियों का सामना** करना पड़ता है, जिससे नागरिक **सूचना मांगने से हतोत्साहित** होते हैं।
    - **वर्ष 2006 से अब तक** भूमि सौदों, खनन और कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले **99 RTI कार्यकर्त्ताओं की हत्या** कर दी गई है और **180 पर हमला** किया गया है।
  - **व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014,** जिसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना था, अब तक बड़े पैमाने पर क्रियान्वित नहीं किया गया है, जिससे कार्यकर्त्ता असुरक्षित हैं।

RTI कार्यढाँचे को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **सूचना आयोगों की स्वायत्तता बहाल करना**
  - सूचना आयुक्तों के लिये **निश्चित कार्यकाल और स्वतंत्र वेतन संरचना** बहाल करने के लिये **RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019** में संशोधन किया जाना चाहिये।
  - लंबित मामलों को निपटाने के लिये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर **सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति** सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **छूट और अतिव्यापी कानूनों को लागू करना**
  - **सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923** में संशोधन कर **इसे RTI सिद्धांतों के अनुरूप** बनाया जाजाना चाहिये, जिससे **गैर-संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता** सुनिश्चित होगी।
    - RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची की **समय-समय पर समीक्षा** की जानी चाहिये तथा **यह भी आकलन किया जाना चाहिये कि कौन-सी छूट प्राप्त एजेंसियाँ गैर-संवेदनशील डेटा का खुलासा कर सकती हैं।**
- **RTI कार्यकर्त्ताओं और मुखबिरों की सुरक्षा**
  - **गुमनाम शिकायतों और आपातकालीन सुरक्षा तंत्र** के प्रावधानों के साथ **व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को** पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये।
    - **RTI कार्यकर्त्ताओं पर हमलों से संबंधित मामलों** की त्वरित अदालती सुनवाई से सख्त रोकथाम संभव होगी।
- **सार्वजनिक जागरूकता और डिजिटल अभिगम को बढ़ावा**
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक रेडियो और स्थानीय शासन निकायों का उपयोग करके **देशव्यापी RTI जागरूकता अभियान** चलाए जाने चाहिये।
  - नागरिकों को बेहतर RTI आवेदन तैयार करने और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने में मदद करने के लिये **AI-संचालित सहायता के साथ e-RTI पोर्टलों** को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बना हुआ है, जो नागरिकों को सरकार के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिये सशक्त बनाता है। **RTI पारदर्शिता और सुशासन के लिये एक शक्तिशाली साधन** बना रहे, इसके लिये **सुदृढ़ विनियामक तंत्र, सक्रिय प्रकटीकरण और मुखबिरों की बेहतर सुरक्षा** महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की प्रभावकारिता का परीक्षण कीजिये। क्या इसने भारत के संघीय संरचना को सुदृढ़ किया है? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में NIA की प्रभावकारिता पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- NIA ने भारत के संघीय संरचना को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की स्थापना **NIA अधिनियम, 2008 के तहत 26/11 मुंबई हमलों के बाद** भारत की प्रमुख **आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में** कार्य करने के लिये की गई थी।

- हालाँकि NIA **आतंकवाद से निपटने में प्रभावी** रही है, लेकिन इसकी बढ़ती शक्तियों (विशेष रूप से वर्ष 2019 के संशोधन के बाद) ने **भारत के संघीय संरचना पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ** बढ़ा दी हैं।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में NIA की प्रभावकारिता:

- **आतंकवाद-रोधी तंत्र को मज़बूत करना**
  - इसने अपनी **स्थापना के बाद से 640 मामले दर्ज** किये हैं तथा **147 मामलों में 95.23% की सजा दर दर्ज** की है, जिनका निर्णय न्यायालयों द्वारा किया गया है।
    - वर्ष 2019 के **संशोधन के तहत अधिकार क्षेत्र के विस्तार** ने NIA को **भारतीय सीमाओं से परे मामलों की जाँच करने का अधिकार** दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयासों को बल मिलेगा।
- **जाँच और अभियोजन क्षमताओं को बढ़ाना**
  - **राँची और जम्मू** की विशिष्ट अदालतों सहित **51 विशेष NIA न्यायालयों की स्थापना** से **आतंकवाद से संबंधित मामलों में तेज़ी से सुनवाई** सुनिश्चित हुई है।
    - राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन एवं विश्लेषण केंद्र **(NTDFAC) के माध्यम से उन्नत फोरेंसिक तकनीकों** और **बिग डेटा एनालिटिक्स** के उपयोग से **जाँच दक्षता में वृद्धि** हुई है।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली मुद्रा नेटवर्क से निपटना**
  - **आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली मुद्रा की जाँच** के लिये **नोडल एजेंसी** के रूप में, NIA ने आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले **अवैध धन प्रवाह पर नकेल** कसी है।
    - **आतंकवाद वित्तपोषण और जाली मुद्रा (TFFC)** इकाई ने हवाला नेटवर्क को ध्वस्त करने और **आतंकवाद संबद्ध परिसंपत्तियों को ज़ब्त** करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **बांग्लादेश और नेपाल** के साथ संयुक्त कार्य बलों (JTF) के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सीमा पार वित्तीय अपराधों पर अंकुश** लगाने में मदद मिली है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार**
  - **26 देशों** के साथ **आतंकवाद-विरोध पर संयुक्त कार्य समूहों (JWG)** में भागीदारी से **खुफिया जानकारी साझा करने** और **प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुविधा** हुई है।
    - **वर्ष 2022 में 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) सम्मेलन** की मेज़बानी की, जिसमें **वैश्विक आतंकवादी वित्तपोषण खतरों पर चर्चा** करने के लिये **78 देश एवं 16 बहुपक्षीय संगठन** एक साथ आए।

NIA ने भारत के संघीय संरचना को सुदृढ़ किया है:

- **बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय:**
  - NIA जटिल आतंकवाद मामलों से निपटने में **राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता** करती है तथा **एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण** सुनिश्चित करती है।
    - राज्य पुलिस बलों के लिये क्षमता निर्माण पहल से **स्थानीय आतंकवाद-रोधी क्षमताओं में वृद्धि** होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शीघ्र जाँच और परीक्षण:**
  - विशेष NIA न्यायालयों की स्थापना से **अभियोजन में विलंब कम हुआ** है।
    - मानकीकृत जाँच प्रोटोकॉल आतंकवाद से संबंधित मामलों से निपटने में **स्थिरता और दक्षता** सुनिश्चित करते हैं।
- **आतंकवादी मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी:**
  - आतंकवाद के मामले प्राय: **सीमापार और अंतर-राज्यीय** होते हैं, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों से बचने के लिये NIA जैसी **केंद्रीकृत एजेंसी की आवश्यकता** होती है।

हालाँकि, संघवाद के क्षरण को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं:

- **राज्य सरकारों को दरकिनार करना:**
  - वर्ष 2019 का संशोधन NIA को **राज्य की सहमति के बिना राज्य पुलिस से मामले अपने हाथ में लेने की अनुमति** देता है, जिससे **राज्य की स्वायत्तता कम** हो जाती है।
    - **NIA** राज्य सरकार की मंजूरी के बिना **आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी परिसंपत्तियों को ज़ब्त कर सकती है।**
- **सत्ता का अति-केंद्रीकरण:**
  - NIA किन मामलों की जाँच करेगी, इसका **निर्णय अकेले केंद्र सरकार** करती है, जिससे **मामलों के चयन में राजनीतिक पूर्वाग्रह की चिंताएँ** उत्पन्न होती हैं।
    - **स्वतंत्र निगरानी के अभाव से सत्ता के दुरुपयोग** का खतरा बढ़ जाता है।
- **राज्य कानून प्रवर्तन की सीमित भूमिका:**
  - राज्य के मामलों में **NIA का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्थानीय कानून प्रवर्तन को कमज़ोर करता है,** जिससे **संघीय जिम्मेदारियों में असंतुलन** उत्पन्न होता है।
    - CBI के विपरीत, जिसे जाँच के लिये **राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता** होती है, NIA अधिनियम के तहत **NIA को एकतरफा अधिकार प्राप्त है।**

निष्कर्ष:

NIA ने उच्च दोषसिद्धि दर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उन्नत जाँच उपकरणों के माध्यम से **भारत के आतंकवाद-रोधी कार्यढाँचे को महत्त्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया** है। हालाँकि, जाँच में सीमित राज्य प्राधिकरण से उत्पन्न **संघवाद पर चिंताओं को अच्छी तरह से संरचित संस्थागत सुधारों और बढ़ी हुई जवाबदेही तंत्रों** के माध्यम से कम किया जा सकता है।

प्रश्न : भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों और प्रथाओं का परीक्षण कीजिये। इन दोनों लोकतंत्रों के संवैधानिक दृष्टिकोण अपनी न्यायपालिकाओं को सशक्त बनाने में किस प्रकार भिन्न हैं? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर प्रस्तुत दीजिये।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत एवं अभ्यास पर चर्चा कीजिये।
- संवैधानिक दृष्टिकोण में भिन्नताओं पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

न्यायिक समीक्षा **न्यायपालिका की विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति** है। यद्यपि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में न्यायिक समीक्षा को बनाए रखते हैं, फिर भी **दायरे, अभ्यास और संवैधानिक आधार के संदर्भ में** दोनों राष्ट्रों के **दृष्टिकोण काफी भिन्न** हैं।

मुख्य भाग:

भारत में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत और अभ्यास

- **संवैधानिक आधार:** भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 143, 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा** का प्रावधान है।
- **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया:** भारतीय न्यायपालिका **'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का पालन** करती है, तथा **केवल मूल आधारों** (जैसे: विधायिका की क्षमता, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन) **पर ही समीक्षा की अनुमति** देती है, न कि कानून की तर्कसंगतता या बुद्धिमत्ता के आधार पर।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मूल संरचना सिद्धांत:** ***केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973)*** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **संसद** संविधान के **'मूल संरचना' में परिवर्तन नहीं** कर सकती है, जिससे संवैधानिक संशोधनों पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ जाता है।
- **न्यायिक सक्रियता पर अंकुश:** यद्यपि भारतीय न्यायालयों ने ***ओल्गा टेलिस*** और ***विशाखा*** **जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका** निभाई है, न्यायपालिका एक **सर्वोच्च विधायिका के रूप में कार्य नहीं** करती है। यह कानून बनाने से बचती है तथा व्याख्या एवं प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत और अभ्यास:

- **उत्पत्ति और आधार:** यद्यपि अमेरिकी संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा ***मार्बरी बनाम मैडिसन (वर्ष 1803)*** मामले में **न्यायिक समीक्षा को दृढ़ता से स्थापित** किया गया था।
- **विधि की उचित प्रक्रिया:** अमेरिकी संविधान **5वें और 14वें संशोधन के माध्यम से, 'विधि की उचित प्रक्रिया' का प्रावधान** करता है, जिससे न्यायालयों को कानूनों की मूल एवं प्रक्रियात्मक निष्पक्षता दोनों की जाँच करने का अधिकार मिलता है।
- **न्यायिक सर्वोच्चता:** अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय व्यवहार में ***'सुपर लेजिस्लेटिव'*** के रूप में कार्य करता है। यह **संघीय और राज्य कानूनों को रद्द** कर सकता है और **कानून** (न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून) **के बल पर निर्णय भी कर सकता है।**
- **सशक्त न्यायिक समीक्षा:** अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्राय: सशक्त और सक्रिय होती है, जो **सामाजिक-आर्थिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा** करती है। *मिरांडा बनाम एरिज़ोना* और *यूनाइटेड स्टेट्स बनाम निक्सन* जैसे मामले इस अभ्यास के उदाहरण हैं।

संवैधानिक दृष्टिकोण में अंतर: भारत बनाम अमेरिका

पहलू	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
अस्तित्व	निहित (मारबरी बनाम मैडिसन)	प्रावधान (अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि)
दायरा	व्यापक– प्रक्रियात्मक और मूल दोनों	सीमित– केवल मूल आधार
संशोधनों की समीक्षा	किसी भी कानून या संशोधन को रद्द कर सकते हैं	बुनियादी अवसंरचना का उल्लंघन करने तक सीमित
न्यायिक सर्वोच्चता	न्यायपालिका 'तृतीय सदन' के रूप में कार्य करती है	संसदीय संप्रभुता के साथ संतुलित
कानून बनाना	न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून आम हैं	कानून बनाने का काम विधायिका को दिया गया

निष्कर्ष:

यद्यपि **भारत और अमेरिका दोनों ही न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक शासन की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में मान्यता देते हैं,** फिर भी इनके दर्शन और व्यवहार में काफी अंतर है। **अमेरिका** सख्त समीक्षा के साथ **न्यायिक सर्वोच्चता के मॉडल का पालन** करता है, **जबकि भारत संवैधानिक सीमाओं के आधार पर एक संतुलित दृष्टिकोण** का पालन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : हाल के दिनों में भारत-मालदीव संबंधों में उतार-चढ़ाव हुए हैं, जिसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर भी पड़ा है। भारत के लिये मालदीव के सामरिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिये और विकसित हो रही भू-राजनीतिक गतिशीलता के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत और मालदीव संबंधों के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के लिये मालदीव का सामरिक महत्त्व बताइये।
- भारत-मालदीव संबंधों को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

भारत और मालदीव के बीच गहरे **ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंध** हैं। हालाँकि, **भू-राजनीतिक बदलावों** (चीन का बढ़ता प्रभाव) और **घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों** (वर्ष 2022 में **इंडिया आउट** अभियान) के कारण उनके संबंधों में हाल के उतार-चढ़ाव ने क्षेत्रीय स्थिरता एवं सहयोग को प्रभावित किया है।

मुख्य भाग:

भारत के लिये मालदीव का सामरिक महत्त्व:

- **भू-राजनीतिक महत्त्व**
  - **भौगोलिक रूप से भारत से निकटता:** भारत के **लक्षद्वीप द्वीप समूह के निकट स्थित** मालदीव भारत की समुद्री सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **समुद्री व्यापार मार्ग:** मालदीव प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है जो वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें मध्य पूर्व से भारत का ऊर्जा आयात भी शामिल है।
    - **ऐट डिग्री चैनल** और **वन-एंड-अ-हाफ डिग्री चैनल** समुद्री यातायात की निगरानी, समुद्री डकैती को रोकने और बाह्य खतरों का मुकाबला करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग**
  - **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** भारत और मालदीव सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करने के लिये **एकुवेरिन, दोस्ती** व **एकता** जैसे **संयुक्त सैन्य अभ्यास** आयोजित करते हैं।
  - **सामरिक अवसंरचना:** भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये तटीय रडार प्रणाली विकसित की है और **उथुरु थिला फल्हू (UTF) नौसैनिक बंदरगाह** का निर्माण किया है।
  - **प्रथम मोचनकर्त्ता की भूमिका:** भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव के संकटों में प्रथम मोचनकर्त्ता रहा है, जैसे **ऑपरेशन कैक्टस (वर्ष 1988)** और **ऑपरेशन नीर (वर्ष 2014)**।
- **आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग**
  - **पर्यटन और व्यापार:** भारत वर्ष 2020-2023 तक मालदीव के लिये पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने इसकी **अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान** दिया।
    - द्विपक्षीय व्यापार में भी वृद्धि हुई है तथा भारत वर्ष 2023 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है।
  - **बुनियादी अवसंरचना विकास:** ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) **मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजना** है।
    - अन्य परियोजनाओं में हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास शामिल है।
- **चीन के प्रभाव का प्रतिकार**
  - **चीन की सामरिक उपस्थिति:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में भागीदारी सहित मालदीव में चीन के निवेश ने भारत पर ऋण निर्भरता और सामरिक घेरेबंदी के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
  - **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति:** चीनी वित्त पोषित परियोजनाएँ, जैसे सिनामाले ब्रिज और बंदरगाह विकास, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत देती हैं।

भारत-मालदीव संबंधों में चुनौतियाँ:

- **मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता:**
  - नेतृत्व में बदलाव प्राय: मालदीव की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के चीन समर्थक रुख के कारण भारत की भागीदारी कम हुई है।
  - **'इंडिया आउट' अभियान (वर्ष 2022-23)** में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को प्रतिबिंबित किया गया, जिसमें भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस जाने की मांग की गई।
- **बढ़ता चीनी प्रभाव:**
  - चीन की BRI में मालदीव की भागीदारी और बढ़ते चीनी निवेश से बीजिंग पर रणनीतिक निर्भरता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
  - वर्ष 2017 **मालदीव-चीन मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** और हालिया चीन-मालदीव पर्यटन सहयोग गठबंधनों में बदलाव का संकेत देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सुरक्षा खतरे:**
  - कट्टरपंथी तत्त्वों की उपस्थिति तथा पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूहों का संभावित बाह्य प्रभाव भारत और मालदीव दोनों के लिये सुरक्षा जोखिम खड़े करता है।
  - हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ भारत के सामरिक हितों के लिये चुनौती बन रही हैं।
- **भारतीय पर्यटन में गिरावट:**
  - वर्ष 2024 में मालदीव के अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद उत्पन्न कूटनीतिक विवाद के कारण भारतीय पर्यटकों के आगमन में गिरावट आई।
  - चीन और ब्रिटेन जैसे अन्य बाज़ारों से प्रतिस्पर्द्धा ने मालदीव में भारत की आर्थिक स्थिति को कम कर दिया है।

भारत-मालदीव संबंधों को मज़बूत करने के उपाय:

- **कूटनीतिक और राजनीतिक जुड़ाव**
  - **उच्च स्तरीय वार्ता:** लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं और सामरिक वार्ताओं के माध्यम से कूटनीतिक पहुँच को मज़बूत किया जा सकता है।
  - **द्विपक्षीय समझौते:** भारत की रणनीतिक भूमिका को बनाए रखने के लिये रक्षा, व्यापार और बुनियादी अवसंरचना पर प्रमुख समझौतों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा और सामरिक सहयोग**
  - **रक्षा अवसंरचना विकास:** UTF हार्बर परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में तेज़ी लाने की आवश्यकता है और सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जाना चाहिये।
  - **उन्नत समुद्री निगरानी:** बाह्य खतरों का मुकाबला करने के लिये नौसैनिक सहयोग और खुफिया जानकारी साझाकरण को मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - **त्रिपक्षीय सहयोग:** त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा पहल में मालदीव और श्रीलंका को शामिल किया जाना चाहिये।
- **आर्थिक एवं अवसंरचना सहायता**
  - **निवेश में विविधता लाना:** पर्यटन के अलावा मालदीव के आर्थिक क्षेत्रों जैसे मात्स्यिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - **कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेज़ी लाना:** ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना और अन्य महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **चीन के प्रभाव का प्रतिकार**
  - **ऋण राहत और वित्तीय सहायता:** मालदीव को चीनी ऋण पर निर्भरता कम करने में सहायता के लिये वैकल्पिक वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिये।
  - **सामरिक क्षेत्रीय साझेदारी:** हिंद महासागर RIM एसोसिएशन (IORA) और अन्य बहुपक्षीय मंचों में मालदीव की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में **भारत का एक प्रमुख सामरिक साझेदार** है। हालाँकि द्विपक्षीय संबंधों में हाल के उतार-चढ़ाव ने चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, लेकिन भारत को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिये व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

प्रश्न : भारत के परमाणु सिद्धांत और समकालीन भू-राजनीतिक परिवेश में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। बदलती वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता को देखते हुए क्या भारत को अपनी 'नो-फर्स्ट-यूज़' नीति को संशोधित करने पर विचार करना चाहिये? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत बताते हुए वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत के परमाणु सिद्धांत की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिये।
- NFU को संशोधित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिये।
- भारत की परमाणु नीति को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय

भारत का परमाणु सिद्धांत इसकी **नो-फर्स्ट-यूज़ (NFU) नीति और विश्वसनीय न्यूनतम अपरोध (CMD) पर आधारित** है, जो **क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता** सुनिश्चित करता है।

- **वर्ष 1998** में आधिकारिक तौर पर स्वयं को **परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र** घोषित करने के बाद से **भारत ने रक्षात्मक रुख अपनाया** है तथा **आक्रामकता की बजाय प्रतिरोध पर ज़ोर दिया** है।

मुख्य भाग:

भारत का परमाणु सिद्धांत: प्रमुख सिद्धांत

- **नो-फर्स्ट-यूज़ (NFU) नीति:** भारत ने **परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा** की है, **जब तक कि उस पर पहले परमाणु हमला न किया जाए।**
- **विश्वसनीय न्यूनतम अपरोध (CMD):** भारत के पास अपरोध के लिये **पर्याप्त परमाणु शस्त्रागार** है, **लेकिन आक्रामक रुख के लिये नहीं।**
- **व्यापक जवाबी कार्रवाई:** भारत या उसकी सेनाओं पर कोई भी परमाणु हमला **व्यापक जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित** करेगा, जिससे **अस्वीकार्य क्षति** होगी।
- **गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग न करना:** भारत **गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने के लिये प्रतिबद्ध** है।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत के परमाणु सिद्धांत की प्रासंगिकता

- **निरस्त्रीकरण समर्थन के साथ परमाणु-अपरोध को संतुलित करना:** भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD), संयुक्त राष्ट्र (UN) और IAEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण के लिये समयबद्ध कार्यढाँचे का आह्वान** करता है।
- हालाँकि, वर्ष 2023 तक भारत के पास **लगभग 160 परमाणु हथियार थे तथा K-4 जैसी पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM)** सहित इसका **निरंतर आधुनिकीकरण**, अप्रसार का समर्थन करते हुए भी **परमाणु-अपरोध को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता का संकेत** देता है।
- **चीन-पाकिस्तान परमाणु धुरी का प्रबंधन:** भारत को **चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर परमाणु खतरे का सामना** करना पड़ रहा है, जिससे **परमाणु-अपरोध एक रणनीतिक आवश्यकता** बन गई है।
  - चीन तेज़ी से अपने **परमाणु त्रिकोण, हाइपरसोनिक मिसाइलों और MIRV क्षमताओं का आधुनिकीकरण** कर रहा है, जिससे **भारत की सुरक्षा के लिये चिंताएँ** बढ़ रही हैं।
  - पाकिस्तान की **पूर्ण-स्पेक्ट्रम अपरोध नीति में कम क्षमता वाले TNW** शामिल हैं, जिनका उपयोग पारंपरिक संघर्षों में किया जा सकता है, जो **भारत के व्यापक जवाबी हमले के सिद्धांत को चुनौती** देता है।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और परमाणु-अपरोध का भविष्य: हाइपरसोनिक हथियारों, साइबर वॉर और AI-संचालित परमाणु कमांड प्रणालियों** की शुरूआत भारत की परमाणु स्थिति के लिये नई चुनौतियाँ पेश करती है।
  - वर्ष 2019 के **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र साइबर हमले** ने भारत के परमाणु बुनियादी अवसंरचना की कमज़ोरियों को प्रदर्शित किया।

क्या भारत को अपनी नो-फर्स्ट-यूज़ (NFU) नीति में संशोधन करना चाहिये?

NFU को संशोधित करने के पक्ष में तर्क	NFU को संशोधित करने के विरुद्ध तर्क
1. पाकिस्तान के सामरिक परमाणु हथियारों के अनुकूल होना- पाकिस्तान के सामरिक परमाणु हथियार परमाणु सीमा को कम करते हैं, जिससे भारत की बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कम विश्वसनीय हो जाती है। लचीला रुख अपरोध को मज़बूत कर सकता है।	1. भारत की जिम्मेदार छवि- NFU भारत की वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है और कूटनीतिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

2. चीन के परमाणु विस्तार का मुकाबला करना- चीन का बढ़ता शस्त्रागार और इंडो-पैसिफिक में उसकी आक्रामकता भारत की प्रतिरोधक क्षमता को चुनौती देती है। एक अधिक अस्पष्ट सिद्धांत अपरोधक क्षमता को प्रबल कर सकता है।	1. दक्षिण एशियाई हथियारों की दौड़ से बचना- NFU से दूर जाने से पाकिस्तान अधिक आक्रामक परमाणु रुख अपना सकता है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है।
3. रणनीतिक संकेत - एक लचीली परमाणु नीति, विरोधियों को यह मानने से रोकती है कि भारत की प्रतिक्रिया हमेशा संयमित होगी, जिससे गलत अनुमानों में कमी आएगी।	3. सेकंड स्ट्राइक को दृढ़ करना - NFU को संशोधित करने के बजाय, भारत विभिन्न तरीकों से अपरोध को दृढ़ कर सकता है।

भारत की परमाणु रणनीति को सुदृढ़ करना:

- **भारत के परमाणु-अपरोध का आधुनिकीकरण**
  - द्वितीय-आक्रमण क्षमता को बढ़ाने के लिये **मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (MIRV) का विकास** किया जाना चाहिये।
  - सुनिश्चित प्रतिरोध के लिये **भारत के पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) कार्यक्रम को आगे बढ़ाया** जाना चाहिये।
- **रणनीतिक संचार और अस्पष्टता को बढ़ाना**
  - NFU को बरकरार रखने की आवश्यकता है, लेकिन अपरोध लचीलेपन को बढ़ाने के लिये **रणनीतिक अस्पष्टता लागू** किया जाना चाहिये।
  - **परमाणु जवाबी कार्रवाई के लिये शर्तें स्पष्ट** की जानी चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विरोधी भारत के सिद्धांत का फायदा न उठा सकें।
- **वैश्विक शस्त्र नियंत्रण में भारत की कूटनीतिक भागीदारी का विस्तार**
  - चीन और पाकिस्तान को समान परमाणु संयम व्यवस्था में लाने के लिये **बहुपक्षीय नो फर्स्ट यूज़ (NFU) संधि का समर्थन** किया जाना चाहिये।
  - परमाणु अप्रसार मानदंडों को आकार देने के लिये **NSG, IAEA और वैश्विक हथियार नियंत्रण पहल के साथ जुड़ाव** को मज़बूत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

यद्यपि **फर्स्ट-यूज़ (FU) नीति अपनाने से तनाव बढ़ने का खतरा** बढ़ सकता है, किंतु **सेकंड स्ट्राइक क्षमताओं को सुदृढ़ करना, रणनीतिक अस्पष्टता को बढ़ाना** तथा **परमाणु अपरोध को आधुनिक बनाना** अधिक संतुलित और उत्तरदायी दृष्टिकोण होगा।

प्रश्न : 21वीं सदी में अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी के भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक आयामों का परीक्षण करके दोनों देशों के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये अफ्रीका के महत्त्व के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- साझेदारी के भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक आयाम बताइये।
- भारत-अफ्रीका साझेदारी में प्रमुख बाधाओं को उजागर करते हुए साझेदारी को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

21वीं सदी में अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव ऐतिहासिक एकजुटता से **पारस्परिक रूप से लाभकारी विकासात्मक एवं रणनीतिक साझेदारी की ओर एक रणनीतिक बदलाव** को दर्शाता है।

- जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन विकसित हो रहा है, अफ्रीका एक **भू-आर्थिक अवसर** और **भू-राजनीतिक साझेदार** के रूप में उभर रहा है, जो **ऊर्जा सुरक्षा, बहुपक्षीय सुधार एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग** के लिये भारत की आकांक्षाओं का केंद्र है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

- **भू-आर्थिक आयाम**
  - महत्त्वपूर्ण खनिज और रणनीतिक संसाधन
    - अफ्रीका में **वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज भंडार का 30% हिस्सा** मौजूद है, जो भारत के **EV लक्ष्यों (वर्ष 2030 तक 30% EV)** और स्वच्छ ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - **ज़िम्बाब्वे (लिथियम), दक्षिण अफ्रीका (प्लैटिनम समूह धातु), DRC (कोबाल्ट)** प्रमुख हैं।
    - भारत को अपने **क्रिटिकल मिनरल्स मिशन** को अफ्रीका के 'खदान-से-बंदरगाह-तक' से आगे **मूल्य-संवर्द्धित औद्योगिकीकरण** के प्रयासों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।
  - व्यापार और बाज़ार अभिगम
    - द्विपक्षीय व्यापार **98 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2022-23) तक** पहुँच गया; खनिज और खनन का हिस्सा **43 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
    - AfCFTA **1.3 बिलियन का एकल बाज़ार** खोलता है, जो **भारत के निर्यात विविधीकरण का समर्थन** करता है।
  - ऊर्जा एवं बुनियादी अवसंरचना
    - अफ्रीका **भारत के तेल का 15% आपूर्ति** करता है (जैसे: नाइजीरिया, अंगोला)।
    - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत** भारत की 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता एनर्जी एक्सेस और भारत की जलवायु कूटनीति को आगे बढ़ाती है।
- **भू-राजनीतिक आयाम**
  - सामरिक और बहुपक्षीय संरेखण
    - अफ्रीका के 54 देश एक महत्त्वपूर्ण मतदान समूह हैं। भारत **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों** और **अफ्रीकी संघ की G20 सदस्यता** (वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्राप्त) **का समर्थन** करता है।
      - एक **मज़बूत साझेदारी बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करती है** और **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा** देती है।
  - समुद्री एवं सुरक्षा सहयोग
    - पूर्वी अफ्रीका **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के हितों के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
    - **IMT ट्रिलाट** (भारत-मोज़ाम्बिक-तंज़ानिया) और **सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती रोधी गश्त** जैसी पहल समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाती हैं।
  - प्रवासी संबंध
    - अफ्रीका में 30 लाख की संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासी सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाते हैं।
    - इस संबंध को **मजबूत करने के लिये प्रवासी भारतीय दिवस** जैसी पहलों ने अफ्रीकी भारतीयों पर ध्यान केंद्रित किया।

साझेदारी में प्रमुख बाधाएँ:

चुनौती	चित्रण
निवेश में विलंब	भारत चीन से पीछे है; उदाहरण के लिये, आर्सेलर मित्तल का सेनेगल से बाहर निकलना ($2.2 बिलियन की परियोजना)।
उत्पाद धारणा	गुणवत्ता संबंधी मुद्दे (जैसे: वर्ष 2022 गाम्बिया कफ सिरप त्रासदी) विश्वास को प्रभावित करते हैं।
क्षेत्रीय असंतुलन	पूर्व/दक्षिण अफ्रीका पर अत्यधिक ज़ोर; पश्चिमी अफ्रीका पर कम ध्यान।
निष्पादन चुनौतियाँ	परियोजना में विलंब (जैसे: रिवाटेक्स, केन्या) विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।
संसाधन प्रतिद्वंद्विता	ऊर्जा और खनिज परिसंपत्तियों में चीन (जिबूती उपस्थिति) के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

रणनीतिक तालमेल की ओर कदम:

- **सामरिक खनिज साझेदारी: भारत-अफ्रीका खनिज विकास कोष** द्वारा समर्थित खनन परिसंपत्तियों का सह-विकास।
- **डिजिटल एवं कौशल कूटनीति: 'अफ्रीका के लिये डिजिटल कौशल' की शुरुआत, IIT/IIM परिसरों की स्थापना** तथा **ITEC कार्यक्रमों का विस्तार।**
- **संतुलित क्षेत्रीय पहुँच:** लक्षित निवेश मिशनों के साथ **पश्चिम और मध्य अफ्रीका में सहभागिता** को व्यापक बनाना।
- **कृषि-तकनीक और नवाचार:** भारत के **e-NAM मॉडल की पुनरावृत्ति, भारत-अफ्रीकी मॉडल फार्म** बनाना और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

अफ्रीका अब **केवल नैतिक एकजुटता का भागीदार नहीं** है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक प्रभाव और सतत् विकास के लिये भारत की खोज़ में एक **रणनीतिक सहयोगी** है। **भू-आर्थिक रूप से सशक्त और भू-राजनीतिक रूप से संरेखित भारत-अफ्रीका साझेदारी** आपसी विकास को सुरक्षित करते हुए एक समावेशी वैश्विक व्यवस्था को आयाम दे सकती है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : "भारत में उच्च शिक्षा सुधार सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।" उच्च शिक्षा अभिगम और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिति के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- उच्च शिक्षा अभिगम और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में NEP-2020 की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- NEP- 2020 के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये तथा उच्च शिक्षा प्रणाली को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये।
- एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से **निम्न सकल नामांकन अनुपात (GER), संकाय की कमी, पुराने पाठ्यक्रम** और **अपर्याप्त उद्योग संपर्क** जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अभिगम, गुणवत्ता और समानता बढ़ाने के लिये संरचनात्मक सुधारों को लागू करके इन मुद्दों का समाधान करना है।

मुख्य भाग:

उच्च शिक्षा-अभिगम सुनिश्चित करने में NEP- 2020 की भूमिका:

- **सकल नामांकन अनुपात (GER) और समावेशिता में वृद्धि**
  - NEP- 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक **GER को 27.3% (AISHE- 2023) से बढ़ाकर 50%** करना है, जिससे उच्च शिक्षा तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित होगी।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से **लैंगिक समानता और सीमांत समूहों के समावेश** पर ज़ोर दिया गया है।
  - ग्रामीण और कामकाज़ी पेशेवरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL)** तथा **ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार** किया जाएगा।
- **बहु प्रवेश-निकास प्रणाली और शैक्षणिक लचीलापन**
  - **बहु प्रवेश-निकास विकल्पों** की शुरूआत से छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति से वंचित हुए बिना **उच्च शिक्षा में पुनः प्रवेश करने की सुविधा** मिलती है।
  - **ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** छात्रों को **विभिन्न संस्थानों में क्रेडिट संग्रहीत करने और अंतरित करने में सक्षम** बनाता है, जिससे अधिगम की निरंतरता सुनिश्चित होती है।
  - इन परिवर्तनों से **स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी** आएगी तथा **वंचित छात्रों और कार्यरत पेशेवरों के लिये उच्च शिक्षा** तक अभिगम में वृद्धि होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डिजिटल लर्निंग और एडटेक एकीकरण**
  - NEP- 2020 **SWAYAM, DIKSHA और PM eVidya** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा** देता है, बड़े पैमाने पर **ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC)** प्रदान करता है।
  - ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण विधियों को एकीकृत करके **हाइब्रिड शिक्षण मॉडल** को प्रोत्साहित करता है।
  - डिजिटल यूनिवर्सिटी अवधारणा का उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके **डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना** है।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में NEP- 2020 की भूमिका:

- **पाठ्यक्रम सुधार और बहुविषयक दृष्टिकोण**
  - NEP- 2020 **कठोर अनुशासन-आधारित शिक्षा को लचीले, बहु-विषयक दृष्टिकोण** से प्रतिस्थापित करता है।
  - **अंत:विषय विशेषज्ञता** और अनुसंधान घटकों के साथ **चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों** को प्रोत्साहित करता है।
  - योग, आयुर्वेद और दर्शन जैसे विषयों को आधुनिक विषयों के साथ एकीकृत करके **भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) को बढ़ावा** देना।
- **अनुसंधान और नवाचार को मज़बूत करना**
  - भारत के अनुसंधान उत्पादन में सुधार लाने तथा **अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण में वृद्धि** करने के लिये **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)** की स्थापना।
  - अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिये **शिक्षा-उद्योग सहयोग** को प्रोत्साहित करना।
  - अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने से भारत की **वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग** (वर्ष 2023 में 40वीं) **में सुधार** हो सकता है।
- **संकाय गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार**
  - पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन **(PMMMNMTT)** शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षणशास्त्र को प्रोत्साहित करता है।
  - **भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार** के माध्यम से संकाय की कमी को दूर किया जाएगा, साथ ही IIT, IIM व अन्य **संस्थानों में रिक्तियों को कम किया जाएगा।**
  - शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ **संकाय विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा** देना।

NEP- 2020 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- **शिक्षकों की कमी:** IIT में 40% तथा IIM में 31% **रिक्तियाँ शिक्षण की गुणवत्ता में बाधा डालती हैं।**
- **निम्न GER एवं असमानता:** ग्रामीण एवं सीमांत समुदाय अभी भी शिक्षा-अभिगम के मामले में संघर्ष कर रहे हैं।
- **अनुसंधान वित्तपोषण अंतराल:** भारत का **अनुसंधान एवं विकास व्यय** सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है, जो **वैश्विक 1.8% औसत से कम** है।
- **डिजिटल डिवाइड:** केवल 34% स्कूलों में इंटरनेट है, जिससे ऑनलाइन अधिगम के अवसर सीमित हो गए हैं।
- **उद्योग-अकादमिक संबंध विच्छेद: पुराने पाठ्यक्रम के कारण रोज़गार की दर 54.81% कम** है।

उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ़ करना**
  - अनुसंधान एवं विकास के लिये **वित्तपोषण को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाना** तथा अनुसंधान विकास के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।
  - विश्वविद्यालयों, उद्योगों और सरकारी संस्थानों को जोड़ते हुए **अनुसंधान एवं नवाचार क्लस्टर** स्थापित किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाना**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और **5G-संचालित वर्चुअल लर्निंग का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - **विश्वविद्यालयों को AI-संचालित शिक्षण उपकरणों** और डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संकाय भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार**
  - **वैश्विक संकाय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी वेतन** और अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाना चाहिये। निरंतर अधिगम के लिये **SWAYAM को संकाय विकास कार्यक्रमों** से जोड़ा जाना चाहिये।
- **उद्योग-अकादमिक सहयोग को मज़बूत करना**
  - उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालयों में **उत्कृष्टता केंद्र (CoE)** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - **इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप** को अनिवार्य डिग्री घटकों के रूप में लागू किया जाना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार**
  - सांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तर पर **भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
  - IIT मद्रास के ज़ांज़ीबार मॉडल का अनुसरण करते हुए अधिक **भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक परिसर स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 एक **ऐतिहासिक सुधार** है जिसका उद्देश्य **भारत की उच्च शिक्षा को सुलभ, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी** बनाना है। **बहु-विषयक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान निधि और विनियामक सरलीकरण** की शुरुआत करके, NEP- 2020 **भविष्य के लिये तैयार शिक्षा प्रणाली की नींव** रखती है।

प्रश्न : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाकलन कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिये।
- RPWD अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- RPWD अधिनियम, 2016 की प्रभावशीलता को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 को **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** को **प्रतिस्थापित करने के लिये अधिनियमित** किया गया था। इसने नि:शक्तता की परिभाषा को **7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियों तक** कर दिया, जिसमें **दिव्यांगजनों की गरिमा, गैर-भेदभाव और समावेश पर बल** दिया गया। हालाँकि, इसके प्रगतिशील प्रावधानों के बावजूद, **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ** बनी हुई हैं, जो **इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा** बन रही हैं।

मुख्य भाग:

RPWD अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त संसाधन आवंटन**
  - **संसदीय स्थायी समिति (सत्र 2022-23)** ने नि:शक्तता कार्यक्रमों के लिये **उप-इष्टतम बजट आवंटन** पर प्रकाश डाला।
  - कार्यक्रम घटकों के विस्तार के बावजूद, RPWD अधिनियम (SIPDA) के कार्यान्वयन के लिये **योजनाओं का बजट** सत्र 2016-17 और 2020-21 के दौरान **9% से भी कम** बढ़ा।
    - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत **दिव्यांगता पेंशन केवल 300-500 रुपए प्रति माह** है, जो बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए अपर्याप्त है।
- **समन्वय संबंधी मुद्दे और प्रशासनिक बाधाएँ**
  - **अंतर्विभागीय समन्वय में कमी** के कारण प्रमुख प्रावधानों, जैसे सुलभ बुनियादी अवसंरचना और नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित करने में विलंब हुआ है।
  - राज्य **समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्रस्तुत करने में विफल** रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजन कल्याण पहलों के लिये **केंद्रीय निधि संवितरण में विलंब** होता है।
    - कई दिव्यांगजनों को **कठोर दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं और प्रशासनिक अकुशलताओं** के कारण **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रोज़गार और आर्थिक हाशिये पर**
  - यद्यपि अधिनियम में **सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान** है, फिर भी रोजगार योग्य 1.3 करोड़ दिव्यांगों में से **केवल 34 लाख ही औपचारिक रोजगार में हैं।**
    - **कई कंपनियाँ** दिव्यांगता संबंधी नियुक्ति मानदंडों का पालन करने के बजाय **जुर्माना भरना पसंद करती हैं।**
  - अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी बहुत हद तक **अनियमित** है, जिससे दिव्यांगजनों के आर्थिक समावेशन की बहुत कम गुंजाइश है।
    - स्किल इंडिया और PMKVY के अंतर्गत **दिव्यांगजनों के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों की कमी** के कारण उनकी **रोज़गार संभावनाएँ सीमित** हो जाती हैं।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में बाधाएँ**
  - राष्ट्रीय फेलोशिप योजना एकमात्र शैक्षिक पहल है जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है, जबकि अन्य **दिव्यांग शिक्षा योजनाएँ अपर्याप्त वित्तपोषित और स्थिर बनी हुई हैं।**
    - **कई उच्च शिक्षा संस्थान समावेशी शिक्षण सामग्री, सहायक प्रौद्योगिकियाँ और सुलभ बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने में विफल** रहते हैं।
  - **स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों में शामिल हैं:**
    - **सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ** (जैसे: आयुष्मान भारत) पुनर्वास सेवाओं, सहायक उपकरणों या **दीर्घकालिक दिव्यांगता देखभाल को कवर नहीं करती** हैं।
    - दिव्यांगजनों के लिये **मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी अविकसित** हैं।
  - सामाजिक कलंक और भेदभाव
    - **गहरी जड़ें जमाए हुए सक्षमतावाद** के परिणामस्वरूप कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर **सामाजिक अपवर्जन** और **भेदभावपूर्ण रवैया** देखने को मिलता है।
    - **दिव्यांग महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना** करना पड़ता है- शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोज़गार तक उनकी **पहुँच सीमित** होती है (**केवल 23% दिव्यांग महिलाएँ काम करती हैं,** जबकि पुरुषों के लिये यह आंकड़ा 47% है)।
- **कमज़ोर निगरानी और जवाबदेही तंत्र**
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आयुक्त कार्यालय** में नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये **पर्याप्त स्वायत्तता और प्रवर्तन शक्तियों का अभाव** है।
    - भेदभाव या अधिकारों से वंचित होने का सामना करने वाले दिव्यांगजनों के लिये समयबद्ध **शिकायत निवारण तंत्र का अभाव** है।

RPWD अधिनियम, 2016 की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **बजट आवंटन और संसाधन उपलब्धता में वृद्धि**
  - विकलांगता अधिकार कार्यक्रमों के विस्तारित दायरे के अनुरूप **SIPDA के लिये वित्तीय आवंटन में** वृद्धि की जाएगी।
    - **मुद्रास्फीति-समायोजित** जीवन-यापन लागत को प्रतिबिंबित करने के लिये **विकलांगता पेंशन को संशोधित** किया जाना चाहिये।
  - **सहायक उपकरणों, पुनर्वास सेवाओं और डिजिटल सुलभता उपकरणों** के लिये **विशेष वित्तपोषण योजनाएँ** शुरू की जानी चाहिये।
- **समन्वय और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना**
  - राज्य स्तरीय निधि उपयोग पर नज़र रखने और समय पर निधि जारी करने को सुनिश्चित करने के लिये एक **केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल** बनाया जाना चाहिये।
  - दस्तावेज़ीकरण बाधाओं को कम करने के लिये **आधार और मौजूदा सरकारी डेटाबेस** के साथ एकीकृत करके **UDID पंजीकरण प्रक्रिया को** सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बुनियादी अवसंरचना और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की सुलभता में सुधार**
  - **सरकारी, वित्तीय और शैक्षिक डिजिटल सेवाओं** में **ICT एक्सेसिबिलिटी मानक IS 17802** के **सार्वभौमिक अनुपालन** को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी **सार्वजनिक परिवहन और शहरी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं** में दिव्यांगजनों के लिये सुलभ डिज़ाइन शामिल हों।
    - **सुगम्य भारत अभियान** का लक्ष्य **निजी आवास परियोजनाओं** को भी इसमें शामिल करना है।
- **समावेशी रोज़गार और कार्यस्थल नीतियों को बढ़ावा देना**
  - एक **राष्ट्रीय दिव्यांगता-समावेशी रोज़गार नीति लागू करने** की आवश्यकता है, जो अनिवार्य करे:
    - कौशल भारत और PMKVY के तहत **दिव्यांगजनों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण।**
    - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में **समावेशी नियुक्ति पर नज़र रखने के लिये दिव्यांगता रोज़गार सूचकांक।**
  - **दिव्यांगजनों को काम पर रखने वाले व्यवसायों को कर प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये तथा आरक्षण नीतियों का अनुपालन न करने पर दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- **सामाजिक कलंक के विरुद्ध विशेष अभियान और जागरूकता बढ़ाना:**
  - **स्कूलों, कार्यस्थलों और लोक प्रशासन** में **दिव्यांगता संवेदनशीलता प्रशिक्षण को** शामिल किया जाना चाहिये।
    - नकारात्मक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने के लिये **मीडिया में दिव्यांगता प्रतिनिधित्व पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों** को लागू किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 **दिव्यांग जनों के लिये समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम** है। यह **भारत के कानूनी कार्यढाँचे को** दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन **(CRPD), 2006 के अनुरूप** बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : आर्थिक विकास और पर्यावरण क्षरण की भारत की दोहरी चुनौतियों से निपटने में सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? उदाहरणों के साथ समझाइये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय में, चक्रीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिये तथा आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के बीच संतुलन बनाने में इसकी भूमिका बताइये।
- प्रासंगिक उदाहरणों के साथ आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल (CE) एक **आर्थिक मॉडल** है जो एक **रेखीय 'टेक-मेक-डिस्पोज़' प्रणाली से पुनर्योजी दृष्टिकोण में बदलाव** करके संसाधन दक्षता, अपशिष्ट न्यूनीकरण और **संधारणीयता को बढ़ावा** देता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में भारत का परिवर्तन वर्ष 2050 तक **2 ट्रिलियन डॉलर का बाज़ार मूल्य** उत्पन्न कर सकता है और **10 मिलियन नौकरियों का सृजन** कर सकता है। **चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके,** भारत एक साथ अपनी **आर्थिक विकास आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान** कर सकता है।

मुख्य भाग:

चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को किस प्रकार समर्थन देती है:

- **रोज़गार सृजन और बाज़ार विस्तार:**
  - **अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण, जैव-अर्थव्यवस्था और हरित विनिर्माण** जैसे CE उद्योग **लाखों नौकरियों का सृजन** कर सकते हैं।
  - उदाहरण: भारत में ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से **वर्ष 2030 तक 500,000 नौकरियों का सृजन** (FICCI रिपोर्ट) होने का अनुमान है।
- **संसाधन दक्षता और लागत में कमी:**
  - **पुन: उपयोग** और **पुन: विनिर्माण से कच्चे माल पर निर्भरता कम** होती है, उत्पादन लागत में कटौती होती है एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है।
  - उदाहरण: **टाटा स्टील की सर्कुलर स्टील रीसाइक्लिंग पहल** से कच्चे माल की खपत कम होती है एवं लागत कम होती है।
- **MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा:**
  - जैव-आधारित उत्पादों और संधारणीय वस्त्रों सहित **अपशिष्ट से संपदा क्षेत्र में उद्यमशीलता** को प्रोत्साहित करता है।
  - उदाहरण: स्वच्छ भारत के अंतर्गत **अपशिष्ट-से-धन मिशन,** नवीन चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय क्षरण को किस प्रकार कम करती है:

- **अपशिष्ट उत्पादन और लैंडफिल निर्भरता में कमी:**
  - CE पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोज्यता के माध्यम से **उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाकर अपशिष्ट को न्यूनतम** करता है।
  - उदाहरण: SBM **वेस्ट-टू-वेल्थ PMS पोर्टल** नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट पर नज़र रखता है तथा संधारणीय निपटान को बढ़ावा देता है।
- **प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण:**
  - CE **औद्योगिक उत्पादन, परिवहन और लैंडफिल मीथेन उत्सर्जन** को कम करता है।
  - उदाहरण: भारत के **निर्माण क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था** (पुनर्नवीनीकृत पदार्थ का उपयोग करके) से CO_2 **उत्सर्जन में 40% की कटौती** कर सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संधारणीय प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन:**
  - भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (वर्ष 2022) **एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध** लगाते हैं और **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण: **ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम (वर्ष 2022)** इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को **वर्ष 2027 तक 70% ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण** करने का आदेश देता है।
    - इसके अलावा, **CSIR और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन** शहरी संधारणीयता के लिये **वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन समाधान** पर केंद्रित है।
- **चक्रीय प्रथाओं के माध्यम से कृषि संधारणीयता:**
  - **फसल अपशिष्ट से बायोचार** और **जैविक खाद** बनाने से पराली दहन की समस्या कम होती है तथा मृदा की उर्वरता बढ़ती है।
  - उदाहरण: **इंदौर का बायो-CNG संयंत्र** जैविक अपशिष्ट को **स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित** करता है, जिससे **लैंडफिल का बोझ कम** होता है।

निष्कर्ष:

भारत का **चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना आर्थिक विकास को गति** दे सकता है और **साथ ही पर्यावरण क्षरण को कम कर सकता है। नीतिगत सुधारों, उद्योग सहयोग एवं तकनीकी नवाचार** को लागू करके, भारत संसाधन दक्षता को अधिकतम कर सकता है, अपशिष्ट को कम कर सकता है तथा **मिशन लाइफ व SDG के साथ संरेखण में सतत् विकास को बढ़ावा** दे सकता है।

प्रश्न : भारत में विकास-रोज़गार विसंगति के लिये जिम्मेदार संरचनात्मक कारकों पर चर्चा कीजिये तथा मज़बूत व रोज़गार-प्रधान विकास सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक हस्तक्षेप प्रस्तावित कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में विकास-रोज़गार विसंगति के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- विकास-रोज़गार विसंगति के लिये जिम्मेदार संरचनात्मक कारकों पर प्रकाश डालिये।
- रोज़गार-प्रधान विकास सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक हस्तक्षेप का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत ने **उच्च आर्थिक विकास (वित्त वर्ष 2025 में 6.4%) का अनुभव** किया है, लेकिन इसका आनुपातिक रूप से **रोज़गार सृजन में परिवर्तन नहीं** हुआ है। **बेरोज़गारी वृद्धि** की घटना एक गंभीर चिंता का विषय है, जहाँ **सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार** श्रम-प्रधान क्षेत्रों के बजाय **पूंजी-प्रधान उद्योगों, स्वचालन और प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादकता द्वारा संचालित** होता है।

मुख्य भाग:

विकास-रोज़गार विसंगति के लिये जिम्मेदार संरचनात्मक कारक

- **पूंजी-गहन विकास और स्वचालन**
  - विनिर्माण, बैंकिंग एवं शासन जैसे उद्योगों में **AI और स्वचालन के उदय** ने कम-कुशल नौकरियों को उच्च तकनीक, उत्पादकता-संचालित कार्यों से प्रतिस्थापित कर दिया है।
    - **उदाहरण: IndiaAI मिशन** और **BharatGen** (वर्ष 2024), जो AI-संचालित शासन को बढ़ावा देते हैं, पारंपरिक सेवा-क्षेत्र की नौकरियों की मांग को कम कर सकते हैं।
- **कौशल अंतराल और शिक्षा एवं उद्योग की जरूरतों के बीच असंतुलन**
  - भारत में **मुख्यत: असंगठित कार्यबल (90%) है,** जिसमें से **केवल 20% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सेमीकंडक्टर निर्माण, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे **तकनीक-संचालित उद्योगों को कुशल पेशेवरों की कमी का सामना** करना पड़ रहा है।

- **डिजिटल डिवाइड और असमान रोज़गार सृजन**
  - यद्यपि शहरी भारत **5G रोलआउट और स्टार्टअप इकोसिस्टम से लाभान्वित** हो रहा है, ग्रामीण भारत **इंटरनेट एक्सेस एवं डिजिटल साक्षरता में पीछे** है।
    - **भारत की 45% आबादी** (665 मिलियन लोग) **इंटरनेट का उपयोग नहीं** करती है (वर्ष 2023), जिससे **डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-कॉमर्स क्षेत्र** में उनकी **भागीदारी सीमित** हो गई है।
- **कमज़ोर MSME इको-सिस्टम और ऋण संबंधी बाधाएँ**
  - MSME **सकल घरेलू उत्पाद में 30%** और **निर्यात में 40% का योगदान** करते हैं, लेकिन **केवल 20% को ही औपचारिक ऋण तक अभिगम** प्राप्त है, जिससे विस्तार एवं रोज़गार सृजन में बाधा उत्पन्न होती है।
    - **CRISIL का अनुमान** है कि 6.3 करोड़ MSME में से **केवल 2.5 करोड़ ने ही औपचारिक ऋण लिया** है, जो वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।
- **विनियामक अड़चनें और कठोर श्रम कानून**
  - **जटिल अनुपालन आवश्यकताएँ,** श्रम-प्रधान उद्योगों जैसे कि वस्त्र, निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण को विस्तार करने से रोकती हैं।
    - भारत की **चार श्रम संहिताएँ पारित** हो चुकी हैं, लेकिन उनका **पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है,** जिससे श्रम बाज़ार लोच में विलंब हो रहा है।

रोज़गार-प्रधान विकास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप

- **उभरते उद्योगों के लिये कौशल और कार्यबल परिवर्तन**
  - AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए **PMKVY (कौशल भारत मिशन) का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - **स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़** किया जाना चाहिये तथा **उद्योग 4.0 कौशल को एकीकृत** किया जाना चाहिये।
- **MSME और उद्यमिता को सुदृढ़ बनाना**
  - MSME की तरलता में सुधार लाने और संपार्श्विक आवश्यकताओं को कम करने के लिये **ECLGS एवं MUDRA ऋणों का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से **MSME में प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **श्रम-प्रधान विनिर्माण और घरेलू मूल्य शृंखलाओं को बढ़ावा देना**
  - बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करने के लिये **श्रम-प्रधान क्षेत्रों** (वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और हस्तशिल्प) **के लिये PLI योजनाओं** को लागू किया जाना चाहिये।
    - व्यवसाय स्थापना को सरल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये **प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्षेत्रों का** विस्तार किया जाना चाहिये।
- **ग्रामीण डिजिटल समावेशन और गिग इकॉनमी नौकरियों को बढ़ावा देना**
  - डिजिटल नौकरी के अभिगम में सुधार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में **PM WANI Wi-Fi कार्यान्वयन को गति** दी जानी चाहिये।
  - **ONDC और UPI-लिंक्ड फिनटेक सेवाओं** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से **ग्रामीण उद्यमियों के लिये ई-कॉमर्स एवं गिग कार्य के अवसरों** को एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **अधिक लचीलेपन के लिये श्रम कानूनों में सुधार**
  - औपचारिक रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिये **चार श्रम संहिताओं का त्वरित कार्यान्वयन** आवश्यक है।
  - **डिजिटल और प्लेटफॉर्म-आधारित रोज़गार को समर्थन** देने के लिये लचीले नियुक्ति मॉडल (गिग इकॉनमी विनियम) लागू किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हरित रोज़गार और सतत् विकास को प्रोत्साहन**
  - कार्यबल परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिये **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - रीसाइक्लिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और संधारणीय पैकेजिंग जैसे **चक्रीय अर्थव्यवस्था आधारित उद्योगों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

समावेशी और रोज़गार-प्रधान विकास सुनिश्चित करने के लिये, भारत को डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना होगा, श्रम नीतियों में सुधार करना होगा, कार्यबल को पुन: प्रशिक्षित करने में निवेश करना होगा तथा MSME इको-सिस्टम को सुदृढ़ करना होगा। **श्रम-प्रधान विनिर्माण, घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं और हरित नौकरियों पर ध्यान** केंद्रित करके, भारत **संधारणीय एवं न्यायसंगत आर्थिक विकास** प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न : भारत के आर्थिक परिवर्तन में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। इसकी क्षमता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इसकी दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये रणनीतिक हस्तक्षेपों को प्रस्तावित कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के आर्थिक परिवर्तन में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की भूमिका बताइये।
- चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत करते हुए इससे निपटने के रणनीतिक हस्तक्षेप सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लॉजिस्टिक्स सेक्टर विभिन्न क्षेत्रों में **वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन को सुगम बनाकर आर्थिक विकास के लिये आधार** का काम करता है। भारत में, इस सेक्टर ने वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक **11% की** चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (**CAGR**) दर्ज किया और **वित्त वर्ष 2029 तक इसके ₹35.3 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान** है।

मुख्य भाग:

भारत के आर्थिक परिवर्तन में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की भूमिका

- **व्यापार और निर्यात सुविधा:** कुशल लॉजिस्टिक्स लेन-देन की लागत को कम करता है, निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाता है और **मेक इन इंडिया जैसी पहलों का समर्थन** करता है। उदाहरण के लिये, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा **(IMEC) का उद्देश्य व्यापार संपर्क को बढ़ाना** है।
- **ई-कॉमर्स और रोज़गार सृजन:** ई-कॉमर्स में उछाल (27% CAGR से वर्ष 2026 तक 163 बिलियन डॉलर तक पहुँचना) के साथ इस **क्षेत्र का विस्तार** हुआ है, जिससे **लास्ट-माइल डिलीवरी की मांग** उत्पन्न हुई है और **रोज़गार का सृजन** हुआ है।
- **बुनियादी अवसंरचना पर आधारित विकास: गति शक्ति** और **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)** जैसी पहल **मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार** कर रही हैं और लॉजिस्टिक्स लागत (वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 13%) को कम कर रही हैं।
- **कृषि और MSME को समर्थन:** शीत भण्डारण श्रृंखलाओं और गोदामों के विकास से **फसल-उपरांत नुकसान को कम करने में मदद** मिलती है और ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होती है।
- **निवेश आकर्षित करना:** लॉजिस्टिक्स पार्क, डिजिटलीकरण और 3PL/4PL सेवाएँ घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित कर रही हैं, जिससे औपचारिकता एवं नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

क्षेत्र	चुनौतियाँ
आधारभूत संरचना	खराब सड़कें, बंदरगाहों पर भीड़भाड़ तथा विलंबित परियोजनाओं (जैसे DFC) जैसी बाधाएँ।
बाज़ार संरचना	90% असंगठित क्षेत्र के कारण अकुशलता और मानकीकरण का अभाव है।
कौशल की कमी	वेयरहाउसिंग, SCM और तकनीक-संचालित भूमिकाओं में प्रशिक्षित कर्मियों की भारी कमी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

लास्ट-माइल डिलीवरी	शहरी भीड़भाड़ और अकुशल निपटान प्रणाली के कारण लागत (लॉजिस्टिक्स लागत का 41%) बढ़ जाती है।
संधारणीयता	उच्च कार्बन उत्सर्जन; सीमित EV प्रयोग/संक्रमण और हरित बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी।
मल्टीमॉडल अंतराल	माल ढुलाई में सड़क का सर्वाधिक प्रयोग होता है (60%); रेल की हिस्सेदारी 85% (वर्ष 1951) से घटकर <30% (वर्ष 2022) हो गई है।
साइबर सुरक्षा जोखिम	तेज़ी से अपनाई जा रही तकनीक के दौरान डिजिटल खतरे बढ़ रहे हैं।

रणनीतिक हस्तक्षेप:

- **बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में** तेज़ी लाना: समर्पित माल गलियारा, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और ग्रामीण संपर्क (जैसे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक) में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
- **विनियामक सुधार:** e-SANCHIT जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके एकल खिड़की मंज़ूरी को लागू किया जाना चाहिये और राज्य स्तरीय रसद नीतियों को सुसंगत बनाया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी अंगीकरण:** ULIP के माध्यम से AI, IoT और ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारत-विशिष्ट नवाचारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **कौशल विकास:** राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स प्रमाणन कार्यढाँचा शुरू करने तथा अंतिम बिंदु तक कार्यबल प्रशिक्षण के लिये ई-कॉमर्स फर्मों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
- **ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा:** हरित तकनीक के लिये कर में छूट प्रदान करने, EV चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना का विस्तार करने तथा लॉजिस्टिक्स के लिये कार्बन क्रेडिट सिस्टम लागू करने की आवश्यकता है।
- **बहुविध एकीकरण:** एकीकृत बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने तथा भारतमाला के अंतर्गत रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **साइबर सुरक्षा कार्यढाँचा:** L-CERT (लॉजिस्टिक्स साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) की स्थापना करने और लॉजिस्टिक्स फर्मों के लिये साइबर ऑडिट अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

लेन-देन की लागत कम करने, निर्यात को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को सक्षम बनाने के लिये एक आधुनिक, कुशल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। लक्षित सुधारों और निरंतर निवेश के साथ, भारत अपने लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदल सकता है तथा अपनी आर्थिक परिवर्तन यात्रा को भी तीव्र कर सकता है।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : भारत के एक प्रमुख रक्षा आयातक से संभावित वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तन के सामरिक, आर्थिक एवं तकनीकी आयामों पर चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की रक्षा प्रगति के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- इसके रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी आयाम बताइये।
- परिवर्तन में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये तथा सुधार के लिये उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत, जो ऐतिहासिक रूप से **विश्व के सबसे बड़े आयुध आयातकों में से एक** है, एक **आत्मनिर्भर और निर्यात-उन्मुख रक्षा विनिर्माण शक्ति** के रूप में उभरने के लिये **रणनीतिक परिवर्तन से गुज़र रहा** है। यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं, आर्थिक अवसरों और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं के संयोजन से प्रेरित है।

मुख्य भाग:

सामरिक आयाम

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता में वृद्धि: विदेशी आयुधों** (जैसे: **रूस से S-400**) पर भारी निर्भरता भू-राजनीतिक तनाव के दौरान भेद्यता उत्पन्न करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्वदेशी रक्षा क्षमता बाह्य स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है और परिचालन संप्रभुता को बढ़ाती है।

- **भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार:** भारत **85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात** करता है, और **विश्व स्तर पर शीर्ष 25 आयुध निर्यातकों की सूची में** नामित है।
  - **भारत-जापान ACSA** जैसे **सरकार-से-सरकार (G2G) समझौते** कूटनीतिक और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
- **क्षेत्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ करना: INS विक्रांत और प्रलय मिसाइल** जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म इंडो-पैसिफिक रीजन में समुद्री ताकत को बढ़ाते हैं। रक्षा निर्यात भारत के एक निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- **सॉफ्ट पावर के रूप में रक्षा कूटनीति: फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा** (375 मिलियन डॉलर) जैसे उच्च-स्तरीय निर्यात, भारत को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद करते हैं।

आर्थिक आयाम

- **रक्षा निर्यात में उछाल:** पिछले दशक में **निर्यात 31 गुना बढ़ा** है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में ₹21,083 करोड़ तक पहुँच गया है। वर्ष 2025 तक ₹35,000 करोड़ का निर्यात लक्ष्य है, जिससे रक्षा क्षेत्रक क्षेत्र मेक इन इंडिया के तहत एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा:** वित्त वर्ष 2024 में **घरेलू उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक** पहुँच गया, जिसमें **रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75% भारतीय उद्योग के लिये निर्धारित** किया गया।
- **निजी क्षेत्र और MSME की वृद्धि:** रक्षा उपकरण **लाइसेंस** 215 (वर्ष 2014 से पहले) से **बढ़कर 440 (वर्ष 2019 तक) हो गए,** जो निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
  - तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में **iDEX एवं रक्षा औद्योगिक गलियारे** जैसी पहल निवेश और नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं।

तकनीकी आयाम:

- **स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार:** DRDO के नेतृत्व वाले प्रयासों से **ब्रह्मोस, आकाश, ALH और पिनाक** जैसी निर्यात योग्य प्रणालियाँ प्राप्त हुई हैं।
- **रणनीतिक सहयोग और संयुक्त विकास:** भारत निम्नलिखित साझेदारों के साथ प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सह-विकास कर रहा है:
  - F414 इंजन के सह-उत्पादन के लिये **HAL-GE समझौता।**
  - एयरो इंजन पर **भारत-फ्राँस सहयोग।**
  - AI और हाइपरसोनिक्स के लिये अमेरिका के साथ **INDUS-X पहल।**
- **उभरती हुई तकनीक पर ध्यान:** भारत iDEX और रक्षा स्टार्टअप के माध्यम से **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, युद्ध सामग्री तथा साइबर सुरक्षा में विशिष्ट क्षमताओं का विकास** कर रहा है।

परिवर्तन में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

- **निरंतर आयात निर्भरता:** भारत अभी भी **वैश्विक आयुध आयात (SIPRI) का लगभग 10% हिस्सा** रखता है, जिससे **आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित** हो रही है।
- **बोझिल खरीद प्रक्रिया:** लंबे अधिग्रहण चक्र, जैसा कि रद्द किये गए **MMRCA सौदे** (वर्ष 2007-2015) **में देखा गया, आधुनिकीकरण में विलंब** करते हैं।
- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** रक्षा उत्पादन में **निजी कंपनियों का योगदान केवल 22%** है; बड़े ठेकों पर अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रभुत्व है।
- **ऑफसेट नीति का कमज़ोर कार्यान्वयन:** ₹66,427 करोड़ मूल्य के ऑफसेट दायित्वों (वर्ष 2005-18) में से **केवल ₹11,396 करोड़ की ही वसूली हो सकी** (CAG रिपोर्ट), जिससे **प्रौद्योगिकी अंतरण लाभ में कमी** आई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

संक्रमण को तीव्र करने के उपाय:

- **वैश्विक सहयोग को गहन करना:** वैश्विक भागीदारों के साथ अधिक सह-विकास और सह-उत्पादन में संलग्न होने की आवश्यकता है। HAL-GE और Mazagon Dock-Thyssenkrupp जैसी **साझेदारियों का विस्तार** किया जाना चाहिये।
- **निर्यात और उत्पादन प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** एकल-खिड़की निर्यात मंजूरी प्रणाली स्थापित किया जाना चाहिये। विलंब को कम करने के लिये SOP के माध्यम से **परीक्षण और लाइसेंसिंग को डिजिटल** बनाया जाना चाहिये।
- **ऑफसेट प्रबंधन को सुदृढ़ करना:** एक समर्पित ऑफसेट प्रबंधन एजेंसी बनाए जाने की आवश्यकता है। ऑफसेट को रणनीतिक तकनीकी आवश्यकताओं और निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।
- **नैतिक निर्यात के लिये कानूनी सुधार: आयुधों की बिक्री को मंजूरी देने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के अनुपालन का आकलन** करने के लिये एक कानूनी कार्यढाँचा पेश किया जाना चाहिये। इससे भारत वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा और इसकी वैश्विक छवि की रक्षा होगी।
- **आला रक्षा प्रौद्योगिकियों में निवेश करना:** उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों: **AI-आधारित युद्ध, हाइपरसोनिक्स, साइबर सुरक्षा और मानव रहित प्रणालियों** के लिये अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये तथा iDEX और रक्षा नवाचार केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

एक प्रमुख रक्षा आयातक से वैश्विक विनिर्माण केंद्र में भारत का परिवर्तन एक बहुआयामी यात्रा है जिसमें रणनीतिक दूरदर्शिता, आर्थिक समुत्थानशक्ति और तकनीकी नवाचार शामिल हैं। नीति सुधार, नैतिक शासन, निजी क्षेत्र के तालमेल एवं वैश्विक भागीदारी को एकीकृत करना **भारत** को न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि **वैश्विक रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के एक विश्वसनीय एवं जिम्मेदार स्तंभ** के रूप में स्थापित करेगा।

जैव-विविधता और पर्यावरण

प्रश्न : भारत की तटीय जैव-विविधता पर जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का परीक्षण कीजिये। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में किस प्रकार मदद कर सकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- तटीय जैव-विविधता और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिक प्रभावों का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) संवहनीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये एक **गतिशील, बहु-विषयक और पुनरावृत्तीय प्रक्रिया** है, जो **भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के लिये आवश्यक** है तथा विविध पारिस्थितिक तंत्रों एवं आजीविका को बनाए रखता है।

- हालाँकि, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे: **समुद्र का बढ़ता स्तर, क्षरण और चरम मौसमी घटनाएँ**, इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं तथा पर्यावरण एवं तटीय समुदायों दोनों को खतरे में डाल रहे हैं।

मुख्य भाग:

तटीय जैव-विविधता पर जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिक प्रभाव

- **आवास-ह्रास और क्षरण**
  - **समुद्र-स्तर में वृद्धि (SLR):** वर्ष 1900 के बाद से, **वैश्विक औसत समुद्र स्तर में लगभग 15-20 सेमी. की वृद्धि** हुई है, जो ऐतिहासिक औसत समुद्र स्तर की तुलना में बहुत तीव्र दर है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इससे **सुंदरबन** जैसे पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है, जिससे **उसका अधिकांश क्षेत्र नष्ट हो सकता है और रॉयल बंगाल टाइगर** जैसी प्रजातियाँ खतरे में पड़ सकती हैं।
- **सतभाया (ओडिशा)** और **वाइपिन द्वीप (केरल)** जैसे क्षेत्रों में **तीव्रता से तटीय क्षरण** हो रहा है, जिससे आवास नष्ट हो रहे हैं।

- **प्रवाल विरंजन:** समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण **मन्नार की खाड़ी में वृहत स्तर पर प्रवाल विरंजन** की घटनाएँ हुई हैं, जिससे **समुद्री खाद्य शृंखलाएँ बाधित** हुई हैं।

- **समुद्री प्रजातियों में गिरावट और खाद्य शृंखलाओं में व्यवधान**
  - **प्रजनन और नेस्टिंग साइट्स की क्षरण:** बढ़ते जल स्तर के कारण **ओडिशा में ओलिव रिडले टर्टल्स (कछुओं) के नेस्टिंग साइट्स को खतरा** उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है।
  - **मीन भंडार में कमी:** समुद्र के तापमान और लवणता में परिवर्तन से मीन प्रजातियों के प्रजनन एवं प्रवासन प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं, जिससे **हिल्सा और गोल्डन एन्कोवी जैसी प्रजातियाँ प्रभावित** हो रही हैं।
- **प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेद्यता में वृद्धि**
  - **मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक अवरोधों** (जो मंद ढलानों पर तरंग ऊर्जा को 93-98% तक कम कर देते हैं) **के विनाश से चक्रवातों और तूफानी लहरों का प्रभाव बढ़ जाता है,** जैसा कि चक्रवात अम्फान के दौरान देखा गया था।

तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **आजीविका को खतरा**
  - **मात्स्यिकी:** देश में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र कुल **28 मिलियन मछुआरों को आजीविका सहायता** प्रदान करता है।
    - समुद्र का बढ़ता स्तर और मत्स्य भंडार में कमी से उनकी **आय एवं खाद्य सुरक्षा को खतरा** है।
  - **कृषि: समुद्री जल के प्रवेश से मृदा की लवणता बढ़ जाती है,** जिससे सुंदरबन और गुजरात के कच्छ क्षेत्र जैसे **तटीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता कम** हो जाती है।
  - **पर्यटन: गोवा और केरल** जैसे लोकप्रिय तटीय स्थलों में **तटीय क्षरण में वृद्धि** हो रही है, जिससे **पर्यटन उद्योग प्रभावित** हो रहा है।
- **विस्थापन और बस्तियों की क्षति**
  - बढ़ते समुद्री स्तर के कारण आने वाली बाढ़ से वर्ष 2050 तक 36 मिलियन भारतीय अपने घर और आजीविका खो सकते हैं।
  - **ओडिशा के 16 गाँव पहले ही समुद्र में जलमग्न** हो चुके हैं, जिससे वहाँ के **निवासियों को स्थानांतरित होना पड़ रहा** है।
- **स्वास्थ्य एवं जल सुरक्षा संबंधी चिंताएँ**
  - **अलवण जलीय स्रोतों में लवणता के अंतर्वेधन से जलजनित रोगों का खतरा** बढ़ जाता है।
    - तटीय क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण **मलेरिया और डेंगू** जैसी **रोगवाहक जनित बीमारियाँ** फैलती हैं।

तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की भूमिका:

- **सतत् तटीय विकास और विनियमन**
  - **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना (1991,** वर्ष 2019 में संशोधित) का उद्देश्य संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के समीप निर्माण को प्रतिबंधित करके पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करना है।
    - **ICZM योजनाएँ:** विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त **ICZM परियोजना** के अंतर्गत **ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने तटीय संरक्षण रणनीति विकसित की** है।
- **प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन**
  - **मैंग्रोव वनरोपण: मैंग्रोव का रोपण क्षरण एवं चक्रवातों के विरुद्ध एक प्राकृतिक बफर** के रूप में कार्य करता है।
    - भारत की **MISHTI योजना** का उद्देश्य **मैंग्रोव क्षेत्र का विस्तार** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रवाल भित्तियों का संरक्षण:** मन्नार की खाड़ी में **'प्रवाल पुनर्स्थापन कार्यक्रम'** जैसी परियोजनाएँ **क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों के पुनर्निर्माण में मदद** करती हैं।

- **बुनियादी अवसंरचना और आपदा समुत्थानशीलन**
  - **समुद्री अवरोध और तटबंध: मुंबई और चेन्नई** जैसे तटीय शहर **तूफानी लहर अवरोधों** में निवेश कर रहे हैं।
  - **पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** भारतीय **राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)** तटीय खतरों के लिये वास्तविक काल चेतावनी प्रदान करता है।
- **संधारणीय आजीविका को बढ़ावा देना**
  - **लवण सहिष्णु फसल किस्मों** और **प्लवन कृषि/फ्लोटिंग एग्रीकल्चर** (सुंदरबन में प्रचलित) को प्रोत्साहित करना।
  - मछुआरा समुदायों के लिये **इकोटूरिज़्म और कृषि** जैसी **वैकल्पिक आजीविका का** समर्थन करना।

निष्कर्ष:

ICZM स्थायी नीतियों, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देता है। **भारत के तटों की सुरक्षा** के लिये **SDG 13** (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) और **SDG 14** (जलीय जीवों की सुरक्षा) के साथ संरेखित होकर **सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास** अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रश्न : अनेक नीतिगत पहलों के बावजूद, भारत में वायु प्रदूषण एक निरंतर समस्या बनी हुई है। कार्यान्वयन में प्रमुख कमियों का अभिनिर्धारण कीजिये तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय में, भारत के वायु प्रदूषण संकट और वैश्विक मूल्यांकन में इसकी रैंकिंग का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- प्रमुख कार्यान्वयन अंतरालों पर चर्चा कीजिये और वायु गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के उपाय– व्यावहारिक और नीति-संचालित समाधान सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

विभिन्न नीतिगत पहलों के बावजूद, भारत विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में शुमार है। **वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट- 2024** में बताया गया है कि **दिल्ली सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी** बनी हुई है, जबकि **बर्नीहाट (असम-मेघालय सीमा) विश्व का सबसे प्रदूषित शहर** है। जबकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) जैसी नीतियाँ मौजूद हैं, असंगत कार्यान्वयन और समन्वय की कमी प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण में बाधा डालती है।

मुख्य भाग:

वायु प्रदूषण नियंत्रण में प्रमुख कार्यान्वयन अंतराल:

- **नीतियों और विनियमों का कमज़ोर प्रवर्तन: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** और **ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)** जैसी रूपरेखाओं के बावजूद, राज्यों एवं शहरों में उनका कार्यान्वयन असंगत है।
  - दिल्ली सहित कुछ शहरों में NCAP के अंतर्गत आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।
- **अपर्याप्त वायु गुणवत्ता निगरानी:** 130 शहरों में से **28 में अभी भी सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS)** नहीं हैं।
- **फसल अवशेष दहन का अप्रभावी प्रबंधन: बायो-डीकंपोज़र** और वित्तीय प्रोत्साहन जैसी पहलों के बावजूद **पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश** में बड़े पैमाने पर पराली दहन किया जा रहा है। दिल्ली के सर्दियों के **वायु प्रदूषण का 60% हिस्सा इसी मुद्दे से संबद्ध** है।
- **तीव्र शहरीकरण और वाहनों की वृद्धि:** भारत के **परिवहन क्षेत्र में CO_2 उत्सर्जन का 12% से अधिक हिस्सा** है, दोपहिया वाहनों एवं बजट कारों में तेज़ी से वृद्धि के कारण यातायात भीड़ और वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है।
- **बिजली उत्पादन के लिये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों** को अपर्याप्त रूप से अपनाए जाने के कारण **कोयला आधारित बिजली संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन में 50% से अधिक का योगदान** करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अनियमित औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ:** ईंट भट्टे, सीमेंट उद्योग और निर्माण धूल से **निलंबित कणिका पदार्थ (SPM) में बहुत वृद्धि** होती है, जिससे **दिल्ली, गाज़ियाबाद और कानपुर** जैसे शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।
- **सीमित सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन:** निम्नस्तरीय वायु गुणवत्ता से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के संदर्भ में जागरूकता की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण में **नागरिक भागीदारी कम** बनी हुई है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

वायु गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के उपाय:

- **नीति कार्यान्वयन और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना:** गैर-अनुपालन के लिये **वास्तविक काल दंड** के साथ NCAP और GRAP के **राज्य-स्तरीय प्रवर्तन** को बढ़ाया जाना चाहिये।
  - सीमापार प्रदूषण के मुद्दों के समाधान के लिये **क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्य बल** बनाया जाना चाहिये।
- **वायु गुणवत्ता निगरानी बुनियादी अवसंरचना का विस्तार:** टियर-2 और टियर-3 **शहरों में CAAQMS स्टेशनों की संख्या में वृद्धि** की जानी चाहिये।
  - वास्तविक काल में प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर नज़र रखने के लिये **AI-आधारित उपग्रह निगरानी** का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण के लिये एयरशेड विकास:** एक ही वायु बेसिन को साझा करने वाले कई राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण को समन्वित करने के लिये एयरशेड प्रबंधन को लागू किया जाना चाहिये।
  - **कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज़ बोर्ड (CARB)** मॉडल के समान पड़ोसी राज्यों के बीच संयुक्त कार्य योजनाएँ विकसित की जानी चाहिये।
- **पराली दहन के लिये स्थायी समाधान:** किसानों को **जैव-अपघटक और फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक अंगीकरण** के लिये **प्रत्यक्ष प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये।
  - कृषि अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिये **संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **स्वच्छ ऊर्जा और हरित गतिशीलता की ओर संक्रमण:** सब्सिडी और सुदृढ़ चार्जिंग **इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV)** के अंगीकरण में तीव्रता लाई जानी चाहिये।
  - **पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों पर अधिक** कर लगाए जाने चाहिये तथा **सार्वजनिक परिवहन विस्तार को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
  - **पुराने कोयला आधारित संयंत्रों को शीघ्र बंद** किया जाना चाहिये तथा सौर **एवं पवन ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **शहरी नियोजन और औद्योगिक विनियमन:** उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में **हरित शहरी स्थान** और **ऊर्ध्वाधर उद्यान** विकसित किया जाना चाहिये।
  - निर्माण स्थलों पर **एंटी-स्मॉग गन, धूल निरोधक** तथा **उन्नत एयर फिल्टर** का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- **जन जागरूकता और नागरिक भागीदारी: स्वच्छ भारत अभियान** के समान **देशव्यापी 'स्वच्छ वायु का अधिकार' अभियान** शुरू किया जाना चाहिये।
  - उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **वायु प्रदूषण सूचकांक आधारित कराधान** लागू किया जाना चाहिये।
  - जागरूकता फैलाने के लिये यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये **पंचायती राज मंत्रालय** ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये **TVF की पंचायत वेब-सीरीज़ के साथ सहयोग** किया है।

निष्कर्ष:

भारत के वायु प्रदूषण संकट के लिये **सख्त प्रवर्तन, तकनीकी समाधान और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता** है। स्थायी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये **सरकारों और नागरिकों के बीच समन्वित प्रयास महत्त्वपूर्ण** हैं। तत्काल कार्रवाई के बिना **प्रदूषण स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण को होने वाला नुकसान जारी** रहेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्रांति में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। उद्योग 4.0 के लिये भारत बेहतर तरीके से किस प्रकार तैयार हो सकता है? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्रांति में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के विनिर्माण परिवर्तन में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका के लिये प्रमुख तर्क और उदाहरण दीजिये तथा उद्योग 4.0 में भारत के परिवर्तन में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- उद्योग 4.0 की तैयारी के लिये रणनीति सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का विनिर्माण **क्षेत्र तकनीकी प्रगति** एवं **नवाचार** से प्रेरित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। **मेक इन इंडिया** और **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** जैसी नीतियों ने **स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में निवेश** को बढ़ावा दिया है।

- **उद्योग 4.0** के साथ, भारत को उत्पादकता, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

भारत के विनिर्माण परिवर्तन में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका:

- **डिजिटलीकरण और स्मार्ट विनिर्माण**
  - **AI, IoT, बिग डेटा** और **क्लाउड कंप्यूटिंग** के अंगीकरण से उद्योगों में दक्षता बढ़ रही है, डाउनटाइम कम हो रहा है तथा पूर्वानुमानित प्रबंधन में सुधार हो रहा है।
    - उदाहरण: **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर निर्माण पहल** (जैसे: धोलेरा में माइक्रोन का संयंत्र) **उच्च तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा** दे रहे हैं।
- **बुनियादी अवसंरचना का विकास और रसद अनुकूलन**
  - **गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** सड़क, रेलमार्ग, वायुमार्ग और बंदरगाह कनेक्टिविटी को एकीकृत करता है, जिससे **आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार** होता है।
    - **समर्पित मालवहन गलियारे (DFC)** और **PM MITRA टेक्सटाइल पार्क** औद्योगिक क्लस्टर विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
    - **बजट 2025-26 में ₹11.21 लाख करोड़ का आवंटन** बुनियादी अवसंरचना के विकास को मज़बूत करता है।
- **हरित एवं संधारणीय विनिर्माण**
  - भारत **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** और **FAME II (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन)** जैसी पहलों के साथ **संधारणीय उत्पादन** की ओर बढ़ रहा है।
    - लक्ष्य: वर्ष 2030 तक **50% ऊर्जा गैर-जीवाश्म ईंधन से** और प्रतिवर्ष **5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन।**
- **वैश्विक एकीकरण और आपूर्ति शृंखला पुनर्संरेखण**
  - **चाइना+1 रणनीति** एप्पल, टेस्ला और सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनियों को भारतीय उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है।
    - वित्त वर्ष 2023 में **भारत का आईफोन निर्यात बढ़कर 5 बिलियन डॉलर** हो गया, जो वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

भारत के उद्योग 4.0 में परिवर्तन में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ:

- **उच्च रसद एवं आपूर्ति शृंखला लागत:** भारत की रसद लागत (GDP का 14-18%) वैश्विक बेंचमार्क (8%) से अधिक है, जिससे **निर्यात प्रतिस्पर्द्धा कम हो रही** है।
- **कौशल अंतराल और श्रम बाज़ार में बाधाएँ:** असंगठित क्षेत्र में 90% कार्यबल के साथ, **AI-संचालित उत्पादन का अंगीकरण चुनौतीपूर्ण** बना हुआ है।
- **कमज़ोर MSME इको-सिस्टम और ऋण संबंधी बाधाएँ:** केवल 20% MSME के पास औपचारिक ऋण तक पहुँच है, जिससे नवाचार सीमित हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- न्यून अनुसंधान एवं विकास निवेश (GDP का 0.65% बनाम चीन में 2.4%) उच्च तकनीक विनिर्माण में बाधा डालता है।

- **महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये आयात निर्भरता:** भारत 70% API और सेमीकंडक्टर घटकों का आयात चीन से करता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला जोखिम उत्पन्न होता है।
  - सत्र 2023-24 में **सेमीकंडक्टर आयात 18.5% बढ़कर ₹1.71 लाख करोड़ हो गया।**

उद्योग 4.0 की तैयारी के लिये रणनीतियाँ

- **रसद और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाना**
  - मल्टी-मॉडल परिवहन को अनुकूलित करने और **पारगमन विलंब को कम करने के लिये गति शक्ति मास्टर प्लान को त्वरित गति** प्रदान किया जाना चाहिये।
  - वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्द्धा के लिये **बंदरगाह आधुनिकीकरण और अंतर्देशीय जलमार्गों** को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- **उद्योग 4.0 के लिये कार्यबल को कुशल बनाना**
  - **AI, रोबोटिक्स, IoT और सेमीकंडक्टर** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **स्किल इंडिया और PMKVY कार्यक्रमों का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - कौशल अंतर को समाप्त करने के लिये **उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **MSME इको-सिस्टम और अनुसंधान एवं विकास निवेश को सुदृढ़ करना**
  - **MSME** की तरलता में सुधार के लिये **ECLGS (आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - **स्वचालन और AI अभिगम** को सुगम बनाने के लिये **MSME के लिये प्रौद्योगिकी केंद्र** स्थापित किया जाना चाहिये।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना**
  - **चिप निर्माण** सुविधाएँ स्थापित करने के लिये **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (76,000 करोड़ रुपए)** का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये **इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** विकसित किया जाना चाहिये।
- **वैश्विक व्यापार साझेदारी और बाज़ार अभिगम का विस्तार**
  - निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के लिये **यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के साथ** लंबित मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को अंतिम रूप दिया जाना चाहिये।
  - बहुराष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क के साथ MSME को एकीकृत करके **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC)** में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत **प्रौद्योगिकी, नवाचार और नीति समर्थन द्वारा संचालित विनिर्माण क्रांति** के कगार पर है। **डिजिटल परिवर्तन, संधारणीय विनिर्माण और वैश्विक भागीदारी** का लाभ उठाकर, भारत स्वयं को **उन्नत विनिर्माण में वैश्विक अभिकर्त्ता** के रूप में स्थापित कर सकता है तथा अपने **विकसित भारत @2047 विज़न को प्राप्त कर सकता है।**

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : आपदा जोखिम न्यूनीकरण में देशज और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका पर चर्चा कीजिये। विश्लेषण कीजिये कि स्थानीय समुदाय प्रथाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है, ताकि अधिक प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित की जा सकें। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा देशज एवं पारंपरिक ज्ञान की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में देशज और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका के लिये प्रमुख तर्क एवं उदाहरण दीजिये।
- प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिये देशज ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करने के उपाय सुझाइये।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो वैज्ञानिक प्रगति को **देशज और पारंपरिक ज्ञान (ITK) के साथ एकीकृत** करता है। सदियों से, स्थानीय समुदायों ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये स्थानीय रूप से अनुकूली रणनीति विकसित की है, जो समुत्थानशक्ति प्रदर्शित करती है।

मुख्य भाग:

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका

- **पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और आपदा पूर्वानुमान**
  - आपदाओं का पूर्वानुमान करने के लिये स्थानीय समुदाय **प्राकृतिक संकेतकों का उपयोग** करते हैं:
    - **सिक्किम की लेप्चा जनजाति** भू-स्खलन और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिये **पशुओं के व्यवहार, बादलों की संरचना और हवा के पैटर्न का निरीक्षण** करती है।
- **संधारणीय बुनियादी अवसंरचना और अनुकूली भवन-निर्माण कला**
  - बाढ़ सहिष्णु आवास:
    - **असम के माजुली द्वीप का मिशिंग समुदाय,** संभावित बाढ़ स्तर से ऊपर **चांग-घर (खंभे पर बने घर)** बनाता है, जिससे मानसून के दौरान होने वाली क्षति कम होती है।
    - बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में **बाँस और बेंत से निर्माण** लचीलापन और संरचनात्मक **मज़बूती** सुनिश्चित करता है।
  - भूकंप प्रतिरोधी आवास:
    - **सिक्किम का भूटिया समुदाय इंटरलॉकिंग बीम के साथ लकड़ी के घर** बनाता है, जिससे **भूकंपीय गतिविधियों के दौरान लचीलापन** बना रहता है।
- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण**
  - मैंग्रोव वनरोपण:
    - **सुंदरबन समुदायों ने पारंपरिक रूप से मैंग्रोव वनों को संरक्षित किया** है, जो **चक्रवातों और तूफानी लहरों** के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं।
  - वेदिका कृषि और बाढ़ नियंत्रण:
    - **नगालैंड में ज़ाबो कृषि प्रणाली जल संरक्षण और मृदा प्रतिधारण** को एकीकृत करती है, जिससे भारी वर्षा के दौरान भूस्खलन का खतरा कम हो जाता है।
  - पारंपरिक जल संचयन:
    - **राजस्थान में जोहड़** (मिट्टी के छोटे तालाब या पोखर) भूजल पुनर्भरण में सुधार करके सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिये देशज ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करना:

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:** पीढ़ियों से चला आ रहा देशज ज्ञान, पर्यावरणीय पैटर्न के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।
  - **आधुनिक प्रौद्योगिकी** के साथ एकीकृत होने पर यह आपदा तैयारी और मोचन को बढ़ाता है।
  - **उदाहरण: बांग्लादेश और ओडिशा** में, स्थानीय मछुआरे **लहरों के पैटर्न और हवा की दिशाओं का निरीक्षण** करते हैं, जिसे मौसम संबंधी आँकड़ों के साथ मिलाने पर चक्रवात के पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार होता है।
- **आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना के लिये पारंपरिक और आधुनिक इंजीनियरिंग का संयोजन: पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाने से आपदा-प्रतिरोधी क्षमता प्रबल होती है।**
  - उदाहरण के लिये, **असम में चांग-घरों (खंभे पर बने घर) को आधुनिक बाढ़-रोधी सामग्रियों** जैसे कि **प्रबलित बाँस और काष्ठ** के साथ जोड़कर **अधिक मज़बूत तथा टिकाऊ संरचना** बनाई जा सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संधारणीय पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना:** स्वदेशी समुदायों की मदद से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने से जलवायु अनुकूलन में वृद्धि होती है।
  - **गुजरात और राजस्थान में पारंपरिक बावड़ियों (बाओलियों)** का पुनर्भरण किया जा सकता है और **सूखे तथा जल संकट** से निपटने के लिये **इन्हें आधुनिक वर्षा जल संचयन तकनीकों** से जोड़ा जा सकता है।

- **नीति एकीकरण और स्थानीय शासन**
  - **आपदा नीतियों में स्वदेशी प्रथाओं को मान्यता:** NDMA **पारंपरिक प्रथाओं को राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यढाँचे में संस्थागत बना सकता है।**
  - **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** सरकारें और गैर सरकारी संगठन **समुदायों को अपनी मूल प्रथाओं को वैज्ञानिक मान्यता** के साथ दस्तावेज़ीकृत और परिष्कृत करने के लिये प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे व्यापक रूप से उनका अंगीकरण सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क पर आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, सुदृढ़ अवसंरचना और स्थायी संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्वदेशी ज्ञान एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : अदिति, एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी हैं, जो जनजाति बहुल क्षेत्र में प्रभागीय वन अधिकारी (DFOO) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें जनजातीय नेताओं के माध्यम से एक निजी बुनियादी अवसंरचना कंपनी द्वारा वन भूमि के बड़े हिस्से का निर्वनीकरण करने की शिकायतें मिली हैं। उनकी जाँच से पुष्टि होती है कि परियोजना वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती है, लेकिन राज्य सरकार इसे एक प्रमुख विकास पहल के रूप में बढ़ावा देती है। जनजातीय विस्थापन और पारिस्थितिकी विनाश के डर से परियोजना का सख्त विरोध करते हैं, जबकि कुछ कार्यकर्त्ता विरोध की धमकी देते हैं।

जैसे ही अदिति कार्रवाई करने के लिये तैयार होती है, मुख्य सचिव उसे 'विकास के व्यापक हित' में 'सहयोग' करने की सलाह देते हैं और यह संकेत देते हैं कि अगर वह विरोध करती है तो उसका तबादला भी हो सकता है। अदिति अब दुविधा का सामना कर रही है। अगर वह परियोजना पर रोक लगाती है, तो उसे राजनीतिक प्रतिक्रिया और कॅरियर के परिणामों का जोखिम उठाना पड़ता है। अगर वह ऐसा करने देती है, तो वह अपनी ईमानदारी और कानून से समझौता करती है। अगर वह जानकारी लीक करती है, तो वह राष्ट्रीय जाँच को आमंत्रित करती है, लेकिन उस पर कदाचार का आरोप लगाया जा सकता है।

1. **इस मामले में कानूनी दायित्वों, शासन नैतिकता, पर्यावरण न्याय और व्यक्तिगत अखंडता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिये।**
2. **एक नैतिक लोक सेवक के रूप में, अदिति के लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाई के तरीकों और उनके नैतिक एवं व्यावसायिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।**
3. **पारिस्थितिक संधारणीयता और हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भारत की पर्यावरणीय अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपाय सुझाइये।**

परिचय:

भारतीय वन सेवा की अधिकारी अदिति को उस समय नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा जब एक निजी कंपनी ने **वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करते हुए राज्य समर्थित विकास परियोजना के लिये** अवैध रूप से वन भूमि के बड़े हिस्से का निर्वनीकरण किया।

- यद्यपि जनजातीय समुदाय और कार्यकर्त्ता विस्थापन एवं पारिस्थितिकीय क्षति के कारण परियोजना का विरोध कर रहे हैं, मुख्य सचिव उन पर सहयोग करने के लिये दबाव डाल रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि यदि उन्होंने विरोध किया तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ:

- **कानूनी दायित्व बनाम राजनीतिक दबाव:** अदिति **वन अधिकार अधिनियम, 2006** से बंधी हुई है, जो **जनजातीय समुदायों को उनकी भूमि पर कानूनी संरक्षण** प्रदान करता है।
  - हालाँकि, राज्य सरकार इस परियोजना को एक बड़ी विकास पहल के रूप में देखती है और उनसे सहयोग की अपेक्षा करती है।
  - अगर वह कानून लागू करती है, तो वह **राजनीतिक अधिकारियों को नाराज़ करने का जोखिम** उठाती है। अगर वह राजनीतिक दबाव का पालन करती है, तो वह कानूनी और नैतिक दोनों ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शासन नैतिकता बनाम कैरियर परिणाम:** एक लोक सेवक के रूप में, अदिति से **ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय** को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।
  - मुख्य सचिव का 'सहयोग' करने का सुझाव और स्थानांतरण की निहित धमकी **प्रशासनिक स्वतंत्रता के संदर्भ में चिंताएँ** बढ़ाती है।
  - अगर वह विरोध करती है, तो उसे अपने **करियर में नुकसान** उठाना पड़ सकता है। अगर वह झुकती है तो वह शासन की नैतिकता और संस्थाओं में जनता के भरोसे से समझौता करती है।
- **पर्यावरणीय न्याय बनाम आर्थिक विकास:** बुनियादी अवसंरचना परियोजना नौकरियों का सृजन कर सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन इससे **जनजातीय विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश का भी खतरा** है।
  - यद्यपि आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण एक संवैधानिक कर्त्तव्य है **(अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g))**।
  - अगर अदिति इस परियोजना को अनुमति देती हैं, तो वे **दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव की अनदेखी** करती हैं। अगर वे इसे रोकती हैं, तो उन्हें विकास में बाधा डालने वाला माना जाएगा।
- **पारदर्शिता बनाम प्रशासनिक प्रोटोकॉल:** जनता को कानूनी उल्लंघनों के बारे में जानकारी लीक करने से राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो सकता है और जवाबदेही तय हो सकती है।
  - हालाँकि, ऐसी कार्रवाई को **कदाचार या अवज्ञा** माना जा सकता है, जिससे उसकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है।
  - **अगर वह चुप रहती** है, तो उच्च अधिकारियों द्वारा मामले को दबा दिया जा सकता है। उसे यह **तय करना होगा कि क्या उसे सिस्टम के भीतर काम करना** है या न्याय सुनिश्चित करने के लिये कोई साहसिक कदम उठाना है।

2. एक नैतिक लोक सेवक के रूप में, अदिति के लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाई के तरीकों और उनके नैतिक एवं व्यावसायिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।

1. **कानून लागू करना और परियोजना रोकना:**
   - a. **अदिति निजी कंपनी को कानूनी नोटिस जारी करके, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मामला दर्ज करके और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) से स्थगन आदेश प्राप्त करके सख्त कार्रवाई कर सकती है।**
     - यह **विधिक सत्यनिष्ठा, पर्यावरणीय न्याय और जनजातीय अधिकारों** को कायम रखता है।
   - b. **हालाँकि, यह दृष्टिकोण सुदृढ़ राजनीतिक प्रतिशोध को भड़का सकता है, जिसमें संभावित स्थानांतरण या कॅरियर में ठहराव भी शामिल है।**
     - यद्यपि यह कानूनी और नैतिक दृष्टि से सही है, लेकिन इसमें रणनीतिक कूटनीति का अभाव है, जिसके कारण यह एक उच्च जोखिम वाला विकल्प है।
2. **प्रशासनिक चैनलों और उच्च अधिकारियों को शामिल करना**
   - a. एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय अदिति उचित **प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकती है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को सूचित** कर सकती है तथा **केंद्र सरकार या न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग** कर सकती हैं।
     - वह परियोजना को रोकने या संशोधित करने को उचित ठहराने के लिये **एक विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट** भी प्रस्तुत कर सकती है।
   - b. हालाँकि, उच्च प्रशासनिक हस्तक्षेप में समय लग सकता है और यह जोखिम भी है कि **राजनीतिक प्रभाव कार्रवाई को दबा सकता है या उसमें विलंब** कर सकता है, जिससे **जनजातीय समुदायों एवं पर्यावरण को निरंतर नुकसान** पहुँच सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

3. **जनजातीय समुदायों, सरकार और कंपनी के बीच मध्यस्थता**
   a. **अदिति जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों, कंपनी प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं** को एक साथ लाकर एक मध्यम मार्ग निकालने के लिये **बहु-हितधारक संवाद** शुरू कर सकती हैं।
      - वह **वैकल्पिक परियोजना स्थलों** का समर्थन कर सकती हैं, जनजातीय समुदायों के लिये उचित **पुनर्वास और मुआवज़ा** सुनिश्चित कर सकती हैं तथा वनरोपण एवं पारिस्थितिकी-संवेदनशील निर्माण जैसे **सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर बल** दे सकती हैं।
   b. **यह दृष्टिकोण व्यावहारिक नेतृत्व, संघर्ष समाधान और नैतिक कूटनीति** को प्रदर्शित करता है।
      - हालाँकि, यदि वार्ता विफल हो जाती है या सरकार सहयोग करने से इनकार कर देती है, तो उस पर **निष्क्रियता या तुष्टिकरण का आरोप** लगाया जा सकता है तथा जनजातीय समुदायों का प्रशासन पर विश्वास खत्म हो सकता है।
4. **रणनीतिक मुखबिरी का प्रयोग करना**
   a. **यदि** सभी प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो अदिति **व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014** का प्रयोग करके सार्वजनिक दबाव बनाने के लिये **स्वतंत्र पर्यावरण एजेंसियों**, **मीडिया** या **न्यायपालिका को जानकारी लीक कर सकती है।**
      - इससे शासन में **जवाबदेही और पारदर्शिता** सुनिश्चित होगी।
   b. **हालाँकि,** यह एक **उच्च जोखिम वाला दृष्टिकोण है** जिसे **कदाचार या अवज्ञा के रूप** में देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप **अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी** हो सकती है।
      - इससे **प्रशासनिक अस्थिरता** भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे **भविष्य के शासन में राजनीतिक हस्तक्षेप** हो सकता है। हालाँकि चरम मामलों में नैतिक रूप से उचित है, लेकिन इसे अंतिम उपाय के रूप में ही अपनाया जाना चाहिये।
5. **मध्य मार्ग अपनाना: शर्तों का सीमित अनुपालन**
   a. **अदिति परियोजना को जारी रखने की अनुमति दे सकती हैं**, लेकिन **कड़े पर्यावरणीय नियम और सामुदायिक सुरक्षा उपाय** लागू कर सकती हैं।
      - इसमें **वनों का शून्य वनीकरण**, **जनजातीय समुदायों का न्यूनतम विस्थापन** और **संवहनीय निर्माण प्रथाओं को सुनिश्चित करना** शामिल है।
      - वह जनजातीय कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निवेश के लिये भी बल** दे सकती हैं।
   b. **यह** विकल्प **विकास को नैतिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित** करता है, लेकिन इसमें **बहुत अधिक समझौता करने का जोखिम** भी है।

सबसे व्यावहारिक कार्यवाही:

अदिति को वैधानिकता, शासन नैतिकता और व्यावहारिक बाधाओं के बीच संतुलन बनाने के लिये **विकल्प 2, 3 और 5 का संयोजन** अपनाना चाहिये। उसे यह करना चाहिये:

- कानूनी अनुपालन और संस्थागत समर्थन सुनिश्चित करने के लिये **प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाना** चाहिये।
- **हितधारकों के बीच मध्यस्थता करके** एक स्थायी समाधान की तलाश की जानी चाहिये जो पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करे तथा जनजातीय अधिकारों का सम्मान करे।
- सरकार के साथ सीधे टकराव से बचते हुए पर्यावरण और जनजातीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **परियोजना पर सख्त शर्तें लागू** किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

3. भारत की पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को कारगर बनाने के उपाय:

- **विनियामक कार्यढाँचे को सुदृढ़ बनाना**
  - **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से कठोर और **स्वतंत्र** बनाया जाना चाहिये:
    - सीमित क्षेत्र सत्यापन के साथ प्रो-फॉर्मा मंजूरी के स्थान पर **संचयी प्रभाव आकलन** को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
    - नवीनतम जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता अनुसंधान के आधार पर **पर्यावरण मानदंडों को अद्यतन** किया जाना चाहिये।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना**
  - **भ्रष्टाचार और अनुचित राजनीतिक प्रभाव को** रोकने के लिये, मंजूरी प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिये:
    - EIA रिपोर्ट, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और मंजूरी देने या अस्वीकार करने के कारणों के **वास्तविक काल प्रकटीकरण** के अधीन आवेदनों, अनुमोदनों व अस्वीकृतियों पर नज़र रखने के लिये एक **ऑनलाइन सार्वजनिक निगरानी प्रणाली के माध्यम से डिजिटलीकरण किया** जाना चाहिये।
    - **तृतीय पक्ष के ऑडिट** को **मंजूरी के बाद अनुपालन निगरानी** के साथ मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **सार्थक हितधारक भागीदारी को बढ़ावा देना**
  - स्थानीय समुदायों, पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों को निर्णय लेने में अधिक सशक्त भूमिका निभाना:
    - **सार्वजनिक सुनवाई स्थानीय भाषाओं में तथा पारदर्शी एवं सुलभ तरीके** से की जानी चाहिये।
    - स्थानीय और जनजातीय समुदायों के **पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को पर्यावरणीय आकलन** में शामिल किया जाना चाहिये।
    - **शिकायत निवारण तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिये ताकि प्रभावित समुदायों को अन्यायपूर्ण मंजूरियों को चुनौती देने का अवसर मिल सके।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को मंजूरी मानदंडों में एकीकृत करना**
  - EC **प्रक्रिया को भारत की सतत् विकास लक्ष्य प्रतिबद्धताओं के अनुरूप** होना चाहिये, विशेष रूप से:
    - **SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई)** → परियोजनाओं में **कार्बन शून्य** उपायों को एकीकृत करना होगा।
    - **SDG 15 (थलीय जीवों की सुरक्षा)** → जैव-विविधता संरक्षण के सख्त प्रोटोकॉल अनिवार्य किये जाने चाहिये।
    - **SDG 6 (स्वच्छ जल और साफ-सफाई)** → जल निकायों को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की नियमबद्ध समीक्षा की जानी चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक विकास दीर्घकालिक संधारणीयता की कीमत पर न हो।
- **बेहतर पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**
  - **AI, उपग्रह इमेजिंग और GIS मैपिंग** के अंगीकरण से पर्यावरण निगरानी अधिक **वैज्ञानिक एवं डेटा-संचालित** हो सकती है।
  - **रियल टाइम रिमोट सेंसिंग** से वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन और प्रदूषण के स्तर का पता लगाया जा सकता है।
  - **AI-संचालित प्रभाव आकलन** दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षरण के मूल्यांकन में सटीकता में सुधार कर सकता है।
- **निकासी के बाद अनुपालन और दंड को सख्त करना**
  - मंजूरी **एक बार की स्वीकृति नहीं होनी चाहिये** बल्कि एक **सतत् प्रक्रिया** होनी चाहिये जिसमें अनुपालन की सख्त निगरानी की जाती है। उपायों में शामिल हैं:
    - स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा **अनिवार्य आवधिक पर्यावरणीय लेखा परीक्षा।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उल्लंघन के लिये कठोर दंड**, जिसमें गैर-अनुपालन के लिये **मंजूरी रद्द करना** भी शामिल है।

◆ इससे उद्योगों को नियमों की अनदेखी करने से रोका जा सकेगा तथा **जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा** मिलेगा।

निष्कर्ष:

संतुलित पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को **पारिस्थितिकी अखंडता या हितधारक अधिकारों से समझौता किये बिना कुशल निर्णय लेना सुनिश्चित करना चाहिये।** पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी एवं सख्त मंजूरी के बाद की निगरानी को एकीकृत करके, भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा करते हुए सतत् विकास प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न : आप एक प्रतिष्ठित सरकारी विश्वविद्यालय में प्रवेश निदेशक हैं। प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसमें सख्त योग्यता-आधारित मानदंड लागू किये गए हैं। अंतिम चयन से कुछ दिन पूर्व, आपको राज्य सरकार के एक वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी का फोन आता है, जो अपने बेटे के लिये (जो कट-ऑफ अंकों को पूरा नहीं करता है) प्रवेश का अनुरोध करता है। वह इस बात पर बल देता है कि विश्वविद्यालय के विस्तार परियोजनाओं के लिये सरकारी अनुदान प्राप्त करने में उसका समर्थन महत्त्वपूर्ण रहा है।

साथ ही, कुलपति (VC) आपको एक निजी बैठक में सूचित करते हैं कि विश्वविद्यालय का वित्तपोषण एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है और अधिकारी की सद्भावना भविष्य के अनुदान को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। कुलपति सुझाव देते हैं कि आप विश्वविद्यालय में उक्त छात्र के प्रवेश को समायोजित करने के लिये 'विवेकाधीन कोटा' का पता लगाएं।

इस बीच, प्रवेश समिति का कनिष्ठ संकाय सदस्य प्रवेश सूची में अंतिम समय में किये गए असामान्य परिवर्तनों के बारे में निजी तौर पर आपके समक्ष चिंता व्यक्त करता है तथा संभावित बाह्य हस्तक्षेप की ओर संकेत करता है। आप निष्पक्षता बनाए रखने के अपने कर्त्तव्य और विश्वविद्यालय के वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच दुविधा में हैं।

1. **इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उनका विश्लेषण कीजिये।**
2. **प्रवेश निदेशक के रूप में आपके लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाही के तरीकों का परीक्षण कीजिये। प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। आप कार्यवाही का कौन-सा रास्ता अपनाएंगे और क्यों?**
3. **विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और बाह्य दबावों का प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिये कौन-से संस्थागत सुधार लागू किये जा सकते हैं?**

परिचय:

एक **वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी अपने बेटे** (जो प्रवेश मापदंड के कट-ऑफ अंकों को पूरा नहीं करता है) **को प्रवेश देने के लिये** विश्वविद्यालय के लिये सरकारी धन प्राप्त करने में उसकी भूमिका का हवाला देते हुए **प्रवेश निदेशक पर दबाव डालता है।** कुलपति सूक्ष्मता से इसका समर्थन करते हैं, संस्थान के वित्तीय संघर्षों को उजागर करते हैं, जबकि एक कनिष्ठ संकाय सदस्य प्रवेश सूची में अंतिम समय में किये गए असामान्य बदलावों के बारे में चिंता व्यक्त करता है।

- यह मामला **नैतिक सत्यनिष्ठा** (योग्यता आधारित प्रवेश) और **संस्थागत व्यावहारिकता (धन सुरक्षित करना),** पारदर्शिता, निष्पक्षता और बाह्य प्रभाव के प्रतिरोध के बीच संघर्ष को प्रस्तुत करता है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उनका विश्लेषण कीजिये।

- **निष्पक्षता और योग्यता का उल्लंघन**
  - योग्यता आधारित प्रवेश में **उम्मीदवारों का चयन केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और क्षमताओं के आधार पर** करके **निष्पक्षता** सुनिश्चित की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- लोक सेवा अधिकारी के बेटे को स्थान देना उन योग्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा जो मानदंड तो पूरा करते हैं, लेकिन पक्षपात के कारण अपनी सीट खो सकते हैं।
- इससे **नकारात्मक उदहारण** स्थापित होगा, **प्रवेश प्रक्रिया में विश्वास कम होगा** और **विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर असर** पड़ेगा।

- **शक्ति का मनमाना उपयोग और अनुचित प्रभाव**
  - लोक सेवा अधिकारी अपने बेटे के लिये विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहा है, जो **निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों** (अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार) **का उल्लंघन** है।
    - कुलपति द्वारा **'विवेकाधीन कोटा' का उपयोग** करने का सुझाव, बाह्य दबाव के तहत **संस्थागत समझौते** को दर्शाता है।
  - यह स्थिति सार्वजनिक संस्थाओं में **वंशवाद और संरक्षणवाद** के बड़े मुद्दे को प्रतिबिंबित करती है, जो **संस्थागत अखंडता को कमज़ोर** कर सकती है।
- **हितों का टकराव और संस्थागत अखंडता**
  - विश्वविद्यालय की सरकारी अनुदान पर वित्तीय निर्भरता, वित्त पोषण बनाए रखने और नैतिक मानकों को कायम रखने के बीच नैतिक संघर्ष उत्पन्न करती है।
    - नैतिक अखंडता की तुलना में वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीक रूप से **विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता को नुकसान** पहुँच सकता है।
  - कुलपति की भूमिका संस्थागत प्रशासन के बारे में चिंताएँ—**"क्या वित्तीय स्थिरता नैतिक समझौते की कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिये?"** उत्पन्न करती है।
- **निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही**
  - प्रवेश सूची में अंतिम क्षण में किये गए परिवर्तन **पारदर्शिता की कमी** और **संभावित हेरफेर की चिंता** उत्पन्न करते हैं।
    - यदि इस तरह के प्रभाव की अनुमति दी जाती है, तो भविष्य में अन्य शक्तिशाली व्यक्ति भी इसी तरह का हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे प्रणालीगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
  - कनिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ अनैतिक प्रथाओं के प्रति आंतरिक प्रतिरोध को इंगित करती हैं तथा **व्हिसलब्लोअर संरक्षण एवं संस्थागत सुधारों की आवश्यकता** पर प्रकाश डालती हैं।

2. प्रवेश निदेशक के रूप में आपके लिये उपलब्ध संभावित कार्यवाही के तरीकों का परीक्षण कीजिये। प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष पर चर्चा कीजिये। आप कार्यवाही का कौन-सा रास्ता अपनाएंगे और क्यों?

विकल्प 1: वरिष्ठ लोक सेवक के अनुरोध को अस्वीकार किया जाए और योग्यता को सख्ती से कायम रखा जाए

कार्रवाई: लोक सेवकों और कुलपति को **स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिये** कि **प्रवेश प्रक्रिया में योग्यता के आधार पर चयन** किया जाता है तथा **इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता।**

गुण:

- **निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत विश्वसनीयता** को कायम रखता है।
- भविष्य में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिये **नकारात्मक मिसाल कायम** होने से रोकता है।
- विश्वविद्यालय की नैतिक अखंडता में छात्रों, शिक्षकों और आम जनता के बीच विश्वास को दृढ़ करता है।

अवगुण:

- इससे **प्रशासनिक और राज्य सरकार के साथ संबंधों में तनाव** आ सकता है, जिससे भविष्य में वित्त पोषण पर खतरा हो सकता है।
- **कुलपति को असमर्थन** महसूस हो सकता है, जिससे **संस्थागत संघर्ष** उत्पन्न हो सकता है।
- अल्पावधि में, विश्वविद्यालय को वित्तीय रूप से संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे **विस्तार परियोजनाएँ प्रभावित** हो सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विकल्प 2: अनुरोध स्वीकार किया जाए और इसे 'विवेकाधीन कोटा' के अंतर्गत उचित ठहराया जाए

कार्रवाई: लोक सेवक के बेटे को **विशेष विवेकाधीन कोटे के तहत समायोजित किया जाए** और इसे **संस्थागत आवश्यकता के तहत उचित** ठहराया जाए।

गुण:

- इससे **विश्वविद्यालय के लिये निरंतर सद्भावना और वित्तपोषण** सुनिश्चित होगा, जिससे **दीर्घकाल में हजारों छात्रों को लाभ** मिल सकेगा।
- सरकार में प्रमुख हितधारकों के साथ संबंधों को मज़बूत बनाता है।
- प्रशासनिक सामंजस्य बनाए रखते हुए कुलपति के साथ टकराव से बचा जाता है।

अवगुण:

- यह **योग्यता-आधारित सिद्धांतों का उल्लंघन** करता है, जिसके परिणामस्वरूप **योग्य छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार** होता है।
- इससे **राजनीतिक हस्तक्षेप की मिसाल** कायम हो सकती है तथा **संस्थागत स्वायत्तता कमज़ोर** हो सकती है।
- यदि यह बात उजागर हो गई तो **विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान** पहुँच सकता है, जिससे **जनता और मीडिया में नकारात्मक प्रतिक्रिया** हो सकती है।

सर्वोत्तम कार्यवाही: विकल्प 1

इस **मामले के नैतिक और व्यावहारिक आयामों** को देखते हुए, कई कार्यों को मिलाकर एक **रणनीतिक दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिये:

योग्यता आधारित प्रवेश को दृढ़ता से कायम रखना:

- लोक सेवकों और कुलपति को स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है कि **प्रवेश नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।**
- इसे व्यक्तिगत संघर्ष बनने से बचाने के लिये **कानूनी और नैतिक कारणों** (जैसे: समता के संवैधानिक सिद्धांत) **का हवाला दिया जाना आवश्यक** है।

यह दृष्टिकोण क्यों ?

- **नैतिकता और व्यावहारिकता में संतुलन–** वित्तपोषण सुरक्षित करने के नैतिक तरीके ढूंढते हुए योग्यता कायम रहती है।
- **संस्थागत क्षति को रोकता है–** सार्वजनिक प्रतिक्रिया या विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता की हानि को रोकता है।
- **दीर्घकालिक शासन को सुदृढ़ करता है–** भविष्य में इसी प्रकार की दुविधाओं को रोकता है।

3. विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और बाह्य दबावों का प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिये कौन-से संस्थागत सुधार लागू किये जा सकते हैं ?

- **स्वतंत्र प्रवेश निरीक्षण समिति:** वरिष्ठ संकाय और बाह्य विशेषज्ञों के एक स्थायी निकाय को प्रवेश की निगरानी करनी चाहिये, निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये और अनुचित राजनीतिक प्रभाव को रोकना चाहिये।
  - यह एक **जाँच एवं संतुलन तंत्र** के रूप में कार्य करेगा, जिससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
- **डिजिटल और गुमनाम प्रवेश प्रक्रिया:** AI-संचालित, स्वचालित प्रवेश मूल्यांकन मानवीय पूर्वाग्रह और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर सकता है।
  - एक पारदर्शी, ऑडिट-ट्रेल-इनेबल्ड सिस्टम अंतिम क्षण में अनधिकृत परिवर्तनों (जैसे: **NTA काउंसलिंग**) को प्रतिबंधित करेगी।
- **सख्त गैर-विवेकाधीन कोटा नीति:** सभी प्रवेशों में पूर्व-निर्धारित, योग्यता-आधारित मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये, जिसमें कानूनी रूप से अनिवार्य आरक्षण को छोड़कर, पक्षपात के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिये।
  - इससे संस्था में निष्पक्षता और जनता का विश्वास कायम रहेगा।
- **प्रवेश संबंधी आँकड़ों का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण:** विश्वविद्यालय को प्रवेश के बाद चयन मानदंड, कट-ऑफ अंक और मेरिट सूची ऑनलाइन प्रकाशित करनी चाहिये।
  - इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और हितधारकों को प्रक्रिया की जाँच करने की सुविधा मिलती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्वतंत्र निकायों द्वारा विनियामक निरीक्षण:** UGC या एक स्वतंत्र मान्यता एजेंसी द्वारा नियमित ऑडिट एवं निगरानी योग्यता-आधारित मानकों का पालन सुनिश्चित कर सकती है।
- **वित्तपोषण के लिये वैकल्पिक समर्थन विकसित करना:** वित्तपोषण **संस्थागत उत्कृष्टता पर आधारित** होना चाहिये, **न कि व्यक्तिगत पक्षपात पर।**
  - संभावित **CSR योगदान, अनुसंधान अनुदान**, या **पूर्व छात्र-संचालित बंदोबस्ती** वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र के रूप में काम कर सकते हैं। वै

निष्कर्ष:

प्रवेश में विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिये बाह्य प्रभाव पर योग्यता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। साथ ही, **राजनीतिक सद्भावना पर निर्भरता को कम करने के लिये स्थायी वित्तपोषण मॉडल की खोज़** की जानी चाहिये। एक संतुलित दृष्टिकोण– **प्रणालीगत सुधारों द्वारा समर्थित दृढ़ नैतिक निर्णय** लेना दीर्घकालिक संस्थागत अखंडता के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये एक बड़ी नीति बनाई गई है, और आपने इसके प्रारूपण एवं कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक शाम, घर लौटते समय, आपको अपनी बेटी के कॉलेज काउंसलर का फोन आता है, जो आपसे अगली सुबह मिलने का अनुरोध करता है।

जब आप कॉलेज जाते हैं, तो काउंसलर आपको बताता है कि आपकी बेटी में तनाव के लक्षण दिख रहे हैं, वह कक्षा में कम भाग ले रही है और उसकी अनुपस्थिति बढ़ रही है। अपनी बेटी से निजी तौर पर बात करने पर आपको पता चलता है कि वह एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उत्पीड़न (बुलीइंग) का शिकार हो रही है। उस पर उसके रूप-रंग और "उस अधिकारी की बेटी जो लोगों की पसंदीदा चीजों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं" जैसे तानों को लेकर मीम, वीडियो एवं पोस्ट बनाए जा रहे हैं।

वह बताती है कि उसके सहपाठी न केवल स्कूल में, बल्कि ऑनलाइन भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके पिता की भूमिका के कारण उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जिससे उसके माता-पिता के फैसलों के प्रति असंतोष झलकता है। वह आपसे अनुरोध करती है कि इस मामले में कोई आधिकारिक या सार्वजनिक कदम न उठाया जाए, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसका अपमान और बढ़ जाएगा। आपके सहकर्मी आपको अपने मंत्रालय के प्रेस विंग के माध्यम से औपचारिक स्पष्टीकरण जारी करने या तथ्यों को प्रस्तुत करने और अपने परिवार का बचाव करने के लिये एक व्यक्तिगत वीडियो जारी करने की सलाह देते हैं। हालाँकि, वरिष्ठ लोक सेवक आपको इसे व्यक्तिगत या भावनात्मक बनाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यह एक गलत उदहारण पेश कर सकता है और संस्थागत प्रोटोकॉल को कमज़ोर कर सकता है।

(a) मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और चर्चा कीजिये।

(b) इस स्थिति में आप क्या कदम उठाएँगे और क्यों? नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

(c) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या नियामक कार्यढाँचा होना चाहिये कि सोशल मीडिया स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिये एक स्थान बना रहे तथा नागरिकों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, गलत सूचना और डिजिटल हेरफेर से सुरक्षित रखा जा सके?

परिचय:

यह मामला एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है, जहाँ **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी**, जो सोशल मीडिया विनियमन नीति के प्रारूप को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को एक **व्यक्तिगत संकट का सामना** करना पड़ता है, क्योंकि **उनकी बेटी ऑनलाइन उत्पीड़न (बुलीइंग) का शिकार** हो जाती है और यह उनके पेशेवर कार्य से जुड़ा होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अब, उन्हें अपनी बेटी की भावनात्मक-मानसिक स्वास्थ्य और गोपनीयता की रक्षा करनी है, लेकिन साथ ही उन्हें संस्थागत ईमानदारी बनाए रखते हुए सार्वजनिक आलोचनाओं (public criticism) का जिम्मेदारी से प्रत्युत्तर भी देना है।

मुख्य भाग:

(a) मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और चर्चा कीजिये।

- **निजता और गरिमा का उल्लंघन**
  - वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (नीति-निर्माता) की बेटी होने के कारण उसकी पहचान का **जानबूझकर गलत और नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल** किया गया है, उसे बदनाम और उसका **सार्वजनिक उपहास** किया जा रहा है।
  - यह उनकी **निजता, सम्मान** और **मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन** है तथा संभवत: **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन** है।
- **साइबर बुलीइंग और जवाबदेही का अभाव**
  - यह घटना **ऑनलाइन बुलीइंग के बढ़ते खतरे** को उजागर करती है, विशेष रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के खिलाफ तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर **गुमनामी से उत्पन्न विषाक्तता को** उजागर करती है।
  - इससे उस नीति की **प्रभावशीलता और निष्पक्षता** पर सवाल उठता है जिसे तैयार करने में अधिकारी ने मदद की थी।
- **संस्थागत अखंडता बनाम भावनात्मक प्रतिक्रिया**
  - सार्वजनिक खंडन को **व्यक्तिगत बचाव के लिये सरकारी कार्यप्रणाली का दुरुपयोग** तथा **लोक प्रशासन की तटस्थता का उल्लंघन** माना जा सकता है।
  - दूसरी ओर, चुप्पी असंवेदनशीलता का संकेत दे सकती है और धमकाने वालों को बढ़ावा दे सकती है।
- **मिसाल और सार्वजनिक धारणा**
  - व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एक मिसाल कायम कर सकती है, जहाँ नीति-निर्माता **शासन को व्यक्तिगत बनाना शुरू कर सकते हैं,** जिससे दीर्घकालिक **प्रशासनिक विश्वसनीयता प्रभावित** होगी।
  - हालाँकि, प्रतिक्रिया में विफलता **प्रशासनिक अभिजात्यवाद या उदासीनता** के रूप में दिखाई दे सकती है, विशेष रूप से **उन नागरिकों के लिये जो इसी तरह के ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।**

(b) इस स्थिति में आप क्या कदम उठाएँगे और क्यों? नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

चरण 1: बेटी की निजता, भावनात्मक और मानसिक भलाई का ध्यान रखना

- **उसकी मानसिक भलाई सुनिश्चित करना तत्काल प्राथमिकता होगी। जिसमें मुझे:**
  - भावनात्मक समर्थन को सुदृढ़ करने के लिये उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करना चाहिये और उसे यह आश्वासन देना चाहिये कि मैं हर हाल में उसके साथ हूँ।
  - परिवार या सहकर्मी जैसे विश्वसनीय और पृथक माध्यमों से पेशेवर परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिये।
- **नैतिक सिद्धांत:** एक कमज़ोर व्यक्ति के प्रति करुणा, देखभाल नैतिकता और सहानुभूति महत्त्वपूर्ण होगी।

चरण 2: उसकी स्वायत्तता और सहमति का सम्मान करना

- चूँकि उसने (बेटी) स्पष्ट रूप से गोपनीयता की इच्छा व्यक्त की है, इसलिये **मैं किसी भी व्यक्तिगत मीडिया बयान या उच्च-स्तरीय सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचूंगा,** जिससे उनकी स्थिति खराब हो सकती है। चूँकि उसने स्पष्ट रूप से गोपनीयता की इच्छा जताई है, इसलिए मुझे ऐसे किसी भी व्यक्तिगत मीडिया बयान देने या हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचना चाहिये, जो उसकी स्थिति को और खराब कर सकती है।"
- **नैतिक सिद्धांत:** स्वायत्तता और व्यक्तिगत गरिमा के प्रति सम्मान। नेक इरादों के बावजूद, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से लाभ की बजाय हानि हो सकती है।

चरण 3: बिना निजीकरण के संस्थागत प्रतिक्रिया

- अपनी बेटी या व्यक्तिगत जीवन का संदर्भ दिये बिना, मुझे एक **तटस्थ विभागीय समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता** है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या वर्तमान सोशल मीडिया नीतियाँ **साइबर बुलीइंग और लक्षित उत्पीड़न** जैसे मुद्दों को बेहतर ढंग से हल करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यदि कोई कमी पाई जाती है, तो इसके लिये संशोधन की सिफारिश की जानी चाहिये और संस्थागत माध्यमों से शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने की जानी चाहिये।

- **नैतिक सिद्धांत:** निष्पक्षता, व्यावसायिक दायित्व, सार्वजनिक हित के प्रति संवेदनशीलता।

चरण 4: शैक्षणिक संस्थान से निजी तौर पर संपर्क करना

- **मुझे कॉलेज प्राधिकारियों से यह अनुरोध करना चाहिये कि वे:**
  - कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन व्यवहार, बदमाशी और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में संवेदनशील बनाएँ।
  - परिसर में सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दों पर अधिक सक्रियता से निगरानी रखें।
- **नैतिक सिद्धांत:** नेतृत्व, निवारक नैतिकता और सामुदायिक कल्याण के प्रति जिम्मेदारी।

(c) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या नियामक कार्यढाँचा होना चाहिये कि सोशल मीडिया स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिये एक स्थान बना रहे तथा नागरिकों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, गलत सूचना और डिजिटल हेरफेर से सुरक्षित रखा जा सके?

- **त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** से प्रेरित, लेकिन अधिक प्रभावी एवं उपयोगकर्त्ता के अनुकूल:
    - **टियर 1: प्लेटफॉर्म-स्तरीय शिकायत अधिकारी—** सभी प्लेटफॉर्मों के लिये दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, गलत सूचना आदि हेतु **72 घंटे की प्रतिक्रिया समय** के साथ लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।
    - **टियर 2: स्व-नियामक निकाय—** स्वतंत्र उद्योग-नेतृत्व वाली संस्थाएँ शिकायतों की निगरानी करेंगी और प्रसारण कंटेंट शिकायत परिषदों के समान प्लेटफॉर्म अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
    - **टियर 3: सरकारी निरीक्षण तंत्र—** एक **डिजिटल संचार प्राधिकरण** या नोडल मंत्रालय निकाय जो अनसुलझे शिकायतों का निवारण करेगा, आपत्तिजनक सामग्री हटाने (takedown orders) के आदेशों को लागू करेगा और सलाहकारी दिशानिर्देश जारी करेगा।
- **अनिवार्य ऑनलाइन सुरक्षा मानक**
  - सभी **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिये न्यूनतम सुरक्षा और नैतिक मानकों** को लागू करने हेतु कानूनी आदेश लागू किये जाने चाहिये, जिसमें शामिल हैं:
    - **सत्यापित रिपोर्टिंग उपकरण:** हेट स्पीच, डीप फेक, साइबर बुलीइंग पर कार्रवाई के लिये रियल-टाइम रिपोर्टिंग ऑप्शन— विशेष रूप से नाबालिगों या कमज़ोर समूहों को लक्षित करने के लिये।
    - **युवाओं के लिये डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स: आपत्तिजनक कंटेंट को स्वचालित रूप से फिल्टर करना, 18 वर्ष से कम आयु के यूज़र्स के लिये निजी प्रोफाइल डिफॉल्ट** तथा आयु-उपयुक्त कंटेंट मॉडरेशन।
    - **जियो-टैगिंग ट्रांसपैरेंसी:** यूज़र्स को सूचित किया जाना चाहिये कि क्या उन्हें लक्षित करने वाले कंटेंट को उनके क्षेत्र या देश के बाहर प्रचारित किया जा रहा है, ताकि विदेशी प्रचार (foreign propaganda) या भ्रामक जानकारी (misinformation) से मुकाबला किया जा सके।
- **एल्गोरिदम ट्रांसपैरेंसी और जवाबदेही**
  - एल्गोरिदम कंटेंट को **सकारात्मक और विषाक्त दोनों रूप से** बढ़ावा देते हैं। इसलिये:
    - **ऑडिट योग्य पारदर्शिता रिपोर्ट:** प्लेटफॉर्मों को समय-समय पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये, जिसमें टेकडाउन आँकड़े, आपत्तिजनक कंटेंट के रुझान और कंटेंट मॉडरेशन की सफलता दर शामिल हैं।
    - **एथिकल AI गवर्नेंस: कंटेंट रेकमेंडेशन या मॉडरेशन** के लिये प्रयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम को एक **स्वतंत्र प्राधिकरण** (EU में GDPR की तर्ज पर) द्वारा ऑडिट योग्य बनाया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पूर्वाग्रह पहचान प्रोटोकॉल:** प्लेटफॉर्मों को **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों का पता लगाना और उनका खुलासा करना** चाहिये जो नकारात्मक पूर्वाग्रहों को बल दे सकते हैं या ध्रुवीकरण संबंधी आख्यानों को बढ़ा सकते हैं।

- **डिजिटल सभ्यता और नैतिकता शिक्षा**
  - **कार्यढाँचे का एक सक्रिय, निवारक स्तंभ:**
    - **स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल एथिक्स पाठ्यक्रम:** जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, सहानुभूति और तथ्य-जाँच की शिक्षा अनिवार्य है।
    - **जन जागरूकता अभियान: स्वच्छ भारत के व्यवहार परिवर्तन दृष्टिकोण** के समान, **"टाइप करने से पहले सोचें"** या **"जिम्मेदार नेटिजनशिप" जैसे राष्ट्रीय अभियानों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
    - **गेमिफाइड रिपोर्टिंग प्रोत्साहन:** उन नैतिक उपयोगकर्त्ताओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिये जो लगातार दुर्व्यवहार या गलत सूचना की रिपोर्ट करते हैं, उन्हें बैज, डिजिटल साक्षरता टोकन या सिविक पॉइंट्स (नागरिक अंक) प्रदान किये जाने चाहिये।

- **मनोवैज्ञानिक और पीड़ित सहायता तंत्र**
  - ऑनलाइन दुर्व्यवहार के **मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव** का अभिनिर्धारण:
    - साइबर बुलीइंग के पीड़ितों, विशेषकर किशोरों और महिलाओं के लिये **समर्पित हेल्पलाइन** होने चाहिये।
    - गुमनाम परामर्श, आघात सहायता और सहकर्मी समूह प्रदान करने के लिये **मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग** किया जाना चाहिये।
    - **कानूनी सहायता पीड़ितों** को साइबर अपराध इकाइयों तक पहुँचने और बिना किसी डर या कलंक के शिकायत दर्ज करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

- **सीमा पार सहयोग और डेटा स्थानीयकरण**
  - वैश्विक तकनीकी अग्रणियों और सीमा पार ट्रॉलिंग से निपटने के लिये:
    - **अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा: दक्षिण एशिया डिजिटल सुरक्षा चार्टर** या वैश्विक डिजिटल नैतिकता समझौतों में भागीदारी के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।
    - **डेटा स्थानीयकरण कानून:** यह सुनिश्चित करना कि प्लेटफॉर्म गोपनीयता से समझौता किये बिना, जाँच में सहायता के लिये यूज़र्स डेटा को भारतीय सर्वर पर संग्रहीत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

इस दुविधा से निपटने के लिये, व्यक्तिगत संवेदनशीलता और पेशेवर जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा। संस्थागत प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक प्रणालीगत खामियों को दूर करना दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करता है। **भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विवेक और नैतिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हैं।** इस घटना को **सभी नागरिकों के लिये डिजिटल सुरक्षा कार्यढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये उत्प्रेरक** के रूप में काम करना चाहिये।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "नैतिकता हमारे द्वारा चयनित विकल्पों से संबद्ध नहीं होती, बल्कि उन विकल्पों के पीछे के कारणों में ही निहित होती है।" नैतिक तर्क और निर्णय लेने के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैतिकता और नैतिक तर्कणा के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- नैतिक तर्क और निर्णय लेने से संबंधित प्रमुख दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिये।
- विकल्पों से परे नैतिकता के लिये तर्क दीजिये।
- मुख्य बिंदुओं का सारांश देकर निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिकता मूलत: **न केवल व्यक्तियों द्वारा लिये गए निर्णयों से संबंधित** है, बल्कि **उन निर्णयों के पीछे अंतर्निहित तर्क से भी संबंधित** है।

- नैतिक तर्कणा में व्यक्तिगत या सामाजिक प्राथमिकताओं के बजाय **सिद्धांतों, मूल्यों और परिणामों के आधार पर कार्यों की नैतिकता का मूल्यांकन** करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

नैतिक तर्क और निर्णय लेना:

नैतिक तर्क नैतिक दुविधाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करने और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर चुनाव करने की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न दृष्टिकोण शामिल हैं:

- **परिणामवाद (उपयोगितावाद)**- निर्णय परिणामों पर आधारित होते हैं (उदाहरण के लिये, अधिकतम संख्या के लिये खुशी को अधिकतम करना)।
  - *उदाहरण:* संकट के दौरान बहुसंख्यक वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिये आर्थिक राहत उपायों को प्राथमिकता देने वाली सरकार।
- **कर्त्तव्यपरायण-नैतिकता (काण्ट के नैतिक सिद्धांत)** - निर्णय, परिणामों की परवाह किये बिना **कर्त्तव्यों, अधिकारों और नियमों पर आधारित** होते हैं।
  - *उदाहरण:* एक मुखबिर व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद भ्रष्टाचार को उजागर करता है, क्योंकि **सत्य और न्याय नैतिक अनिवार्यताएँ** हैं।
- **सद्गुण नैतिकता (अरस्तूवादी नैतिकता)**- कार्य के बजाय निर्णयकर्त्ता के नैतिक चरित्र पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - *उदाहरण:* एक डॉक्टर पेशेवर नैतिकता और करुणा से प्रेरित होकर एक गरीब मरीज़ का निशुल्क उपचार करता है।

विकल्पों से परे नैतिकता

- **कार्रवाई पर नैतिक औचित्य:** नैतिकता इस बात से संबंधित है कि क्या निर्णय **स्वार्थ, भय या वास्तविक नैतिक दायित्व से** लिया गया है।
  - *उदाहरण:* दो लोग दान करते हैं - एक कर लाभ के लिये, दूसरा सहानुभूति के कारण। कार्य एक ही है, लेकिन नैतिक तर्क अलग-अलग हैं।
- **इरादा और नैतिक अखंडता:** इरादे के आधार पर एक ही कार्य के अलग-अलग नैतिक मूल्य हो सकते हैं।
  - *उदाहरण:* एक व्यवसाय केवल लाभ के लिये संधारणीय प्रथाओं को अपनाता है, जबकि दूसरा पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिये ऐसा करता है।
- **नैतिक दुविधाएँ और औचित्य:** कई नैतिक दुविधाओं में प्रतिस्पर्द्धी मूल्य शामिल होते हैं और तर्क यह निर्धारित करता है कि किस मूल्य को प्राथमिकता दी जाए।
  - *उदाहरण:* किसी अपराधी को सजा सुनाते समय न्यायाधीश को न्याय (दंड) और पुनर्वास (दया) के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
- **सार्वजनिक नीति और शासन:** शासन में निर्णय लेने का कार्य संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और दीर्घकालिक सामाजिक भलाई द्वारा निर्देशित होता है।
  - *उदाहरण:* सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को केवल एक राजनीतिक रणनीति के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम के रूप में लागू किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

इसलिये, **नैतिकता केवल सही या गलत विकल्पों के संदर्भ में नहीं** है, बल्कि **उनके पीछे के तर्क के संदर्भ में भी** है। **वास्तविक नैतिक व्यवहार अनुपालन या सुविधा के बजाय सुस्थापित नैतिक तर्क के परिणामस्वरुप** होता है। **नैतिक नेतृत्व, शासन और व्यक्तिगत आचरण को** नैतिक रूप से सही निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिये **न्याय, सहानुभूति एवं अखंडता** जैसे सिद्धांतों द्वारा संचालित किया जाना चाहिये।

प्रश्न : "नैतिक उपभोक्तावाद सतत् विकास का भविष्य है।" इस विषय पर चर्चा कीजिये कि नैतिक विचार उपभोक्ता विकल्पों और निगमित उत्तरदायित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक उपभोक्तावाद को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- उपभोक्ता विकल्पों और निगमित उत्तरदायित्व को प्रभावित करने वाले नैतिक विचारों के पक्ष में तर्क दीजिये।
- इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

नैतिक उपभोक्तावाद से तात्पर्य **पर्यावरणीय संधारणीयता, श्रम अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व** जैसे **नैतिक विचारों के आधार पर क्रय निर्णय लेने की प्रथा** से है।

- यह व्यवसायों को जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके **सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।

मुख्य भाग:

उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करने वाले नैतिक विचार:

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** उपभोक्ता तीव्रता से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण संधारणीय ब्रांडों का उदय हो रहा है।
  - *उदाहरण:* जीवाश्म ईंधन आधारित कारों की तुलना में टाटा नेक्सन EV जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग।
- **निष्पक्ष व्यापार और श्रम अधिकार:** नैतिक उपभोक्ता ऐसे ब्रांड चुनते हैं जो श्रमिकों के लिये उचित मज़दूरी और सुरक्षित कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित करते हैं।
  - ***उदाहरण:*** फेयरट्रेड-प्रमाणित कॉफी और कपड़ों के **ऐसे ब्रांडों को प्राथमिकता, जो स्वेटशॉप से बचते हैं।**
- **पशु कल्याण:** उपभोक्ताओं का एक विकसित-विस्तृत होता हुआ हुआ वर्ग पशुओं पर परीक्षण किये गए या पशुओं के शोषण से बने उत्पादों से परहेज़ करता है।
  - ***उदाहरण:*** क्रुएल्टी-फ्री सौंदर्य प्रसाधनों और बियॉन्ड मीट जैसे **पादप-आधारित खाद्य विकल्पों का उदय**।
- **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:** संधारणीय और नैतिक विनिर्माण प्रथाओं को प्रदर्शित करने वाले व्यवसायों से उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है।
  - ***उदाहरण:*** आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाले ब्रांड (उदाहरण के लिये, **यूनिलीवर की सस्टेनेबल पाम ऑयल** पहल)।

निगमित उत्तरदायित्व को आयाम देने वाले नैतिक उपभोक्तावाद

- **संधारणीय उत्पादन पद्धतियाँ:** उपभोक्ता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये कंपनियाँ हरित विनिर्माण प्रक्रियाएँ अपना रही हैं।
  - ***उदाहरण :*** एप्पल ई-अपशिष्ट को कम करने के लिये अपने उपकरणों में पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग कर रहा है।
- **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** व्यवसाय उपभोक्ता मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिये CSR पहलों को एकीकृत कर रहे हैं।
  - ***उदाहरण :*** टाटा समूह के ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सामुदायिक कल्याण पहल।
- **विनियामक अनुपालन और ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानक:** ESG मानदंडों का पालन करने वाली कंपनियाँ नैतिक निवेशकों को आकर्षित करती हैं।
  - ***उदाहरण :*** टेस्ला और इन्फोसिस जैसी वैश्विक कंपनियाँ शून्य-कार्बन लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रही हैं।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट न्यूनीकरण:** नैतिक उपभोक्तावाद रैखिक अर्थव्यवस्था (उत्पादन-उपयोग-निपटान) से चक्रीय अर्थव्यवस्था (पुन: उपयोग-पुनर्चक्रण-न्यूनीकरण) की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है।
  - ***उदाहरण:*** **H&M की परिधान रीसाइक्लिंग पहल** और IKEA का संधारणीय फर्नीचर उत्पादन।

नैतिक उपभोक्तावाद के लिये चुनौतियाँ:

- **नैतिक उत्पादों की उच्च लागत:** कई संधारणीय और निष्पक्ष व्यापार उत्पाद महंगे हैं, जिससे उनकी उपलब्धता सीमित हो जाती है।
- **ग्रीनवाशिंग:** कुछ कंपनियाँ वास्तविक प्रतिबद्धता के बिना अपने उत्पादों को नैतिक बताकर गलत तरीके से विपणन करती हैं।
- **सीमित जागरूकता:** विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जानकारी और क्रय शक्ति की कमी के कारण नैतिक उपभोक्तावाद अभी भी विकसित हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

नैतिक उपभोक्तावाद **सतत् विकास का एक प्रमुख चालक** है क्योंकि यह **जिम्मेदार निगमित व्यवहार और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं** को प्रोत्साहित करता है। यद्यपि चुनौतियाँ मौजूद हैं, बढ़ती जागरूकता, नीतिगत हस्तक्षेप और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाएँ नैतिक उपभोक्तावाद को दृढ़ कर सकती हैं, जिससे यह **वैश्विक संवहनीयता के भविष्य में एक निर्णायक कारक** बन सकता है।

प्रश्न : "संधारणीयता केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक नैतिक दायित्व है।" स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने में निगमित नैतिकता, प्रशासन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भूमिका पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- संधारणीयता को एक नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित कीजिये, न कि केवल एक नीतिगत लक्ष्य के रूप में।
- पर्यावरणीय संधारणीयता में निगमित नैतिकता, प्रशासन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भूमिका की व्याख्या कीजिये।
- तर्कों की पुष्टि के लिये उदाहरण, तथ्य और डेटा के साथ उत्तर दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संधारणीयता केवल एक **नीतिगत विकल्प नहीं** है, **बल्कि भावी पीढ़ियों और पृथ्वी के कल्याण के प्रति एक नैतिक उत्तरदायित्व** है। एथिकल गवर्नेंस, निगमित नैतिकता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व **संधारणीय पर्यावरणीय प्रथाओं** को सुनिश्चित करने में **महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं। नीतिगत निर्णय लेने में **आर्थिक प्रगति को पर्यावरण संरक्षण के साथ** जोड़ना चाहिये, जिससे **विकास और पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन को बढ़ावा** मिले।

मुख्य भाग:

- **संधारणीयता में निगमित नैतिकता की भूमिका**
  - **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नैतिक पर्यावरणीय प्रथाओं को अनिवार्य** बनाता है, जिसके तहत कंपनियों को अपने **पारिस्थितिक फूटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता** होती है।
  - **ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) कार्यढाँचा संधारणीय निवेश को बढ़ावा** देता है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय **दीर्घकालिक पारिस्थितिक कल्याण को प्राथमिकता दें।**
  - **हरित आपूर्ति श्रृंखलाएँ और नैतिक उत्पादन मॉडल** पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
    - **उदाहरण:** टाटा समूह की **हरित विनिर्माण पद्धतियाँ** और ITC की **"वेल-बीइंग आउट ऑफ वेस्ट" (WOW) पहल संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन** को बढ़ावा देती है।
- **संधारणीयता में शासन की भूमिका**
  - पर्यावरण कानून और शासन **कार्यढाँचे संधारणीयता** को लागू करते हैं, **जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण** नियंत्रण नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
    - **उदाहरण:** NTPC का **स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीय गतिशीलता पर ध्यान** केंद्रित करना, व्यावसायिक लक्ष्यों को पर्यावरणीय नैतिकता के साथ संरेखित करता है।
  - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** जैसी **सरकारी पहल प्रमुख क्षेत्रों में सतत् विकास को बढ़ावा** देती है।
  - **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR)** जैसी नीतियाँ **निगमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण** के लिये उत्तरदायी बनाती हैं।
    - **उदाहरण:** भारत द्वारा एकल-उपयोग वाले **प्लास्टिक पर प्रतिबंध (वर्ष 2022) संधारणीयता के प्रति नीति-संचालित नैतिक उत्तरदायित्व** को दर्शाता है।
- **संधारणीयता में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भूमिका**
  - **नैतिक उपभोक्तावाद संधारणीय उत्पादों की मांग** को बढ़ाता है, **कॉर्पोरेट जवाबदेही और पर्यावरण जागरूकता** को प्रोत्साहित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट में कमी और वनरोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना व्यक्तियों का **नैतिक कर्त्तव्य** है।
  - उदाहरण के लिये, 'स्वच्छ भारत अभियान' ने **नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल किया** तथा **नैतिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा** दिया।
- **"सेव आरे फॉरेस्ट"** जैसे **नागरिक-नेतृत्व वाले आंदोलन** सामूहिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं।
  - **उदाहरण:** जल संरक्षणवादी **राजेंद्र सिंह का नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य** संधारणीयता में नैतिक व्यक्तिगत नेतृत्व पर प्रकाश डालता है।

निष्कर्ष:

संधारणीयता **केवल एक कानूनी या आर्थिक लक्ष्य नहीं** है, **बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता** है जिसके लिये **निगमों, सरकारों और व्यक्तियों से प्रतिबद्धता की आवश्यकता** होती है। **निगमित नैतिकता, सुदृढ़ शासन और जिम्मेदार नागरिकता** को मिलाकर एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण एक **समुत्थानशील एवं संधारणीय भविष्य** सुनिश्चित कर सकता है।

प्रश्न : शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्राय: संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता के समान ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। नैतिक नेतृत्व और लोक सेवा में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) और शासन में इसके महत्त्व को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- नैतिक नेतृत्व में EI की भूमिका पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये।
- प्रासंगिक मामलों के साथ लोक सेवा में EI के प्रभाव की व्याख्या कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) से तात्पर्य **स्वयं और दूसरों में भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता** से है। शासन में, EI **संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता का पूरक** है, **नैतिक नेतृत्व और कुशल लोक सेवा को प्रोत्साहन** देता है। **उच्च EI** वाले लोक सेवक **सहानुभूति, आत्म-नियमन और सामाजिक जागरूकता** प्रदर्शित करते हैं, जिससे **उत्तरदायी एवं नैतिक शासन** सुनिश्चित होता है।

मुख्य भाग:

नैतिक नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका:

- **आत्म-जागरूकता** नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है तथा **नेताओं को संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों** के साथ कार्यों को संरेखित करने में मदद करती है।
- **सहानुभूति समावेशी शासन को बढ़ावा** देती है तथा **यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ सीमांत समुदायों** की चिंताओं को दूर करें।
- **स्व-नियमन आवेगपूर्ण निर्णयों को रोकता है,** प्रशासन में **पारदर्शिता, धैर्य और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा** देता है।
- **ईमानदारी और जवाबदेही दृढ़** होती है, क्योंकि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता **भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह एवं अनैतिक दबावों का विरोध** करते हैं।

लोक सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका:

- **नागरिक-केंद्रित प्रशासन से जनता का विश्वास बढ़ता है,** क्योंकि अधिकारी शिकायतों को **करुणा और व्यावसायिकता के साथ निपटाते हैं।**
- **शासन में संघर्ष समाधान भावनात्मक रूप से बुद्धिमान मध्यस्थता** से लाभान्वित होता है, जिससे **प्रशासनिक कठोरता कम** होती है।
- **संकट प्रबंधन अधिक प्रभावी** हो जाता है, जिससे **आपात स्थितियों के दौरान शांत निर्णय लेने और स्पष्ट संचार** सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **'मिशन कर्मयोगी'** जैसी नीतियों का उद्देश्य **नैतिक सद्भाव को बढ़ावा देना, नागरिक-अनुकूल शासन एवं नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा** देना है।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता **नैतिक नेतृत्व और उत्तरदायी शासन के लिये आवश्यक है,** जो प्रशासन में **उत्तरदायित्व, समावेशिता एवं विश्वास** सुनिश्चित करती है। चूँकि शासन में **करुणा एवं दक्षता की मांग** बढ़ रही है, इसलिये निरंतर नैतिक शासन के लिये **लोक सेवा प्रशिक्षण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।**

प्रश्न : "नैतिक साहस के लिये अकेले खड़े होने की इच्छा और अपनी स्थिति बदलने की विनम्रता दोनों की आवश्यकता होती है।" लोक प्रशासन में नैतिक साहस के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक साहस के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- अकेले खड़े रहने की इच्छाशक्ति के मुख्य तर्क और उदाहरण दीजिये तथा नई वास्तविकताओं के आधार पर नीतियों के अंगीकरण के तर्कों एवं उदाहरणों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि दोनों के बीच संतुलन क्यों महत्त्वपूर्ण है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक साहस **नैतिक सिद्धांतों को कायम रखते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ रहने की क्षमता** है। हालाँकि, वास्तविक नैतिक साहस केवल **अडिग प्रतिरोध के संदर्भ में नहीं** है; बल्कि इसके लिये **गलतियों को स्वीकार करने, नए साक्ष्यों से सबक लेने और उसके अनुसार अनुकूल की विनम्रता** की भी आवश्यकता होती है।

मुख्य भाग:

अकेले खड़े रहने की इच्छाशक्ति:

लोक सेवकों को प्राय: ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ उन्हें ईमानदारी बनाए रखने के लिये **भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव या संस्थागत जड़ता का विरोध** करना पड़ता है। इसके लिये अकेले खड़े होने का साहस चाहिये, चाहे वह व्यक्तिगत या पेशेवर जोखिम ही क्यों न हो।

उदाहरण के लिये:

- **अशोक खेमका (IAS अधिकारी):** उन्होंने अपने **कॅरियर में 50 से अधिक तबादलों** का सामना करने के बावजूद एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े **अवैध भूमि सौदों का पर्दाफाश** किया। उनकी दृढ़ता लोक प्रशासन में नैतिक साहस को उजागर करती है।
- **ई. श्रीधरन ('भारत के मेट्रो मैन'):** उन्होंने दिल्ली मेट्रो परियोजना में **प्रशासनिक विलंब और राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध** किया तथा यह सुनिश्चित किया कि **दक्षता एवं गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा** जाए।
- **संजीव चतुर्वेदी (व्हिसलब्लोअर IFoS अधिकारी):** AIIMS के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में, उन्होंने भारी दबाव और प्रतिशोध के बावजूद **खरीद एवं भर्ती में भ्रष्टाचार** को उजागर किया।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि **नैतिक नेतृत्व के लिये प्राय: निहित स्वार्थों की अवहेलना करना आवश्यक** होता है, तब भी जब अकेले खड़े होने में चुनौतियाँ हों।

परिवर्तन के प्रति विनम्रता:

जबकि दृढ़ रहना महत्त्वपूर्ण है, लोक सेवकों को परिस्थितियों में परिवर्तन होने या **नई जानकारी सामने आने पर अपने रुख को संशोधित करने के लिये भी तैयार रहना चाहिये।** विनम्रता नेताओं को **गलतियों को सुधारने, नए दृष्टिकोण अपनाने** और **व्यापक भलाई के लिये नीतियों को परिष्कृत करने** की अनुमति देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

उदाहरण के लिये:

- **महात्मा गांधी (असहयोग आंदोलन, 1922): चौरी चौरा की घटना के बाद,** जहाँ हिंसा भड़क उठी, गांधीजी ने **आंदोलन को वापस ले लिया,** यह महसूस करते हुए कि अनियंत्रित आंदोलन से अधिक नुकसान हो सकता है।
  - उनका निर्णय प्रारंभिक रणनीतियों के सख्त पालन की तुलना में अहिंसा को प्राथमिकता देने वाले **जिम्मेदार नेतृत्व** को दर्शाता है।
- **टी.एन. शेषन (चुनाव सुधार, 1990 का दशक):** प्रारंभ में चुनावी कदाचारों को रोकने के लिये आक्रामक, **टकरावपूर्ण दृष्टिकोण** अपनाया, लेकिन बाद में संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिये **अपनी रणनीति में संशोधन किया, जिससे स्थायी सुधार सुनिश्चित हुए।**
- **डॉ. वर्गीज़ कुरियन (ऑपरेशन फ्लड):** प्रारंभ में उन्होंने **डेयरी में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विरोध** किया, लेकिन बाद में उन्होंने **सहकारी मॉडल को अपनाया,** जिसके परिणामस्वरूप भारत की डेयरी क्रांति को सफलता मिली।

लोक प्रशासन में संतुलन की आवश्यकता:

- एक सफल लोक सेवक को नैतिक विश्वास और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके:
  - **निर्णय लेने में सत्यनिष्ठा** (अनैतिक प्रभावों का विरोध)।
  - **नई जानकारी के प्रति संवेदनशीलता** (बेहतर परिणामों के लिये नीतियों को अनुकूलित करना)।
  - **धारणीय शासन** (यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक सुधार स्वीकार किये जाएँ और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाएँ)।
- उदाहरण के लिये, **डिजिटल गोपनीयता कानूनों** पर कठोर रुख व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, लेकिन साइबर अपराधों के खिलाफ **कानून प्रवर्तन प्रयासों में बाधा** उत्पन्न कर सकता है। **सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गोपनीयता की रक्षा** के लिये संतुलन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में नैतिक साहस का अर्थ है **जब आवश्यक हो तो अकेले खड़े रहने की इच्छाशक्ति** और **जब आवश्यक हो तो अनुकूलन करना।** आदर्श लोक सेवक **भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, ईमानदारी बनाए रखते हैं** और **फिर भी परिवर्तन के लिये तैयार** रहते हैं, जिससे **शासन सुनिश्चित होता है जो सिद्धांतबद्ध व प्रगतिशील** दोनों है।

प्रश्न : लोक सेवा में 'नैतिक संकट' की अवधारणा किस प्रकार उत्पन्न होती है तथा लोक सेवक रचनात्मक रूप से इसके शमन के लिये कौन-सी रणनीति अपना सकते हैं? **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक संकट को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- लोक सेवा में नैतिक संकट की प्रमुख अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिये।
- नैतिक संकट के रचनात्मक ढंग से शमन की रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

नैतिक संकट तब होता है जब लोक सेवक अपने **नैतिक मूल्यों और अपने कार्य वातावरण की माँगों के बीच टकराव के कारण मनोवैज्ञानिक असुविधा** का अनुभव करते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब लोक सेवकों को **कार्रवाई का सही तरीका** पता होता है लेकिन उन्हें संस्थागत, राजनीतिक या प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में नैतिक संकट की अभिव्यक्ति

लोक सेवकों को प्राय: ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ उन्हें **राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रणालीगत अकुशलता या कठोर पदानुक्रमिक संरचनाओं** के कारण अपनी नैतिक मान्यताओं से समझौता करना पड़ता है।

प्रमुख अभिव्यक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

- **नैतिक मूल्यों और संगठनात्मक निर्देशों के बीच संघर्ष**
  - जब लोक सेवकों पर **त्रुटिपूर्ण नीतियों या अनैतिक निर्णयों को मंजूरी देने का दबाव** डाला जाता है, जबकि उन्हें उनके नकारात्मक परिणाम पता होते हैं।
  - **उदाहरण:** एक लोक सेवक को उच्च अधिकारी के दबाव के कारण **प्रदूषणकारी उद्योग के लाइसेंस को मंजूरी देने का काम सौंपा गया, जबकि उसे इसके पर्यावरणीय प्रभाव का पता था।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **व्हिसलब्लोअर दुविधाएँ**
  - सरकारी संस्थाओं में **भ्रष्टाचार या कदाचार को उजागर करने पर प्रतिशोध** का भय।
  - उदाहरण: **संजीव चतुर्वेदी (IFoS अधिकारी)** को AIIMS में भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उत्पीड़न और कई स्थानांतरणों का सामना करना पड़ा।
- **संसाधन की कमी के कारण नैतिक समझौते**
  - लोक सेवकों को तब संघर्ष करना पड़ सकता है जब **बजटीय सीमाएँ** उन्हें आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने से रोकती हैं, जिससे उन्हें **सामाजिक न्याय की तुलना में आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता** देने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
  - उदाहरण: एक ज़िला कलेक्टर को महामारी के दौरान **सीमित चिकित्सा आपूर्ति आवंटित करने के लिये मजबूर** किया गया, जिससे **उपचार किसे मिलेगा, इस बारे में नैतिक विकल्प चुनना कठिन हो गया।**
- **अन्यायपूर्ण नीतियों को कायम रखने का दबाव**
  - प्रशासक कभी-कभी ऐसी नीतियों को लागू करते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से अन्यायपूर्ण मानते हैं, लेकिन उन्हें **चुनौती देने का अधिकार नहीं होता।**
  - उदाहरण: **विवादास्पद भूमि अधिग्रहण कानूनों का कार्यान्वयन**, जो व्यक्तिगत आपत्तियों के बावजूद सीमांत समुदायों को विस्थापित करता है।

नैतिक संकट के रचनात्मक ढंग से शमन की रणनीतियाँ:

- **नैतिक निर्णय लेने के कार्यढाँचे को सुदृढ़ करना**
  - लोक सेवकों को नैतिक दुविधाओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने में मदद करने के लिये **स्पष्ट नैतिक दिशानिर्देश और निर्णय लेने संबंधी प्रोटोकॉल** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिये **मुखबिर संरक्षण नीतियों** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** ने भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग के लिये संस्थागत तंत्र बनाया, जिससे प्रतिशोध का डर कम हुआ।
- **खुले संचार और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना**
  - **सरकारी संस्थाओं के भीतर खुले संवाद की संस्कृति** को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे प्रशासकों को बिना किसी भय के अपनी बात कहने का अवसर मिले।
  - नेताओं को अंध आज्ञाकारिता लागू करने के बजाय **नैतिक निर्णय लेने का समर्थन** करना चाहिये।
- **नैतिक दृढ़ता और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन**
  - **नैतिक नेतृत्व पर कार्यशालाएँ** प्रशासकों को नैतिक दृढ़ता विकसित करने और दुविधाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकती हैं।
  - लोक सेवकों को **संघर्ष समाधान और मूल्य-आधारित निर्णय लेने में प्रशिक्षित** किया जाना चाहिये।
- **नैतिक संघर्षों को कम करने के लिये प्रशासनिक संरचनाओं में सुधार**
  - शासन में **अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने** के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिये।
  - अनुचित प्रभाव को रोकने के लिये **प्रमुख नियामक निकायों के लिये संस्थागत स्वायत्तता** सुनिश्चित की जानी चाहिये।
    - उदाहरण: **स्वतंत्र पुलिस कार्यप्रणाली के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश** (प्रकाश सिंह केस, 2006) का उद्देश्य कानून प्रवर्तन पर राजनीतिक नियंत्रण को कम करना था।

निष्कर्ष:

लोक सेवा में नैतिक संकट एक **अपरिहार्य चुनौती** है, लेकिन **नैतिक कार्यढाँचे, नेतृत्व समर्थन, प्रशिक्षण और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से इसका प्रबंधन** किया जा सकता है। **एक समुत्थानशील और सिद्धांतबद्ध प्रशासनिक को पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी शासन** सुनिश्चित करने के लिये **नैतिक अखंडता के साथ संस्थागत जिम्मेदारियों को संतुलित** करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : लोक सेवा के अंतर्गत वित्तीय संयम प्रशासनिक ईमानदारी में किस प्रकार योगदान देता है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:
- वित्तीय संयम के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- वित्तीय संयम शासन में किस प्रकार ईमानदारी में योगदान देता है, बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वित्तीय संयम, जिसे लोक सेवा के नैतिक एवं कुशल प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है, शासन में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये मौलिक घटक है। जब सार्वजनिक धन का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है, तो यह संस्थानों में विश्वास को दृढ़ करता है और **ईमानदारी को बनाए रखता है,** जो **लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और ईमानदार आचरण** को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

शासन में ईमानदारी के लिये वित्तीय संयम का योगदान:

- **सरकारी व्यय में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है:** वित्तीय संयम के लिये खुले बजट, उचित लेखा-जोखा और व्यय का स्पष्ट खुलासा आवश्यक है। यह पारदर्शिता धन के मनमाने उपयोग को हतोत्साहित करती है और नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है।
  - *उदाहरण:* सार्वजनिक **वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** मनरेगा और PMAY जैसी योजनाओं में धन वितरण की रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है तथा हेरफेर की गुंजाइश कम हो जाती है।
- **जवाबदेही तंत्र को मज़बूत बनाता है:** विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में नियमित अंकेक्षण, प्रदर्शन समीक्षा और जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाएँ शामिल हैं। जब लोक सेवा अधिकारियों को पता होता है कि व्यय पर बारीकी से नज़र रखी जाती है, तो उनके नैतिक रूप से कार्य करने की संभावना अधिक होती है।
  - *उदाहरण:* **CAG की ऑडिट रिपोर्टों में बार-बार वित्तीय अनियमितताओं** (जैसे: कोयला ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम मामलों में) **को उजागर किया गया है,** संस्थाओं को जवाबदेह ठहराया गया है और ईमानदारी को दृढ़ किया गया है।
- **भ्रष्टाचार और लीकेज को कम करता है:** जब वित्तीय मानदंडों और उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो इससे विवेक सुनिश्चित होता है तथा अस्पष्टता (जो प्राय: भ्रष्टाचार को जन्म देती है) कम हो जाती है। विवेकशीलता खामियों को दूर करने में मदद करती है।
  - *उदाहरण:* **प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (DBT)** प्रणाली ने सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करके LPG सब्सिडी (पहल) जैसी योजनाओं में लीकेज को बहुत हद तक कम कर दिया है, जिससे स्वच्छ शासन में योगदान मिला है।
- **नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है:** वित्तीय संयम के लिये लागत-लाभ विश्लेषण और जिम्मेदार प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। यह निर्णयकर्ताओं को राजनीतिक लाभ के बजाय जन कल्याण का आकलन करने में मदद करता है
  - *उदाहरण:* **FRBM अधिनियम** सरकारों को राजकोषीय घाटे को सीमित करने और व्यय की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिये बाध्य करता है, जिससे व्यर्थ के लोकलुभावन व्यय को रोका जा सके, जो अल्पकालिक राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- **जनता का विश्वास और वैधता बढ़ती है:** जब नागरिक देखते हैं कि उनके करों का बुद्धिमत्तापूर्वक और बिना किसी अपव्यय के उपयोग किया जा रहा है, तो इससे लोक प्रशासनिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है। यह नैतिक वैधता ईमानदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
  - *उदाहरण:* **PM-KUSUM** जैसी योजनाओं की सफलता, जहाँ सौर पंप सब्सिडी को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है, ने ग्रामीण शासन प्रणालियों में किसानों के बीच विश्वास बढ़ाया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संस्थागत अखंडता को बढ़ावा देता है:** वित्तीय अनुशासन को महत्त्व देने वाला पारिस्थितिकी तंत्र संस्थानों के भीतर नैतिक संस्कृति को भी मज़बूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अखंडता व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करती है बल्कि सिस्टम द्वारा संचालित है।
  - *उदाहरण:* **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)** की शुरूआत से विभागों में खरीद प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है, जिससे पक्षपात और अनैतिक प्रथाओं में कमी आई है।

निष्कर्ष:

वित्तीय संयम केवल राजकोषीय या आर्थिक चिंता नहीं है; बल्कि यह बहुत नैतिक है। यह लोक प्रशासन को ईमानदारी, दक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों के साथ जोड़ता है, जिससे शासन में ईमानदारी को दृढ़ता मिलती है। भारत जैसे लोकतंत्र में, जहाँ संसाधनों की कमी वास्तविक है और अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं, वित्तीय अनुशासन राज्य का नैतिक कर्त्तव्य बन जाता है।

प्रश्न : "भावनात्मक बुद्धिमत्ता नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवा की आधारशिला है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवा की आधारशिला के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पक्ष में तर्क दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) से तात्पर्य स्वयं की और दूसरों की **भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावित करने की क्षमता** से है। लोक सेवा में, जहाँ निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं और इसमें विश्वास, न्याय एवं कल्याण शामिल होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल वांछनीय बल्कि आवश्यक हो जाती है।

मुख्य भाग:

नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवा की आधारशिला के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता:

- **शासन में सहानुभूति और करुणा को सक्षम बनाती है:** उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला एक लोक सेवक **नागरिकों के संघर्षों के प्रति सहानुभूति** रख सकता है और विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के प्रति करुणा के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।
  - *उदाहरण:* **कोविड-19 लॉकडाउन** के दौरान, **प्रकाश राजपुरोहित (दिल्ली)** जैसे कई IAS अधिकारियों ने भोजन वितरण का आयोजन किया और प्रवासी श्रमिकों के लिये आश्रय सुनिश्चित किया, जिससे सहानुभूति एवं सक्रिय प्रशासन का प्रदर्शन हुआ।
- **दबाव में नैतिक निर्णय लेने में सहायता:** EI लोक सेवकों को उच्च तनाव की स्थितियों के दौरान भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को तर्कसंगत नैतिकता के साथ संतुलित करने में सहायता करता है।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय न केवल कानूनी रूप से सही हों, बल्कि नैतिक रूप से भी उचित हों।
  - *उदाहरण:* सांप्रदायिक तनाव से निपटने वाले ज़िला मजिस्ट्रेट को शांत रहना चाहिये, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिये और शांति बनाए रखने के लिये निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिये।
- **प्रभावी संघर्ष समाधान में सहायता:** लोक सेवक प्राय: परस्पर विरोधी हितों के बीच मध्यस्थता करते हैं जैसे: **किसान बनाम उद्योग, प्रदर्शनकारी बनाम पुलिस**, आदि।
  - भावनात्मक बुद्धिमत्ता **समस्या को सुनने, तनाव कम करने और उचित समाधान तक पहुँचने** में मदद करती है।
- **नागरिकों के बीच विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी विनम्रता एवं सम्मान के साथ संवाद करते हैं, जिससे नागरिकों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें महत्त्व दिया जा रहा है। इससे संस्थागत विश्वास का निर्माण होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- *उदाहरण:* **'मिरेकल मैन'** के नाम से विख्यात IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम ने **मणिपुर के सुदूर क्षेत्र में 100 किलोमीटर लंबी सड़क** बनाने के लिये फेसबुक के माध्यम से जन समर्थन जुटाकर असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं सहानुभूति का परिचय दिया।

- **बर्नआउट को रोकता है और नैतिक दृढ़ता बढ़ाता है:** लोक सेवा की मांगपूर्ण प्रकृति भावनात्मक श्रम का कारण बन सकती है। EI अधिकारियों को तनाव का प्रबंधन करने, ईमानदारी बनाए रखने और नैतिक समझौता रोकने में मदद करता है।
  - *उदाहरण:* पुलिस या लोक प्रशासन में नैतिक चूक प्राय: लंबे समय तक तनाव और निराशावाद से उत्पन्न होती है।
    - **LBSNAA और SVPNPA की** तरह EI में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने से भावनात्मक दृढ़ता विकसित करने में मदद मिलती है।

- **टीमवर्क और संगठनात्मक नैतिकता को सुदृढ़ करता है:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अभिकर्त्ता सार्वजनिक संस्थाओं में समावेशिता, सक्रिय सुनवाई और प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं जिससे एक नैतिक और जवाबदेह संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
  - *उदाहरण:* **केरल बाढ़ (वर्ष 2018) के दौरान, आपदा प्रबंधन टीमों** में भावनात्मक रूप से जागरूक नेतृत्व ने समन्वय, स्वयंसेवकों का मनोबल और प्रभावित आबादी के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित की।

निष्कर्ष

भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिये एक **मुख्य योग्यता** है। यह **नियम-आधारित शासन और मानव-केंद्रित प्रशासन के बीच के अंतराल को समाप्त करता है,** यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय न केवल कानून के अनुसार सही हों, बल्कि भावना के अनुसार भी सही हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निबंध

प्रश्न : पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है; बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी की धरोहर है।

प्रश्न : प्रगति की माप गति से नहीं, बल्कि सही दिशा से होती है।

प्रश्न : पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है; बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी की धरोहर है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- चीफ सिएटल: *"हमें पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिलती है; हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं।"*
- महात्मा गांधी: *"पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिये नहीं।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **अंतर-पीढ़ीगत जिम्मेदारी और संवहनीयता:**
  - ***अंतर-पीढ़ीगत न्याय*** की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि वर्तमान पीढ़ी का नैतिक दायित्व है कि वह भावी पीढ़ियों के लिये प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करे।
  - **भावी पीढ़ियों के अधिकार सिद्धांत (जॉन रॉल्स)** का तर्क है कि अल्पकालिक आर्थिक लाभों की तुलना में सतत् विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **पर्यावरणीय नैतिकता और मानवीय उत्तरदायित्व:**
  - **डीप इकोलॉजी (अर्ने नेस):** मानव-केंद्रित सोच से पारिस्थितिकी-केंद्रित सोच (प्रकृति-केंद्रित) की ओर बदलाव पर बल देता है।
  - **एल्डो लियोपोल्ड की भूमि नीति:** पर्यावरण को दोहन किये जाने वाले संसाधन के रूप में देखने के बजाय, उसे एक समुदाय, जिसके हम सदस्य हैं, के रूप में देखने को प्रोत्साहित करती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **पर्यावरणीय उपेक्षा के कारण विफलताएँ:**
  - **अमेज़न में वनों की कटाई:** लकड़ी काटने और कृषि से होने वाले अल्पकालिक आर्थिक लाभों के जैव-विविधता और जलवायु पर दीर्घकालिक परिणाम होते हैं।
  - **औद्योगिक क्रांति और प्रदूषण:** पर्यावरण सुरक्षा उपायों के बिना **तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण लंदन में ग्रेट स्मोग (वर्ष 1952)** जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
  - **अराल सागर संकट:** कृषि के लिये जल के अत्यधिक दोहन के कारण एक समय में समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र लगभग लुप्त हो गया।
- **विकास के संधारणीय मॉडल:**
  - **चिपको आंदोलन (भारत):** स्थानीय भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिक संरक्षण पर बल देने वाला एक ज़मीनी आंदोलन।
  - **स्कैंडिनेवियाई अक्षय ऊर्जा मॉडल:** स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों ने आर्थिक समृद्धि को बनाए रखते हुए सफलतापूर्वक हरित ऊर्जा का अंगीकरण किया है।

समकालीन उदाहरण:

- **स्थिरता में कॉर्पोरेट और तकनीकी नवाचार:**
  - **टेस्ला और इलेक्ट्रिक वाहन:** परिवहन में जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण का नेतृत्व करना।
  - **परिपत्र अर्थव्यवस्था पहल:** यूनिलीवर और IKEA जैसी कंपनियाँ संवहनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को लागू करके अपशिष्ट को कम कर रही हैं।
- **वैश्विक पर्यावरण प्रयास:**
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये एक वैश्विक कार्यढाँचा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारत का नवीकरणीय ऊर्जा प्रयास** : वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा प्राप्त करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य।
- **वनरोपण और संरक्षण परियोजनाएँ: बॉन चैलेंज जैसी पहल** का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर असंतुलित हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुत्थान करना है।

प्रश्न : प्रगति की माप गति से नहीं, बल्कि सही दिशा से होती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **महात्मा गांधी** : *"जीवन की गति बढ़ाने की अपेक्षा भी जीवन में बहुत कुछ है।"*
- **पीटर ड्रकर:** *"कार्यकुशलता का अर्थ है काम सही करना; प्रभावशीलता का अर्थ है सही काम करना।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **विकास में गुणवत्ता बनाम गति:**
  - **अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण:** प्रगति का मूल्यांकन मानव कल्याण में सुधार के आधार पर किया जाना चाहिये, न कि केवल आर्थिक संकेतकों के आधार पर।
  - **अरस्तू का स्वर्णिम मध्यमार्ग:** यह प्रगति के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण पर बल देता है, जल्दबाज़ी या ठहराव के अतिरेक से बचता है।
  - **बौद्ध दर्शन (मध्यम मार्ग):** यह लापरवाह गति के बजाय स्थिर, सचेत विकास पर बल देता है।
- **आकलन की गई प्रगति के नैतिक आयाम:**
  - **उपयोगितावाद (जॉन स्टुअर्ट मिल):** निर्णयों का ध्यान अल्पकालिक लाभ के बजाय समग्र कल्याण को अधिकतम करने पर होना चाहिये।
  - **विकास का गांधीवादी मॉडल:** केवल औद्योगीकरण के बजाय आत्मनिर्भरता, संवहनीयता और समान विकास पर बल देता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **तीव्र किंतु गुमराह विकास के कारण विफलताएँ:**
  - **सोवियत संघ के औद्योगिकीकरण अभियान** के कारण पर्यावरणीय क्षति और अस्थाई आर्थिक नीतियाँ उत्पन्न हुईं।
  - **वर्ष 2008 का वित्तीय संकट:** उचित विनियमन के बिना वित्तीय क्षेत्र के तेज़ी से विस्तार के परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक पतन हुआ।
- **स्थिर एवं उद्देश्यपूर्ण प्रगति की सफलता की कहानियाँ:**
  - **भारत की हरित क्रांति:** अल्पकालिक आर्थिक विकास की तुलना में दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई।
  - **जर्मनी का एनर्जीवेंडे (ऊर्जा संक्रमण):** अर्थव्यवस्था को अस्थिर किये बिना नवीकरणीय ऊर्जा की ओर क्रमिक, सुनियोजित संक्रमण।
  - **भूटान का सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (GNH) सूचकांक** : यह केवल सकल घरेलू उत्पाद के बजाय समग्र कल्याण के माध्यम से प्रगति का आकलन करता है।

समकालीन उदाहरण:

- **प्रौद्योगिकी और व्यापार रणनीतियाँ:**
  - **इंफोसिस की धीमी और स्थिर वृद्धि:** तीव्र मूल्यांकन की तलाश में लगी प्रौद्योगिकी कंपनियों के विपरीत, इंफोसिस ने स्थायी व्यापार विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया।
  - **टेस्ला का दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** प्रारंभिक घाटे के बावजूद, संधारणीय परिवहन पर इसके रणनीतिक फोकस ने दीर्घकालिक उद्योग परिवर्तन को जन्म दिया है।
- **शासन और वैश्विक विकास रुझान:**
  - **भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल:** आयात निर्भरता के बजाय दीर्घकालिक घरेलू औद्योगिक विकास पर बल देता है।
  - **सार्वभौमिक बुनियादी आय प्रयोग (फिनलैंड):** अल्पकालिक रोज़गार सृजन के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रश्न : ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि 'ज्ञान का भ्रम' है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **स्टीफन हॉकिंग/ डैनियल बूर्स्टिन:** "ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सुकरात:** "एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं।"
- **बर्ट्रेंड रसेल:** "दुनिया की समस्या यह है कि मूर्ख लोग निश्चिंत होते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग संदेह से भरे होते हैं।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह और ज्ञान का भ्रम:**
  - **डनिंग-क्रुगर प्रभाव:** कम क्षमता वाले लोग अपनी योग्यता को अधिक आँकते हैं, जिसके कारण उनमें गलत आत्मविश्वास पैदा होता है।
  - **पुष्टिकरण पूर्वाग्रह:** पहले से मौजूद मान्यताओं की पुष्टि करने वाली जानकारी की तलाश करने की प्रवृत्ति, जो सच्चे ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालती है।
- **डिजिटल युग में सूचना के अतिभार का विरोधाभास:**
  - **गलत सूचना और फर्ज़ी समाचार:** इंटरनेट ने सूचना तक अभिगम को लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन इसने व्यापक स्तर पर गलत सूचना को भी जन्म दिया है, जिससे लोगों को गलत विश्वास हो गया है कि वे पूरी जानकारी रखते हैं।
  - **इको चैम्बर्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम:** ये मौजूदा पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करते हैं, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के बजाय ज्ञान का भ्रम उत्पन्न करते हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **ज्ञान के भ्रम के कारण विफलताएँ:**
  - **ब्रह्माण्ड का टॉल्मी मॉडल:** भूकेंद्रित मॉडल गलत होने के बावजूद सदियों तक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, क्योंकि लोग इसे सत्य मानते थे।
  - **वर्ष 2008 का वित्तीय संकट:** त्रुटिपूर्ण आर्थिक मॉडलों में अति आत्मविश्वास और बाज़ार स्थिरता के बारे में धारणाओं के कारण सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई।
    - दोषपूर्ण वित्तीय मॉडलों में अत्यधिक विश्वास, जैसे: सबप्राइम बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ।
- **बौद्धिक विनम्रता और जिज्ञासा से प्रेरित सफलताएँ:**
  - **वैज्ञानिक क्रांति:** गैलीलियो और न्यूटन जैसे विचारकों ने प्रचलित मान्यताओं को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति हुई।
  - **महात्मा गांधी का दृष्टिकोण:** गांधीजी लगातार अपने विचारों पर सवाल उठाते रहे, वास्तविक दुनिया के अनुभवों के आधार पर उन्हें संशोधित करते रहे, जिससे उनका नेतृत्व सुदृढ़ हुआ।
  - **कोविड-19 विश्वमारी शमन:** जिन देशों ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को अपनाया (जैसे: दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड) उनका प्रदर्शन उन देशों की तुलना में बेहतर रहा, जो गलत सूचना या राजनीतिक बयानबाजी पर निर्भर थे।

समकालीन उदाहरण:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिक दुविधाएँ:** इसकी सीमाओं को समझे बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अंधविश्वास पूर्वाग्रहों और नैतिक चिंताओं को जन्म दे सकता है।
- **चिकित्सा उन्नति और छद्म विज्ञान:** टीकाकरण विरोधी आंदोलन यह दर्शाता है कि किस प्रकार गलत सूचना ज्ञान का भ्रम पैदा कर सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है।

प्रश्न : परंपरा और आधुनिकता को सह-अस्तित्व की आवश्यकता होती है, प्रतिस्पर्द्धा की नहीं।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **महात्मा गांधी:** "मैं नहीं चाहता कि मेरे घर को चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया जाए और मेरी खिड़कियाँ बंद कर दी जाएँ। मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियाँ मेरे घर के आस-पास यथासंभव स्वतंत्र रूप से आएँ।"
- **गुस्ताव माहलर:** "परंपरा राख की पूजा नहीं, बल्कि अग्नि का संरक्षण है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **परंपरा और आधुनिकता:**
  - **परंपरा:** सामूहिक ज्ञान, मूल्य और प्रथाएँ जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आधुनिकता:** वैज्ञानिक प्रगति, तर्कसंगत विचार और सामाजिक सुधारों के माध्यम से प्रगति की खोज़।

- **सह-अस्तित्व की आवश्यकता:**
  - **सांस्कृतिक पहचान और प्रगति:** जो समाज परंपरा को पूरी तरह त्याग देते हैं, वे अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता खोने का जोखिम उठाते हैं, जबकि कठोर परंपरावाद विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  - **समन्वयात्मक विकास:** भारतीय समाज ने पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए आधुनिक विचारों को आत्मसात कर विकास किया है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में सदियों पुराने सामाजिक मानदंडों के साथ सह-अस्तित्व में स्पष्ट होती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **परंपरा और आधुनिकता का सफल एकीकरण:**
  - **जापान का आर्थिक मॉडल:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए, जापान ने अपनी परंपराओं, जैसे चाय समारोह और ज़ेन दर्शन के प्रति गहरा सम्मान बनाए रखा है।
  - **भारत का संवैधानिक दृष्टिकोण:** भारतीय संविधान पारंपरिक लोकाचार (धर्म, पंचायती राज) को आधुनिक शासन सिद्धांतों (लोकतंत्र, मौलिक अधिकार) के साथ मिश्रित करता है।
  - **आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा:** भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक समग्र दृष्टिकोण के लिये पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं को एलोपैथिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करती है।
- **असंतुलन के कारण विफलताएँ:**
  - **चीन की सांस्कृतिक क्रांति (वर्ष 1966-76):** माओ के नेतृत्व में परंपरा की आक्रामक अस्वीकृति ने चीन के सामाजिक संरचना को छिन्न-भिन्न कर दिया।
  - **स्वदेशी परंपराओं का औपनिवेशिक विनाश:** पश्चिमी प्रणालियों को ब्रिटिशों द्वारा थोपे जाने से प्राय: पारंपरिक ज्ञान (पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली (जैसे: गुरुकुल परंपरा) और शिल्प (जैसे: भारतीय वस्त्र) कमज़ोर हो गए, जिससे उपनिवेशित समाजों में सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो गई।

समकालीन उदाहरण:

- **भारत का संतुलनकारी कार्य:**
  - **डिजिटल इंडिया और संस्कृत शिक्षण:** डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देते हुए भारत ने पारंपरिक ज्ञान संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया है।
  - **महिला अधिकार और व्यक्तिगत कानून:** कानूनी सुधार सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए लैंगिक अधिकारों को आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, लैंगिक अधिकारों पर कानूनी सुधार (जैसे: भारत में तीन तलाक का निर्णय) आधुनिक कानूनी सिद्धांतों को पारंपरिक धार्मिक ढाँचे के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्य:**
  - **स्कैंडिनेवियाई देशों का कार्य-जीवन संतुलन:** ये राष्ट्र सामुदायिक कल्याण की पारंपरिक अवधारणाओं को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रगति को अपनाते हैं।

प्रश्न : कविता कुछ भी सृजन नहीं करती, लेकिन सब कुछ बदल देती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **डब्ल्यू.एच. ऑडेन:** *"कविता से कुछ नहीं होता।"*
- **पर्सी बिशे शेली:** *"कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं।"*
- **पाब्लो नेरुदा:** *"कविता शांति का कार्य है।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **कविता के प्रभाव का विरोधाभास**
  - राजनीतिक कार्रवाई या वैज्ञानिक नवाचार के विपरीत, कविता निष्क्रिय प्रतीत होती है, लेकिन यह **मानव चेतना को रूपांतरित करती है, समाज को सूक्ष्म किंतु गहन आयाम** देती है।
  - ***सॉफ्ट पावर*** **(जोसेफ नाई)** की अवधारणा यह बताती है कि कविता सहित संस्कृति, प्रत्यक्ष राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव के बिना भी गहरे सामाजिक बदलाव ला सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कविता पर प्लेटो बनाम अरस्तू:**
  - प्लेटो का मानना था कि कविता भ्रामक और भावनात्मक रूप से छलपूर्ण होती है।
  - इसके विपरीत, अरस्तू का मानना था कि कविता मानवीय नैतिकता और भावनाओं को आकार देती है और एक उपचारात्मक माध्यम के रूप में कार्य करती है।
- **सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कविता**
  - कविता सहानुभूति, लचीलापन और प्रतिरोध को बढ़ावा देती है। यह आंदोलनों को प्रेरित करती है और उत्पीड़ितों को आवाज़ देती है।
    - **रुमानिवाद (18वीं-19वीं शताब्दी):** **विलियम वर्ड्सवर्थ** और **सैमुअल टेलर कोलरिज** ने औद्योगीकरण की आलोचना करने तथा प्रकृति का महिमामंडन करने के लिये कविता का प्रयोग किया।
    - **उत्तर-औपनिवेशिक काव्य: रवींद्रनाथ टैगोर की कविता** ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई।
- **भारत में नारीवादी और दलित कविता:**
  - **कमला दास** की कविताओं ने लैंगिक भूमिकाओं और पितृसत्ता को चुनौती दी।
  - **नामदेव ढसाल** की कविता ने दलित संघर्षों को आवाज़ दी।

ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:

- **राजनीतिक आंदोलनों में कविता**
  - **हार्लेम पुनर्जागरण (1920 का दशक):** लैंगस्टन ह्यूजेस की कविता ने अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन को सशक्त बनाया।
  - **फैज़ अहमद फैज़ और दक्षिण एशिया में प्रगतिशील कविता:** उनकी कविताएँ अधिनायकवाद के विरुद्ध गान बन गईं।
- **आधुनिक समय में कविता का प्रभाव**
  - **बोलचाल की भाषा और हिप-हॉप संस्कृति:** रैप और स्लैम कविता के माध्यम से कविताओं ने नया रूप लिया है जिससे नस्लवाद एवं आर्थिक असमानता जैसी आधुनिक समस्याओं से निपटने में सहायता मिली है।
- **समकालीन प्रासंगिकता और मूल्य संवर्द्धन:**
  - डिजिटल और लोकप्रिय संस्कृति में कविता
  - सोशल मीडिया ने कविता को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिये सुलभ हो गई है (उदाहरण के लिये: **रूपी कौर की इंस्टाग्राम कविता**)।
- **कविता के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लाभ**
  - मानसिक स्वास्थ्य उपचार में आघात को ठीक करने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिये कविता का चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
  - अध्ययन से पता चलता है कि कविता मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करके संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाती है।

प्रश्न : भाषा अब तक बनी सबसे खूबसूरत जेल है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **लुडविग विट्गेन्स्टाइन:** *"मेरी भाषा की सीमाएँ मेरी दुनिया की सीमाएँ हैं।"*
- **जॉर्ज ऑरवेल:** *"लेकिन यदि विचार भाषा को भ्रष्ट करता है, तो भाषा भी विचार को भ्रष्ट कर सकती है।"*
- **नोम चोमस्की:** *"भाषा स्वतंत्र सृजन की एक प्रक्रिया है।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **जेल के रूप में भाषा: अभिव्यक्ति की बाधाएँ**
  - भाषा हमारे विचारों को वास्तविकता के प्रति संवेदनशील बनाती है तथा हमारे विचारों को अपनी रूपरेखा के भीतर सीमित रखती है।
  - हमारा विश्वदृष्टिकोण उस भाषा से आकार लेता है जिसे हम बोलते हैं। विभिन्न भाषाएँ वास्तविकता को अलग-अलग तरीके से व्यक्त करती हैं, जो अनुभूति को प्रभावित करती हैं।
  - भाषा तटस्थ नहीं है; यह **सत्ता** (अंग्रेज़ी मिशनरी स्कूल) **का एक उपकरण** है जो सामाजिक मानदंडों एवं विचारधाराओं को आकार देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भाषा एक सुंदर रचना है**
  - प्रतिबंधात्मक होने के बावजूद, भाषा एक रचनात्मक शक्ति भी है जो आत्म-अभिव्यक्ति, संस्कृति और ज्ञान संचरण की अनुमति देती है।
  - **डेरिडा का विखंडन:** शब्दों का कभी भी निश्चित अर्थ नहीं होता; वे तरल अर्थात् अस्थिर होते हैं, निरंतर विकसित होते रहते हैं तथा अनंत संभावनाएँ प्रदान करते हैं।
  - **भाषा और मानव संबंध:** कविता, साहित्य और कहानी कहने की कला भाषा की सुंदरता पर निर्भर करती है, जो इसे **मानव रचनात्मकता का माध्यम** बनाती है।

ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:

- **शक्ति और उत्पीड़न के साधन के रूप में भाषा**
  - **उपनिवेशवाद और भाषाई साम्राज्यवाद:**
    - अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा बन गई है, लेकिन इसने कई देशी/स्थानीय भाषाओं को मिटा दिया।
  - **भाषा के माध्यम से राजनीतिक नियंत्रण:**
    - **ऑरवेल की वर्ष *1984 में न्यूस्पीक का* प्रयोग** किया गया है, जो एक काल्पनिक भाषा है जिसे विचारों को प्रतिबंधित करने और नागरिकों को नियंत्रित करने के लिये तैयार किया गया है।
    - सत्तावादी शासन प्राय: आख्यानों को नियंत्रित करने के लिये भाषा में हेरफेर (जैसे: प्रचार, सेंसरशिप) करते हैं।
- **स्वतंत्रता और प्रतिरोध के माध्यम के रूप में भाषा**
  - **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भाषा:** स्थानीय भाषा के साहित्य ने लोगों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका (उदाहरण के लिये: **बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का *वंदे मातरम***) निभाई।
  - **डिजिटल युग और भाषाई विविधता:**
    - इंटरनेट स्लैंग और मीम्स संचार को नया स्वरूप देते हैं।
    - AI अनुवाद उपकरण भाषाई बाधाओं को तोड़ते तो हैं, लेकिन भाषाओं को समरूप भी बनाते हैं।

समकालीन प्रासंगिकता और मूल्य संवर्द्ध न:

- **संज्ञानात्मक विज्ञान और भाषा की सीमाएँ**
  - शोध से पता चलता है कि द्विभाषी लोग अपनी भाषा के आधार पर भावनाओं को अलग-अलग तरीके से समझते हैं।
- **वैश्वीकरण बनाम भाषाई पहचान**
  - शिक्षा और प्रौद्योगिकी में अंग्रेज़ी के प्रभुत्व से भाषाई विविधता में गिरावट आ रही है।
    - यूनेस्को के **अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस** जैसे प्रयासों का उद्देश्य लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करना है।

प्रश्न : सुविधा मानव मन का नया पिंजरा है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "मुझे उस दिन का डर है जब तकनीक हमारी मानवीय समन्वय को पीछे छोड़ देगी। दुनिया में बेवकूफों की एक पीढ़ी होगी।"
- **निकोलस कैर:** "बहुत सारी सूचनाओं के बीच भटकने की कीमत हमारी गहन सोच को खोना है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **सुविधा बनाम समालोचनात्मक सोच:**
  - स्वचालन और तत्काल संतुष्टि के कारण गहन चिंतन, समस्या समाधान तथा धैर्य की आवश्यकता कम हो रही है।
  - **विकल्प का विरोधाभास:** हमारे पास सुलभ अनगिनत विकल्पों के कारण, निर्णय लेना मुक्तिदायक होने के बजाय बोझिल हो गया है।
- **प्रौद्योगिकी पर निर्भरता और स्वायत्तता की हानि:**
  - **डिजिटल असिस्टेंट्स और AI** मानव प्रयास को सीमित करते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक संलग्नता को भी कम करते हैं, जिससे लोग सूचना के निष्क्रिय उपभोक्ता बन जाते हैं।
  - सोशल मीडिया एल्गोरिदम व्यक्तिगत कंटेंट तैयार करते हैं तथा स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देने के बजाय मौजूदा मान्यताओं को दृढ़ करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मनोवैज्ञानिक और समाजवैज्ञानिक प्रभाव:**
  - **डोपामाइन की लत:** मनोरंजन और सेवाओं (जैसे: सोशल मीडिया, खाद्य वितरण ऐप) तक आसान अभिगम के कारण ध्यान अवधि कम हो रही है।
  - **लचीलेपन की हानि:** संघर्ष और चुनौतियाँ व्यक्तिगत विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी सुविधा ने कठिनाइयों से निपटने की हमारी क्षमता को कम कर दिया है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **सुविधा पर अत्यधिक निर्भरता के नकारात्मक परिणाम:**
  - **हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान का ह्रास:** बड़े पैमाने पर उत्पादन के बढ़ने से कई कुशल पारंपरिक कारीगर लुप्त हो गए।
  - **फास्ट फूड और स्वास्थ्य संकट:** भोजन के चयन में सुविधा की मांग के कारण वैश्विक स्तर पर मोटापा और जीवनशैली संबंधी रोग महामारी फैल गई है।
- **सुविधा और सचेत प्रयास के बीच संतुलन के सकारात्मक उदाहरण:**
  - **फिनलैंड का शिक्षा मॉडल:** रटंत शिक्षा और इंटरनेट से तत्काल ज्ञान प्राप्त करने के विपरीत, फिनलैंड गहन शिक्षा एवं समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **जापान का काइज़ेन दर्शन:** अत्याधुनिक स्वचालन के बावजूद, जापान मानव प्रयास को कार्य नैतिकता और निरंतर आत्म-सुधार में एकीकृत करता है।

समकालीन उदाहरण:

- **AI निर्भरता में वृद्धि:** ChatGPT जैसे उपकरण उत्पादकता बढ़ाते हैं, लेकिन अत्यधिक उपयोग किये जाने पर मानव रचनात्मकता को सीमित भी कर सकते हैं।
- **पाठन संस्कृति में गिरावट:** लघु-प्रारूप कंटेंट (जैसे: रील्स, टिकटॉक और ट्वीट्स) गहन पुस्तकों और लेखों की जगह ले रही है, जिससे गहन समझ कम हो रही है।
- **कनेक्टिविटी के बावजूद सामाजिक अलगाव:** डिजिटल संचार की सुविधा के कारण सार्थक, व्यक्तिगत संवाद/समन्वय में गिरावट आई है।

प्रश्न : सभी प्रस्थान पलायन नहीं होते, और सभी आगमन गंतव्य नहीं होते।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **रेनर मारिया रिल्के:** 'एकमात्र यात्रा हमारे अंतर्मन की यात्रा है।'
- **टी.एस. इलियट:** "हम अन्वेषण करना बंद नहीं करेंगे और हमारे सभी अन्वेषणों का अंत वही गंतव्य होगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी तथा उस स्थान को पहली बार जानना होगा।"
- **पाउलो कोएल्हो:** "यदि आपको लगता है कि साहसिक कार्य खतरनाक है, तो नियमित प्रयास करें; यह घातक है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **प्रस्थान बनाम पलायन:**
  - प्रस्थान परिवर्तन, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है, जबकि पलायन प्राय: परिहार या भय का प्रतीक है।
  - **मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य:** लोग प्राय: शहर बदलते हैं या नौकरी बदलते हैं, यह मानकर कि बाहरी परिवर्तन से आंतरिक असंतोष का समाधान हो जाएगा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन अंदर से होता है।
- **आगमन बनाम गंतव्य:**
  - सभी उपलब्धियाँ पूर्णता का प्रतीक नहीं होतीं; एक उपलब्धि प्राप्त करना प्राय: एक लंबी यात्रा में एक और कदम मात्र होता है।
  - अंतिमता का भ्रम: कई लोग मानते हैं कि सफलता, धन या रिश्ते परम खुशी लाएंगे, फिर भी मानव मन लगातार अधिक की तलाश में रहता है।
- **आध्यात्मिक और अस्तित्वगत व्याख्या:**
  - **बौद्ध धर्म की नश्वरता की अवधारणा:** यह विचार कि सब कुछ क्षणभंगुर है— जिसे हम 'गंतव्य' के रूप में देखते हैं वह जीवन में एक अस्थायी पड़ाव मात्र है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्टोइक दर्शन:** आत्म-सुधार की यात्रा अंतहीन है; कोई भी एकल उपलब्धि किसी व्यक्ति के विकास को परिभाषित नहीं करती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **प्रस्थान को पलायन समझकर गलत व्याख्या की गई:**
  - **महामंदी और बड़े पैमाने पर पलायन:** वित्तीय दयनीयता से बचने के लिये कई लोग पलायन कर गए, लेकिन प्रणालीगत सुधारों के बिना, गरीबी अन्यत्र जारी रही।
  - **विकासशील देशों से प्रतिभा पलायन:** कई कुशल पेशेवर बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन करते हैं, लेकिन इससे उनके गृह देशों की मूल समस्याएँ हल नहीं होतीं।
- **आगमन को अंतिम गंतव्य मानने की गलत धारणा:**
  - **रोम का पतन:** सदियों की विजय और विस्तार के बावजूद, यह साम्राज्य अंततः आंतरिक पतन के कारण ध्वस्त हो गया।
  - **भारत में औपनिवेशिक शासन का अंत:** वर्ष 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक संघर्ष जारी रहे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि स्वतंत्रता की प्राप्ति राष्ट्र निर्माण की शुरुआत मात्र थी।

समकालीन उदाहरण:

- **कॉर्पोरेट बर्न-आउट और मध्य-जीवन संकट:** कई लोग वित्तीय सफलता के पीछे भागते हैं, यह मानकर कि यही उनका 'गंतव्य' है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि व्यक्तिगत संतुष्टि की उपेक्षा की गई है।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** चंद्रमा पर उतरना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिक गहन अंतरिक्ष में अन्वेषण जारी रखते हैं।

प्रश्न : सत्य वह नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वह है जिसे हम स्वीकार करते हैं।

- **अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:**
  - जॉर्ज ऑरवेल: "निष्पक्ष सत्य (objective truth) की संकल्पना धीरे-धीरे दुनिया से मिटती जा रही है। झूठ इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।"
  - फ्रेडरिक नीत्शे: "तथ्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल व्याख्याएँ होती हैं।"
  - कार्ल जंग: "जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तक यह आपके जीवन का मार्गदर्शन करता रहेगा, और आप इसे भाग्य कहते रहेंगे।"
- **सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:**
  - सत्य बनाम धारणा:
    - मानवीय धारणा स्वाभाविक रूप से सीमित और व्यक्तिपरक होती है। हम जो देखते हैं वह प्रायः हमारे पूर्वाग्रहों, अनुभवों एवं सांस्कृतिक कंडीशनिंग के माध्यम से ही विकसित किया जाता है।
    - पुष्टि पूर्वाग्रह, चयनात्मक धारणा और डनिंग-क्रुगर प्रभाव जैसे **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार** देते हैं।
  - नैतिक और बौद्धिक कार्य के रूप में स्वीकृति:
    - सत्य को स्वीकार करने के लिये साहस, ईमानदारी और जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसकी अस्वीकृति प्रायः सुविधा या डर से उपजी होती है।
    - **नैतिक मनोविज्ञान** से पता चलता है कि व्यक्ति प्रायः संज्ञानात्मक स्थिरता या सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिये असुविधाजनक सत्यों से बचते हैं।
  - उत्तर-सत्य युग में सत्य:
    - आज के सूचना युग में, तथ्य प्रायः आख्यानों में दब जाते हैं। जो चीज दृश्यता प्राप्त करती है, वह जरूरी नहीं कि वास्तविक हो, बल्कि वह होती है जिसे **जनता या मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया** जाता है **या चुना जाता है।**
    - 'सत्य' निष्पक्ष सत्यापन का नहीं, बल्कि **सामूहिक सहमति का कार्य** बन गया है।
- **नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - इतिहास में चयनात्मक स्वीकृति:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन से अस्वीकृति:** विभिन्न वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद, निहित स्वार्थों और अल्पकालिक राजनीतिक/आर्थिक लाभ के कारण अस्वीकृति जारी है।
- **भारत में जातिगत भेदभाव:** यद्यपि कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है, फिर भी सामाजिक संरचनाएँ जाति-आधारित असमानताओं की गहरी वास्तविकता की अस्वीकृति जारी रखती हैं।

◆ संक्रमणकालीन न्याय में सत्य:

- **दक्षिण अफ्रीका का ट्रुथ एंड रेकन्सिलीऐशन कमीशन (TRC):** रंगभेद के अत्याचारों, क्रूरताओं को छुपाने (दबाने) के बजाय, TRC ने कड़वे सत्यों को स्वीकार करके राष्ट्रीय स्तर पर **न्याय** की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, **शांति और सद्भावना** को बढ़ावा दिया।
- **जर्मनी में होलोकॉस्ट शिक्षा:** यह एक मॉडल है कि किस प्रकार ऐतिहासिक अत्याचारों को स्वीकार करना भावी पीढ़ियों में नैतिक जिम्मेदारी का निर्माण करता है।

● **समकालीन उदाहरण:**

◆ मीडिया और एल्गोरिद्म वास्तविकता:

- **इको चैम्बर्स:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को उनकी मान्यताओं से जुड़े कंटेंट दिखाते हैं, जिससे धारणा विकृत हो जाती है और वैचारिक ध्रुवीकरण होता है।
- **डीपफेक और गलत सूचना:** वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर समाप्त होता जा रहा है, जिससे 'सत्य' को एल्गोरिदमिक वेलिडेशन का विषय बना दिया गया है।

◆ व्यक्तिगत मनोविज्ञान:

- कई लोग भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करने के बजाय उसे नजरअंदाज़ कर देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि **सत्य हमेशा नजर नहीं आता, बल्कि उससे निपटने के लिये उसे चुनना पड़ता है।**

प्रश्न : अतीत एक मार्गदर्शक यंत्र है, लेकिन कोई निर्धारित नक्शा नहीं।

● **अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:**

◆ **कन्फ्यूशियस:** "यदि आप भविष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो अपने अतीत का अध्ययन कीजिये।"

◆ **विंस्टन चर्चिल:** "जो लोग इतिहास से सीख लेने में असफल रहते हैं, वे उसे दोहराने के लिये अभिशप्त भी होते हैं।"

◆ **युवाल नोआ हरारी:** "इतिहास तब शुरू हुआ जब मानवों ने देवताओं का आविष्कार किया, और तब समाप्त होगा जब मानव स्वयं देवता बन जाएंगे।"

● **सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:**

◆ **कम्पास बनाम मानचित्र:**

- मानचित्र निश्चित दिशाएँ और निश्चितताएँ सुझाता है, जबकि कम्पास/मार्गदर्शक यंत्र कोई एक मार्ग बताए बिना दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- इतिहास को यंत्रवत् दोहराया नहीं जा सकता; यह सिद्धांतों का मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन परिणामों का नहीं।

◆ **ऐतिहासिक नियतिवाद का खतरा:**

- अतीत के मॉडलों पर अंध निर्भरता (जैसे: गौरवशाली इतिहास में निहित राष्ट्रवाद) प्राय: **प्रतिगामी नीतियों या संघर्ष को जन्म** देती है।
- मानवीय क्षमता और संदर्भ विकसित होते रहते हैं— अतीत में जो कारगर रहा, वह भिन्न सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में अप्रासंगिक या हानिकारक भी हो सकता है।

◆ **पहचान और नैतिकता में इतिहास का उपयोग:**

- अतीत नैतिक मानदंड और सामूहिक स्मृति प्रदान करता है। यह समाज को यह याद रखने में मदद करता है कि किस घटना को कभी दोहराया नहीं जाना चाहिये- जैसे: नरसंहार, गुलामी या औपनिवेशिक उत्पीड़न।
- दार्शनिक दृष्टि से, इतिहास **अस्तित्वगत आधार** प्रदान करता है, लेकिन इसे भविष्य के नवाचार को रोकने वाली जंजीर नहीं होना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - **अतीत के उत्पादक उपयोग:**
    - **भारतीय संविधान:** इसमें विभिन्न वैश्विक संविधानों से विशेषताएँ उधार ली गई हैं, न कि टेम्पलेट के रूप में, बल्कि मार्गदर्शक **दार्शनिक सिद्धांतों** के रूप में (जैसे: ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, अमेरिका का संघवाद)।
    - **यूरोपीय संघ का गठन:** दो विश्व युद्धों की तबाही से सीख लेते हुए, यूरोपीय देशों ने अतीत को **नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में उपयोग** करते हुए, राष्ट्रवाद के स्थान पर एकीकरण को चुना।
  - **अतीत का दुरुपयोग या उस पर अत्यधिक निर्भरता:**
    - **नाज़ी जर्मनी का पौराणिक अतीत:** हिटलर द्वारा आर्यन जाति और प्राचीन जर्मनिक पहचान के महिमामंडन ने फासीवाद एवं नरसंहार को जन्म दिया।
    - **तालिबान द्वारा शरिया कानून लागू करना:** लैंगिक समानता और मानवाधिकारों के आधुनिक मूल्यों की अनदेखी करते हुए पुरानी सामाजिक व्यवस्था को पुन: स्थापित करने का प्रयास।
- **समकालीन उदाहरण:**
  - **इतिहास-प्रेरित सुधार:**
    - **उपनिवेशवाद और युद्ध से दक्षिण कोरिया का उत्थान:** अतीत पर विलाप करने के बजाय, यह अपने राष्ट्रीय आख्यान को पुनर्परिभाषित करके एक प्रौद्योगिकी और शिक्षा केंद्र बन गया।
    - **रवांडा में नरसंहार के बाद सत्य और सुलह:** अतीत को स्वीकार करते हुए समाज का पुनर्निर्माण करना, लेकिन प्रतिशोध में न फँसना।
  - **अतीत में अस्तित्व के खतरे:**
    - **सांस्कृतिक अतीत-प्रेम से जुड़े आंदोलनों** में प्राय: प्रगतिशील कानूनों का विरोध किया जाता है—चाहे वह LGBTQ+ अधिकार हों या लैंगिक समानता। वे अपने विरोध को 'परंपरागत मूल्यों' का हवाला देकर उचित ठहराते हैं।
    - भूराजनीति में, **प्रतिशोधात्मक विचारधाराएँ** (जैसे: रूस द्वारा सोवियत युग के गौरव का आह्वान) वैश्विक अस्थिरता उत्पन्न करती हैं।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :